[2020] 12 एस. सी. आर. 189

सतीश चंद्र आहुजा

वी.

स्नेहा आहुजा

(2020 की सिविल अपील No.3483)

15 अक्टूबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एसएस। 12 , 19 – एस के तहत दायर एक शिकायत में। 12 अधिनियम, 2005 का एक अंतरिम आदेश

शिकायतकर्ता के पक्ष में पारित किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया था कि शिकायतकर्ता का पति सक्षम अदालत के आदेश के बिना शिकायतकर्ता को बेदखल न करे-ससुर द्वारा दायर मुकदमा जिसके बाद शिकायतकर्ता प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे की संपत्ति के संबंध में अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी-आयोजित की जा सकने योग्यताः अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी अदालत में दायर मुकदमा पूरी तरह से बनाए रखने योग्य था-वादी के साथ-साथ प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दे

एस के ठीक नीचे। 19 मुकदमे में पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर संबोधित और निर्णय लिया जाना था।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 26-मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में राहत-एस के अनुसार। 26 , एसएस के तहत उपलब्ध कोई भी राहत। 18 , 19 , 20 , 21 और अधिनियम, 2005 के 22 को किसी भी कानूनी कार्यवाही में, दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या किसी अन्य अदालत के समक्ष भी माँगा जा सकता है।

आपराधिक अदालत पीड़ित व्यक्ति होने के नाते-अनिवार्य के लिए एक मुकदमे में

और अपीलार्थी (ससुर) द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा जहां प्रत्यर्थी (बहू) ने दलील दी है और दावा किया है कि वाद संपत्ति साझा घर है और उसे रहने का अधिकार है और यह उस पर था

उस आधार पर कि वह अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे का विरोध कर रही थी, यह सवाल कि क्या मुकदमा संपत्ति एक साझा घर है या नहीं, प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है और उक्त मुद्दे को इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि डी. वी. अधिनियम के तहत आवेदन लंबित है नियमित मुकदमे में, जो अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था, प्रतिवादी की याचिका कि मुकदमा संपत्ति उसका साझा घर है और उसे निवास का अधिकार है, एस के आधार पर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता था। 26 अधिनियम, 2005 का।

[2020] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस। 19 अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही का लंबित होना या कोई अंतरिम आदेश

या अंतिम, यू/एस पास किया। 19 निवास के अधिकार के संबंध में किसी भी दीवानी कार्यवाही को शुरू करने/जारी रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जो आदेश के विषय से संबंधित है जो अंतरिम या अंतिम रूप से पारित किया गया है।

एक्ट करें।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 2 (एस) साझा परिवार-की परिभाषा-आयोजितः साझा की परिभाषा

एस में घर। 2 (एस) एक विस्तृत परिभाषा है - एस. 2 (एस) "साधन और शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है-परिभाषा का पहला भाग अभिव्यक्ति "मतलब" से शुरू होती है जो निस्संदेह एक विस्तृत परिभाषा है और परिभाषा का दूसरा भाग, जो शब्द से शुरू होता है।

" इस परिभाषा का क्या अर्थ था, इसका व्याख्यात्मक है -

एस में "अर्थ और शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग। 2 (एस), इस प्रकार, स्पष्ट रूप से विधायी इरादे को इंगित करता है कि परिभाषा है

संपूर्ण और केवल उन लोगों को शामिल करेगा जो परिभाषा के दायरे में आते हैं और कोई अन्य नहीं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: धारा 2 (ओं) अभिव्यक्ति "जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर रहता है।

घरेलू संबंध में रहा है "-इसका अर्थ है-" जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहा है "शब्दों को इसका सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए-एक घर में महिला का जीवन एक ऐसे जीवन को संदर्भित करता है जिसमें कुछ स्थायित्व हो।

अलग-अलग स्थानों पर केवल क्षणिक या आकस्मिक रूप से रहने से साझा घर नहीं बनेगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 2 (एस)

व्याख्या-यह कानून की आवश्यकता नहीं है जो पीड़ित हो

व्यक्ति या तो संयुक्त रूप से या अकेले परिसर का मालिक हो सकता है या इसे संयुक्त रूप से या अकेले किराये पर दे सकता है; परिवार एक संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति को साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो; और साझा परिवार या तो हो सकता है

प्रत्यर्थी द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराये पर लिया गया।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 2 (जी) कौन प्रत्यर्थी हो सकता है-किसी व्यक्ति के लिए "प्रत्यर्थी" के रूप में व्यवहार करना

एस के उद्देश्य। 2 (क्यू), यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का कार्य किया है-प्रतिवादी को कोई राहत देने के लिए या सतीश चंद्र आहुजा v के लिए।

स्नेहा आहुजा

वादी के मुकदमे का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए, अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित राहत देने के लिए आवश्यक शर्तों को प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए, तभी दीवानी अदालत द्वारा प्रतिवादी को राहत दी जा सकती है-इस प्रकार, धाराओं के तहत दीवानी अदालत द्वारा कोई राहत देने के लिए। 19 , यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी है

पीड़ित व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का कोई कार्य करना या करना।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 17-निवास का अधिकार-घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला

साझा घराने में रहने का अधिकार है, चाहे उसे कोई अधिकार, अधिकार या लाभकारी हित हो-घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है-हालांकि व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने वाले क़ानून के तहत, महिला को भरण-पोषण का अधिकार है,

प्रत्येक पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार है जिसमें अधिकार शामिल हो सकते हैं -

निवास, एस की उप-धारा (1) द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार। 17 प्रत्येक महिला को नया और उच्चतर अधिकार प्रदान किया जाता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 17 (2)-चाहे एस के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अलावा। 25 (2) अधिनियम, 2005 का अधिनियम, 2005 किसी भी अन्य घटना पर विचार करता है जब एस के तहत निवास के आदेश के बावजूद। 19 एक पीड़ित व्यक्ति

कानून द्वारा स्थापित "। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: धारा 17 (2)-के तहत प्रतिबंध-आयोजितः यदि किसी महिला का साझा घर किरायेदार/आवंटित/लाइसेंस प्राप्त आवास है, जहां

किरायेदारी/आवंटन/लाइसेंस पति, ससुर या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है, अधिनियम, 2005 मकान मालिक/पट्टेदार/लाइसेंसर के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने में काम नहीं करता है। हालांकि, यदि कार्यवाही दोनों के बीच किसी भी मिलीभगत के कारण होती है, तो महिला, जो साझा घर में रह रही है, को उन सभी आधारों पर कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार है जो किरायेदार/पट्टेदार/लाइसेंसधारक कार्यवाही में ले सकते थे-एस के तहत प्रतिबंध। 17 (2) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हटाए जाने या बाहर नहीं किए जाने के अधिनियम, 2005 का संचालन केवल [2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"प्रत्यर्थी" के विरुद्ध, अर्थात वह जो एस के अर्थ के भीतर प्रत्यर्थी है। 2 ((क) अधिनियम, 2005 का।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एस. 19 निवास आदेश-आयोजितः एस के तहत निवास का अधिकार। 19 नहीं है।

साझा घर में रहने का एक अक्षम्य अधिकार, विशेष रूप से जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है-अपने जीवन की शाम को वरिष्ठ नागरिक भी वैवाहिक कलह से परेशान हुए बिना शांति से रहने के हकदार हैं।

उनके बेटे और बहू के बीच-इसलिए, एस के तहत आवेदन में दोनों को राहत देते हुए। 12 अधिनियम, 2005 या किसी दीवानी कार्यवाही में, न्यायालय को दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना होता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: एसएस। 17 और 19-उचित पक्षकार-वर्तमान मामले में, हालाँकि वादी ने

प्रत्यर्थी के पति, अपने बेटे के खिलाफ किसी भी राहत का दावा नहीं किया, इसलिए, वह एक आवश्यक पक्ष नहीं था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी ने साझा घर में रहने के अपने अधिकार का अनुरोध किया है।

एस. एस. पर निर्भर। 17 और अधिनियम, 2005 की धारा 19 और उन अधिकारों में से एक जो एस के तहत दिए जा सकते हैं। 19 वैकल्पिक आवास का अधिकार है, पति एक उचित पक्षकार है-हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार भरण-पोषण का अधिकार पति के खिलाफ है, इसलिए वह उन मामलों में एक उचित पक्षकार हो सकता है जब न्यायालय एस. एस. के तहत प्रतिवादी के दावे पर विचार करना है। 17 और 19 एस के साथ पढ़ें। 26 अधिनियम, 2005-दल/दल-आवश्यक दल।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: या. आई आर। 10 न्यायालय को अधिकार देता है

कार्यवाही के किसी भी स्तर पर या तो किसी आवेदन पर या स्वतः

वादी या प्रतिवादी के रूप में किसी पक्ष को जोड़ने का प्रस्ताव, जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति अदालत को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लें और उनका निपटारा करें-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि मामलों को निचली अदालत में वापस भेज दिया जाए और पहली बार में, उन सभी मामलों में जहां प्रतिवादी के बेटे/अपीलार्थी के पति को शामिल नहीं किया गया है, निचली अदालत आदेश के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का उपयोग करके उसकी दलीलबाज़ी का निर्देश देगी। 10 – उक्त दिशा थोड़ी चौड़ी और पूर्ववर्ती है-यदि,

उच्च न्यायालय संतुष्ट था कि प्रतिवादी के पति को शामिल करना आवश्यक था, उच्च न्यायालय स्वयं या 1 आर के तहत शक्ति का उपयोग कर सकता था। 10 और इस तरह के अभियोग के लिए निर्देश दिया-जब मामले को निचली अदालत में वापस भेज दिया जाता है, तो निचली अदालत के विवेकाधिकार को सतीश चंद्र आहुजा बनाम नहीं होना चाहिए।

स्नेहा आहुजा

न्याय के बारे में: दीवानी अदालत में कार्यवाही के खिलाफ आपराधिक अदालतों के आदेशों को लागू करने का सिद्धांत-आयोजित: जब दीवानी अदालतों में कार्यवाही के खिलाफ आपराधिक अदालतों के आदेश दिए जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है - आपराधिक कार्यवाही के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता में यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और जिसे दोषी ठहराया गया है या

ऐसे अपराध से बरी किया जाएगा, जबकि ऐसा दोषसिद्धि या बरी किया जाता है।

नियम लागू रहता है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर।

एस में गणना की गई। 300 Cr.P.C. दो के संबंध में प्रासंगिक हो सकता है।

एक ही अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही, जिसकी एक आपराधिक कार्यवाही और एक दीवानी कार्यवाही के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

एस के तहत। 12 , मजिस्ट्रेट को किसी भी बात को ध्यान में रखना होगा उसे सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त घरेलू घटना की रिपोर्ट

या सेवा प्रदाता-इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट केवल सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू घटना रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर सकता है-यहां तक कि एस के अनुसार भी। 36 डी. वी. अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार होंगे -

इसके अलावा, और किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अपमान में नहीं, कुछ समय के लिए लागू-मजिस्ट्रेट एस के अनुसार एक अंतरिम आदेश भी पारित कर सकते हैं। 23 डी. वी. अधिनियम।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:

एस. 19 (1) (ख)-एस के खंड (बी) के तहत आदेश। 19 (1) एक महिला के खिलाफ-आयोजित: एस के तहत निवास का आदेश पारित करते समय। 19 , विशेष रूप से उप के तहत - धारा 19 (1) (ख) के परंतुक के अनुसार। 19 (1) , खंड (ख) के तहत कोई आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा जो एक महिला है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:

एसएस। 12 (2) , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 25 , 26 और 28-[2020] 12 एस. सी. आर. के अधीन कार्यवाही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. वी. अधिनियम और सिविल न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, जैसा कि धाराओं में उल्लिखित है। 26 डी. वी. अधिनियम की स्वतंत्र कार्यवाहियाँ हैं, जैसे एस. के तहत कार्यवाहियाँ। 125 सी. आर. पी. सी. मजिस्ट्रेट और/या पारिवारिक न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण के लिए और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत राहत के लिए दीवानी अदालत/पारिवारिक अदालत के समक्ष भरण-पोषण के लिए कार्यवाही

हालांकि, एक मंच द्वारा पारित निष्कर्षों/आदेशों पर दूसरे मंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एसएस। 40 43 तक-अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेश-दीवानी कार्यवाही में प्रासंगिकता और स्वीकार्यता-वहाँ

किसी स्वीकार्य साक्ष्य को संदर्भित करने या उस पर भरोसा करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वह दीवानी या आपराधिक दोनों मामलों में दीवानी अदालत या आपराधिक अदालत का हो

कार्यवाहियाँ-एस के तहत अंतरिम या अंतिम राहत देने वाला आपराधिक न्यायालय का निर्णय या आदेश। 19 डी. वी. अधिनियम, 2005 के एस के अर्थ के भीतर प्रासंगिक हैं। 43 साक्ष्य अधिनियम और दीवानी अदालत द्वारा संदर्भित और देखा जा सकता है-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।

शब्द और वाक्यांश - एस में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर" अभिव्यक्ति का अर्थ और विस्तार। 17 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओं) में "साधन और शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है - विधायी इरादा कि परिभाषा संपूर्ण है और केवल उन लोगों को शामिल करेगी जो परिभाषा के दायरे में आते हैं और कोई अन्य नहीं। एक साझा परिवार के लिए पूरी की जाने वाली पहली शर्त यह है कि पीड़ित व्यक्ति जीवन या किसी भी स्तर पर किसी घरेलू घर में रहा हो।

संबंध। दूसरे भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है-(क) जिसमें ऐसा परिवार शामिल है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्व में हो या संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया हो और प्रत्यर्थी और उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में या तो -

पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, स्वामित्व, ब्याज या इक्विटी और (बी) में ऐसा परिवार शामिल है

जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रत्यर्थी एक सदस्य है, भले ही प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो। में। उपरोक्त परिभाषा में, दो अभिव्यक्तियाँ, अर्थात्, "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" उत्पन्न हुई हैं।

उपरोक्त सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा

साझा परिवार में स्वामित्व या हित; और (iii) साझा परिवार या तो प्रतिवादी द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराये पर लिया जा सकता है। [पारस 54,55] [230-डी-एच; 239-ए-बी] 1.2 धारा 2 (ओं) में निर्दिष्ट साझा परिवार पीड़ित व्यक्ति का साझा परिवार है जहाँ वह रह रही थी।

वह समय जब आवेदन दायर किया गया था या हाल के दिनों में उपयोग से बाहर रखा गया था या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। "जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू रिश्ते में रहा है" शब्दों को इसका सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। एक घर में महिला का रहना एक ऐसे जीवन को संदर्भित करता है जिसमें कुछ स्थायित्व हो। यह पता लगाने के लिए पार्टियों के इरादे और घर की प्रकृति सहित रहने की प्रकृति पर गौर करना होगा

साझा घर है या नहीं। [पारस 62,63] [233-जी-एच; 234-ए-बी; 234 जी-एच] 1.3 यह न्यायालय * एस. आर. में निर्णय के पैराग्राफ 29 में है। बत्रा बनाम तरुना बत्रा ने माना कि पत्नी को केवल एक अधिकार का दावा करने का अधिकार है।

एक साझा घर और एक साझा घर में रहने के अधिकार का अर्थ केवल वह घर होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है, या वह घर जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसका पति सदस्य है। धारा 2 (ओं) में देखी गई साझा परिवार की परिभाषा से यह संकेत नहीं मिलता है कि एक साझा परिवार वह होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी पति का कोई रिश्तेदार हो सकता है। यदि साझा परिवार पति के किसी भी रिश्तेदार का है, जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही है, तो इन शर्तों में उल्लेख किया गया है -

धारा 2 (ओं) को संतुष्ट किया जाता है और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा। एस. आर. में यह अदालत। बत्रा बनाम तरुना बत्रा ने हालांकि धारा 2 (ओं) में दी गई साझा घर की परिभाषा पर ध्यान दिया, लेकिन परिभाषा के विभिन्न हिस्सों में विज्ञापन नहीं दिया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक साझा घर के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घर का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से [2020] 12 एस. सी. आर. द्वारा किया जा सके।

पति या पति द्वारा किराए पर लिया गया। साझा परिवार की परिभाषा स्पष्ट और विस्तृत है। वस्तु और

अधिनियम का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति, साझा घर में रहने वाली महिला को अधिकार प्रदान करना था। व्याख्या जो इस न्यायालय द्वारा * एस. आर. में रखी गई है। बत्रा बनाम तरुणा बत्रा यदि स्वीकार किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा।

[पैरा 64] [235-सी-एच]

* एस. आर. बत्रा और अन्र। वी. तरुणा बत्रा (2007) 3 एस. सी. सी. 169: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 1206-सही कानून नहीं।

विमलाबेन अजीतभाई पटेल बनाम। वत्सलबेन अशोकभाई पटेल और अन्य। , (2008) 4 एससीसी 649: [2008] 4 एस. सी. आर. 1077-लागू नहीं होता है।

डी. वी. अधिनियम के तहत विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा दायर नियमित वाद में, प्रतिवादी की याचिका कि वाद संपत्ति उसका साझा घर है और उसे निवास का अधिकार है, धारा 26 के आधार पर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता था। [पैरा 82] [244 जी-एच; 245-ए] 1.5 धारा 19 के तहत निवास का अधिकार विशेष रूप से साझा घर में निवास का एक अक्षम्य अधिकार नहीं है।

जब बहू को बूढ़े ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। अपने जीवन की शाम को वरिष्ठ नागरिक भी वैवाहिक कलह से परेशान हुए बिना शांति से रहने के हकदार हैं।

उनके बेटे और बहू के बीच। अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन में या किसी सिविल मामले में राहत देते समय कार्यवाहियों में, न्यायालय को दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना होता है। पैराग्राफ 56 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश दोनों पक्षों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से संतुलित करते हैं। [पैरा 83] [245 बी-सी]

2. आदेश XII नियम 6 के तहत शक्ति विवेकाधीन है और अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, निचली अदालत को सतीश चंद्र आहुजा बनाम के तहत निर्णय नहीं देना चाहिए था।

स्नेहा आहुजा

डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर प्रतिवादी के आवेदन में निहित प्रतिवादी के प्रवेश पर आदेश 12 नियम 6। इस प्रकार, आदेश XII नियम 6 के तहत निर्णय पारित करने में निचली अदालत द्वारा अपनाई गई कार्रवाई को मंजूरी नहीं देने के एक से अधिक कारण हैं। [पैरा 98] [253-ए-बी]

हीराल पी. हरसोरा और अन्य बनाम। कुसुम नरोत्तमदास हर्सोरा और अन्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 165: [2016] 9 एससीआर 515; वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम। नानासाहेब गोपाल जोशी (2017) 14 एस. सी. सी. 373: [2017] एस. सी. आर. 488; इवनीत सिंह बनाम। प्रशांत चौधरी, (2010) एससीसी

ऑनलाइन दिल्ली 4507; इवनित सिंह बनाम। प्रशांत

चौधरी (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 4651; प्रीति सतीजा बनाम। राज कुमारी और अन्न। , (2014) एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 188; बी. आर. मेहता बनाम। आत्मा देवी और ओआरएस। , (1987) 4 एससीसी

183 [1987] 3 एस. सी. आर. 1184; कुनपारेड्डी उपनाम

नूकला-शंक बालाजी बनाम। कुनपारेड्डी स्वर्ण कुमारी और अन्न। , (2016) 11 एससीसी 774: [2016] 2 एस. सी. आर. 608; कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम। श्रीमती वीणा

कौशल और ओआरएस। , (1978) 4 एससीसी 70: [1978] 3 एससीआर 782; मनमोहन अट्टावर बनाम। नीलम मनमोहन अट्टावर (2017) 8 एस. सी. सी. 550: [2017] 6 एससीआर 356; भारत कॉप। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कॉप। बैंक कर्मचारी संघ, (2007) 4 एससीसी 685: [2007] 4 एससीआर 347; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2019) 8 एससीसी 416: [2019] 10 एससीआर 381;

दक्षिण गुजरात रूफिंग टाइल्स निर्माता

एसोसिएशन और एन. आर. वी. गुजरात राज्य और अन्न। ,

(1976) 4 एससीसी 601: [1977] 1 एस. सी. आर. 878; कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम और ए. एन. आर. वी. अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (2009) 3 एस. सी. सी. 240: [2009]

1 एससीआर 1109-संदर्भित

सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक था अदालत। जब मुक़दमे में, प्रतिवादी ने मुक़दमे की संपत्ति में रहने के अपने अधिकार के आधार पर डिक्री का विरोध करने का अनुरोध किया है, तो मुक़दमे में अपने दावे को अभिवचन और साक्ष्य दोनों द्वारा साबित करना उसका काम था। [पैरा 102] [254-सी-डी] [2020] 12 एस. सी. आर.

3.2 एक व्यक्ति के साथ प्रतिवादी के रूप में व्यवहार करने की शर्तों में से एक

मुकदमे का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए अभिवचन करना होगा और यह साबित करना होगा कि उसे प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन किया गया था, जो अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) में दी गई व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में निहित है। यद्यपि मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी द्वारा 26.11.2016 पर धारा 12 के तहत दायर आवेदन में एक अंतरिम आदेश पारित किया, लेकिन कहा कि आदेश अंतरिम आदेश था जो मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर पारित किया गया था कि "आवेदन ने प्रथम दृष्टया खुलासा किया कि प्रतिवादी है घरेलू हिंसा का कोई कार्य करना या करना "। धारा 19 के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा कोई राहत देने के लिए, उसे

अधिनियम, 2005 को प्रतिवादी द्वारा अभिवचन और साबित किया जाना है, तभी दीवानी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को राहत दी जा सकती है। [पैरा 103,104] [254-डी-जी; 254-जी-एच; 255-ए] 4.1 अधिनियम की धारा 17 में दो उप-धाराएँ हैं जो दो स्वतंत्र अधिकारों को शामिल करती हैं। उप-धारा (1) के अनुसार,

तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के पास होगा - साझा घराने में रहने का अधिकार, चाहे उसका कोई अधिकार, अधिकार या लाभकारी हित हो या न हो। यह अधिकार स्पष्ट रूप से हर महिला को दिया गया है।

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंध। यद्यपि व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने वाले कानून के तहत, महिला को भरण-पोषण का अधिकार है, प्रत्येक पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार है जिसमें निवास का अधिकार शामिल हो सकता है, धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार प्रत्येक महिला को दिया गया नया और उच्च अधिकार है। इस अधिकार को धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत दायर आवेदन पर धारा 19 के तहत एक आदेश द्वारा लागू किया जाना है। हालांकि, धारा 17 की उप-धारा (2) में एक सतीश चंद्र आहुजा बनाम शामिल है।

स्नेहा आहुजा

उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार में अपवाद, अर्थात "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर"। इस प्रकार, धारा 17 की उप-धारा (2) में विचार किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार साझा परिवार से बेदखल या बाहर किया जा सकता है। [पारस 105,106] [255-बी ई]

4.2 धारा 25 (2) स्वयं एक ऐसी संभावना पर विचार करती है जब अधिनियम के तहत पारित आदेश को बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है।

धारा 19 के तहत कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया अधिनियम की धारा 28 में उपबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार है। ये नियम अधिनियम, 2005 के तहत बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006"। नियम 5 घरेलू घटना रिपोर्ट से संबंधित है जिसे सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र I में प्रस्तुत किया जाना है। प्रपत्र-II फिर से नियम का हिस्सा है जिसमें विभिन्न विवरण शामिल हैं जिनमें आवश्यक आदेश, धारा 19 के तहत निवास आदेश, धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत, पिछले मुकदमे का विवरण, यदि कोई हो, और अन्य विवरण शामिल हैं जो मजिस्ट्रेट को लेने में सक्षम बनाते हैं।

उचित निर्णय। नियम 6 उप-नियम (4) में प्रावधान है कि धारा 23 के तहत एक अंतरिम एकतरफा आदेश प्राप्त करना, एक शपथ पत्र

प्रपत्र-III में दाखिल किया जाना है। प्रपत्र-III एक पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से शपथ पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति का एक शपथ पत्र है।

वार्ड, बेटी, आदि। इस प्रकार अधिनियम और नियम अधिनियम, 2005 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करने की प्रक्रिया और तरीका प्रदान करते हैं। [पैरा 107,109,110,111] [256-डी-एच; 257-ए-सी]

4.3 Cr.P.C की धारा 145 में प्रक्रिया का प्रावधान है जहाँ

भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है। धारा 145 Cr.P.C के तहत, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि शांति भंग करने की संभावना वाला कोई विवाद मौजूद है, तो वह पक्षों से अदालत में उपस्थित होने और यह तय करने के लिए कह सकता है कि क्या उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर कोई और कौन सा पक्ष विवाद के विषय के कब्जे में था।

धारा 145 Cr.P.C की उप-धारा (6) मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने पर विचार करती है जिसमें ऐसे पक्ष को [2020] 12 एस. सी. आर. का हकदार घोषित किया जाता है।

कानून के उचित पाठ्यक्रम में। कानून के अनुसार बेदखली को एक सक्षम अदालत द्वारा माना गया था। इस न्यायालय के पास शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी में धारा 145 (6) में होने वाली "कानून के उचित पाठ्यक्रम में इससे बेदखल होने तक" अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 Cr.P.C के प्रावधानों का उद्देश्य है - एक त्वरित और संक्षिप्त उपाय प्रदान करें ताकि कार्यपालिका को विवाद प्रस्तुत करके शांति भंग होने से रोका जा सके

संपत्ति पर कब्जे के सवाल पर विवाद करने वाले पक्षों के बीच समाधान के लिए मजिस्ट्रेट। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 Cr.P.C के तहत कार्यवाही में असफल पक्ष को कब्जे की बहाली के लिए एक डिक्री या आदेश की मांग करते हुए कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा करना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 145 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सक्षम अदालत के समक्ष निर्णय के लिए आने पर बाध्य नहीं करता है। इस न्यायालय ने व्याख्या की कि "जब तक कानून के उचित पाठ्यक्रम में उससे बेदखल नहीं किया जाता है" का अर्थ है "कोई भी न्यायालय जिसके पास संपत्ति के स्वामित्व या अधिकारों के प्रश्न पर निर्णय लेने की अधिकारिता है।

या अधिकार का अधिकार "। [पारस 112,113,114] [257-सी-एच;

258 - डी-ई]

** शांति कुमार पांडा बनाम। शकुंतला देवी, (2004) 1

एससीसी 438: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 98-पर निर्भर

कानून द्वारा ", अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में कार्यवाही पर विचार किया गया है। इस प्रकार, संपत्ति के मालिक द्वारा अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा/बेदखली या कब्जे के लिए मुकदमा एक सक्षम न्यायालय के समक्ष बनाए रखा जा सकता है। उप-धारा (2) में, निषेधाज्ञा यह है कि "साझा परिवार से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "। इस प्रकार, प्रावधान स्वयं कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया को अपनाने पर विचार करता है

पीड़ित व्यक्ति को साझा घर से बेदखल या बहिष्कृत करने के लिए प्रत्यर्थी। अतः, उपयुक्त मामले में,

सक्षम न्यायालय उचित रूप से स्थापित सतीश चंद्र आहुजा बनाम में दावे का निर्णय ले सकता है।

स्नेहा आहुजा

मालिक द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है कि क्या महिलाओं को साझा घर से बाहर रखने या बेदखल करने की आवश्यकता है। [पैरा 116] [260-बी-ई] 4.5 यदि किसी महिला का साझा घर किरायेदार/आवंटित/लाइसेंस प्राप्त आवास है, जहां किरायेदारी/आवंटन/है।

लाइसेंस पति, ससुर या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है, अधिनियम, 2005 किरायेदार/आबंटित/लाइसेंसधारक को साझा घर से बेदखल करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने में मकान मालिक/पट्टेदार/लाइसेंसधारक के खिलाफ काम नहीं करता है। हालाँकि, यदि कार्यवाही दोनों के बीच किसी भी मिलीभगत के कारण होती है, तो महिला, जो साझा घर में रह रही है, को उन सभी आधारों पर कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार है जो किरायेदार/पट्टेदार/लाइसेंसधारी कार्यवाही में ले सकते थे। द.

अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) के तहत प्रतिबंध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निष्कासन या बहिष्कृत नहीं किया जाना

कानून केवल "प्रतिवादी" के खिलाफ काम करता है, यानी वह जो अधिनियम, 2005 की धारा 2 (क्यू) के अर्थ के भीतर प्रतिवादी है। [पैरा 117] [260-जी-एच; 261-ए-बी] 5.1 वर्तमान मामले में, हालांकि वादी ने अपने बेटे, प्रतिवादी के पति के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया है, इसलिए वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

प्रतिवादी ने साझा में अपने निवास के अधिकार का अनुरोध किया है

अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 पर निर्भर परिवार और धारा 19 के तहत दिए जा सकने वाले अधिकारों में से एक अधिकार है -

भरण-पोषण अधिनियम, 1956 पति के खिलाफ है, इसलिए वह उन मामलों में एक उचित पक्षकार हो सकता है जब न्यायालय अधिनियम, 2005 की धारा 26 के साथ पठित धारा 17 और 19 के तहत प्रत्यर्थी का दावा। [पैरा 119] [262-बी-डी]

5.2 सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश I नियम 10 को अधिकार देता है

कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर या तो किसी आवेदन पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी पक्ष को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ने के लिए, जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके और मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों का निपटारा कर सके। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 56 (i) में निर्देश दिया कि [2020] 12 एस. सी. आर. में दिए गए निर्देशों के अनुसार मामलों को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया जाए।

सबसे पहले, उन सभी मामलों में जहां प्रत्यर्थी के बेटे/अपीलार्थी के पति को शामिल नहीं किया गया है, ट्रायल कोर्ट आदेश I नियम 10 सी. पी. सी. के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का उपयोग करके उसके पक्ष को निर्देशित करेगा। यह दिशा थोड़ी चौड़ी और पूर्ववर्ती है। यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट था कि प्रतिवादी के पति को पक्षकार बनाना आवश्यक था, तो वह आदेश I नियम 10 के तहत शक्ति का उपयोग कर सकता था और इस तरह के लिए निर्देश दे सकता था।

सिविल कोर्ट में। आपराधिक कार्यवाही के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता में यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और ऐसे अपराध के लिए दोषी या बरी किया गया है, जबकि ऐसा दोषसिद्धि या बरी होना लागू रहता है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी अन्य अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों पर। धारा 300 Cr.P.C में उल्लिखित सिद्धांत एक ही अभियुक्त के खिलाफ दो आपराधिक कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक हो सकता है, जिसकी संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती हैः

एक आपराधिक कार्यवाही और एक दीवानी कार्यवाही। [पैरा 126] [264 ई-जी]

6.2 धारा 40 स्वीकार्य निर्णय प्रदान करती है जो कार्य करते हैं।

किसी वाद या विचारण पर किसी रोक को न्यायिक याचिका के रूप में या अन्यथा किसी कानून के नियम के तहत रखने के रूप में। डी. वी. अधिनियम, 2005 की योजना में यह विचार नहीं किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित कोई भी निर्णय और आदेश किसी भी अदालत को निर्णय लेने से रोकता है।

मुकदमे का संज्ञान या मुकदमा आयोजित करना; धारा 41 से संबंधित है - प्रोबेट, वैवाहिक, एडमिरलिटी और दिवाला क्षेत्राधिकार में कुछ निर्णयों की प्रासंगिकता जो न केवल पक्ष के खिलाफ बल्कि पूरे विश्व के खिलाफ निर्णायक हैं। इस खंड में चार सूचीबद्ध हैं।

निर्णयों के वर्ग। वैवाहिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दीवानी न्यायालय की एक डिक्री भी उन निर्णयों में से एक है जिन्हें धारा 41 के तहत प्रासंगिक माना गया था। आदेश पारित किए गए अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों या निर्णयों को सतीश चंद्र आहुजा बनाम नहीं माना जा सकता है।

स्नेहा आहुजा

न्यायालय द्वारा किसी भी वैवाहिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। यह अधिनियम, 2005 हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर एक विशेष अधिनियम है।

किसी भी तरह का। [पारस 127,128] [266-सी-एफ]

6.3 धारा 42 सार्वजनिक प्रकृति के मामलों के लिए प्रासंगिक निर्णयों की स्वीकार्यता से संबंधित है, हालांकि दोनों पक्षों के बीच नहीं।

इसका प्रमाण वे बताते हैं। धारा 43 में कहा गया है कि धारा 40 से 42 में उल्लिखित निर्णयों के अलावा अन्य निर्णय तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व तथ्य में न हो या अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक न हो। इस मामले के तथ्यों में, जहां धारा 12 के तहत कार्यवाही के संबंध में विचाराधीन वाद हैं, अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों का अस्तित्व दीवानी कार्यवाही में प्रासंगिक और स्वीकार्य है। [पैरा 129] [266-एफ-एच] 7.1 डी. वी. अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही ऐसी कार्यवाही है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा नियंत्रित की जानी है।

मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया डी. वी. अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रदान की गई है और डी. वी. अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, धारा 12,18,19,20,21,22 और 23 के तहत सभी कार्यवाही और धारा 31 के तहत अपराध निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होंगेः

इसमें पक्षकारों को साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देना शामिल है। इसलिए, डी. वी. अधिनियम के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, पक्षकार हो सकते हैं - साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति। हालांकि, धारा 12 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि

मजिस्ट्रेट केवल सुरक्षा अधिकारी से प्राप्त घरेलू घटना की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर सकता है या

सेवा प्रदाता। डी. वी. अधिनियम की धारा 36 के अनुसार भी, डी. वी. अधिनियम के प्रावधान [2020] 12 एस. सी. आर. के अतिरिक्त होंगे, न कि इसके अतिरिक्त।

डी. वी. अधिनियम की धारा 23 के अनुसार। [पारस 130,131] [266-एच; 267-ए-ई] 7.2 धारा 25 (2) के साथ पठित धारा 12 (2) और धारा 26 (3) पर विचार करते हुए, यहां तक कि विधानमंडल ने भी दोनों की परिकल्पना की।

स्वतंत्र कार्यवाही, एक डी. वी. अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष और दूसरी डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही। यहां तक कि दीवानी न्यायालय को भी डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट द्वारा पहले से दी गई राहत को ध्यान में रखना होगा और इसके विपरीत। हालाँकि, उसी समय, किसी मामले में धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध किसी भी राहत की मांग पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही में की जाती है।

दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत, जिसमें निवास आदेश भी शामिल है, पीड़ित व्यक्ति को प्रमुख साक्ष्य द्वारा संतुष्ट करना होता है कि घरेलू हिंसा हुई है और केवल साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, धारा 19 के तहत उपलब्ध राहत दी जा सकती है। [पारस 132,133,134] [267-ई-एच] 7.3 धारा 19 के तहत निवास का आदेश पारित करते समय, विशेष रूप से उप-धारा 19 (1) (बी) के तहत धारा 19 (1) के परंतुक के अनुसार, खंड (बी) के तहत कोई आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पारित नहीं किया जाएगा जो एक महिला है। इसलिए, के संयुक्त पठन पर

डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (2), 17,19,20,22,23,25,26 और 28 के तहत यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि डी. वी. अधिनियम और

और हिंदू गोद लेने और रखरखाव के तहत राहत के लिए एक दीवानी अदालत/पारिवारिक अदालत के समक्ष रखरखाव के लिए कार्यवाही एक्ट करें। हालांकि, एक मंच द्वारा पारित निष्कर्षों/आदेशों पर दूसरे मंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 136] [268-ए-डी]

नवनीत अरोड़ा बनाम। सुरेंद्र कौर और ओआरएस। , (2014) एससीसी

ऑनलाइन डेल 7617; मारिया मार्गारिडा सिक्वेरा फर्नांडीस और ओआरएस। वी. इरास्मो जैक डी सिक्वेरा (2012) 5 एस. सी. सी. 370: [2012] 3 एस. सी. आर. 841; हिमानी अलॉयज लिमिटेड सतीश चंद्र आहुजा बनाम।

स्नेहा आहुजा

वी. टाटा स्टील लिमिटेड, (2011) 15 एससीसी 273: [2011]

7 एससीआर 60; एस. एम. आसिफ बनाम। विरेन्द्र कुमार बजाज (2015)

9 एससीसी 287: [2015] 9 एस. सी. आर. 17; रजिया बेगम बनाम।

साहेबज़ादी अनवर बेगम और अन्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 886

: [1959] एस. सी. आर. 1111; रमेश हीराचंद कुंदनमल बनाम।

ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य,

(1992) 2 एससीसी 524: [1992] 2 एस. सी. आर. 1; एम. एस. शेरिफ और

एन. आर. वी. मद्रास राज्य और अन्य। , आकाशवाणी 1954 एससी 397:

[1954] एस. सी. आर. 1144; एस. एम. जकाती और अन्र। वी. एस. एम. बोरकर और ओआरएस। , ए. आई. आर 1959 एस. सी. 282 [1959] एस. सी. आर. 1384;

जी. प्रेमशंकर बनाम पुलिस निरीक्षक और एन. आर. , (2002) 8 एस. सी. सी. 87 [2002] 2 पूरक। एससीआर 350; इकबाल सिंह

मारवाह और अन्र। वी. मीनाक्षी मारवाह और अन्र। ,

(2005) 4 एससीसी 370: [2005] 2 एससीआर 708; सेठ रामदयाळ

जाट बनाम. लक्ष्मी प्रसाद (2009) 11 एस. सी. सी. 545: [2009]

7 एस. सी. आर. 17; विष्णु दत्त शर्मा बनाम। दया सप्रा, (2009)

13 एससीसी 729: [2009] 7 एस. सी. आर. 977; किशन सिंह (मृत)

एलआर के माध्यम से। वी. गुरपाल सिंह और अन्य। , (2010) 8 एससीसी

775 [2010] 10 एस. सी. आर. 16; के. सुब्रमण्यन बनाम। निदेशक

पशुपालन, चेन्नई, (2009) 1 एमएलजे 363

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 9 एससीआर 515

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

[1987] 3 एससीआर 1184

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2016] 2 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1978] 3 एससीआर 782

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[2017] 6 एससीआर 356

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

[2007] 4 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[2019] 10 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[1977] 1 एससीआर 878

संदर्भित किया गया है

पैरा

51

[2009] 1 एससीआर 1109

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[2006] 10 पूरक। एससीआर 1206

सही कानून नहीं

पैरा

64

[2008] 4 एससीआर 1077

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

65

[2012] 3 एससीआर 84

संदर्भित किया गया है

पैरा 79 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2011] 7 एससीआर 60

संदर्भित किया गया है

[2015] 9 एस. सी. आर. 17

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

[2003] 5 पूरक। एससीआर 98

उस पर भरोसा करें

[1959] एससीआर 1111

संदर्भित किया गया है

[1992] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 1144

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर 1384

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 पूरक। एससीआर 350

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 708

संदर्भित किया गया है

[2009] 7 एससीआर 17

संदर्भित किया गया है

[2009] 7 एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल

2020 से।

18.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के आर. एफ. ए. सं. 381 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा।

निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। प्रभजीत जौहर, सुश्री.

श्री एस. एस. जौहर, मोहित पॉल, प्रशांत मेहता, एच. सुश्री प्राची मेहता, प्रतीक ढांडा, सुश्री सुनैना पी. एडवस। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील महत्वपूर्ण सवाल उठाती है

महिला संरक्षण की व्याख्या और कार्यप्रणाली हिंसा अधिनियम, 2005 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)

3. यह अपील सतीश चंदर ने दायर की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित फैसले पर सवाल उठाते हुए No.381/2019 जिसके निर्णय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में दिनांक 08.04 सतीश चंद्र आहुजा v.

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता का बारहवाँ नियम 6, वादी द्वारा अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किए गए मुकदमे का आदेश देता है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित वादी इस अपील में आया है।

4. हम मामले के संक्षिप्त तथ्यों और उन प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए पक्षों के प्रासंगिक अभिवचनों पर ध्यान दे सकते हैं जो उत्पन्न हुए हैं।

इस अपील पर विचार करें।

5. अपीलार्थी ने दिनांकित विलेख द्वारा 12.01.1983 खरीदी गई संपत्ति

नंबर डी-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली। अपीलार्थी के बेटे, रवीन आहूजा की शादी प्रतिवादी स्नेहा आहूजा से 04.03.1995 पर हुई थी। विवाह के बाद प्रत्यर्थी अपने पति के साथ नई दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में घर संख्या डी-1077 की पहली मंजिल पर रहने लगी। जुलाई, 2014 में रवीन और स्नेहा के बीच वैवाहिक कलह होने के कारण, रवीन पहली मंजिल से बाहर चले गए और भूतल के अतिथि कक्ष में रहने लगे। वर्ष 2004 में घर की पहली मंजिल पर प्रतिवादी द्वारा एक अलग रसोई शुरू की गई थी। प्रतिवादी के पति रवीन ने प्रतिवादी स्नेहा आहूजा के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) और (iii) के तहत 28.11.2014 पर तलाक की याचिका दायर की।

जिसके बारे में कहा जाता है कि कार्यवाही अभी भी लंबित है। प्रत्यर्थी स्नेहा आहूजा ने <ID1, यानी तलाक याचिका दायर करने के बाद अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें रवीन आहूजा को प्रत्यर्थी संख्या 1, श्री सतीश आहूजा, प्रत्यर्थी संख्या 2 और डॉ. प्रेम कांता के रूप में आरोपित किया गया। आहूजा (प्रत्यर्थी की सास), प्रत्यर्थी सं. 3। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि स्नेहा आहूजा को प्रतिवादियों द्वारा गंभीर भावनात्मक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया गया है। आवेदन में प्रतिवादी ने अधिनियम, 2005 के तहत कई आदेशों के लिए अनुरोध किया। विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिनके समक्ष शिकायत दायर की गई थी, ने निम्नलिखित प्रभाव से 26.11.2016 पर एक अंतरिम आदेश पारित कियाः

" प्रत्यर्थी कथित साझा परिवार को अलग नहीं करेंगे और न ही वे सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना शिकायतकर्ता या उनके बच्चों को उसी से बेदखल करेंगे। ये दिशा-निर्देश

यह अगली तारीख तक जारी रहेगा।

6. अपीलार्थी ने एक मुकदमा No.792/2017 दायर किया जिसमें प्रतिवादी को अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए और नुकसान/अन्य लाभ की वसूली के लिए भी एकमात्र प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। [2020] 12 एस. सी. आर. में वादी का मामला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा यह था कि वह 76 वर्ष का एक वरिष्ठ नागरिक है, प्रतिवादी दो शयनकक्षों के कब्जे में है जिसमें संलग्न कपड़े और स्नान कक्ष हैं।

शांति से जीवन व्यतीत करें। वादी ने आगे दलील दी कि वादी ने पिछले मालिक, कुलभूषण जैन से 12.01.1983 पर घर हासिल किया था। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि संपत्ति को उनके पक्ष में दिनांक 14.07.2003 में निष्पादित वाहन विलेख के माध्यम से फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया गया है जो है पंजीकृत किया। वादी ने दलील दी कि उसके बड़े बेटे की शादी 04.03.1995 पर प्रतिवादी के साथ हुई थी। वादी ने आगे दलील दी कि वादी की पत्नी को कई मौकों पर प्रतिवादी के हाथों विभिन्न धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। तलाक का उल्लेख

प्रतिवादी वादी के खिलाफ निवास के अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं है, अर्थात, उसके ससुर जिनका अपने पति के जीवनकाल के दौरान उसका पालन-पोषण करने का कोई दायित्व नहीं है। मुकदमे में वादी ने डिक्री के लिए प्रार्थना की

प्रतिवादी के खिलाफ संपत्ति की पहली मंजिल से खुद को और उसकी संपत्ति को हटाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा और वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जिससे प्रतिवादी, उसके एजेंट, कर्मचारी, प्रतिनिधि आदि को किसी भी तरह से वाद संपत्ति में वादी के अधिकार में हस्तक्षेप या बाधा पैदा करने से रोका जा सके और उसे हस्तक्षेप करने से रोका जा सके।

संपत्ति के भूतल पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में। मुकदमा दायर करने की तारीख से जब तक प्रतिवादी को मुकदमा संपत्ति से हटा नहीं दिया जाता है, तब तक 1 लाख रुपये की मुकदमा संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान/अन्य लाभ की वसूली का फरमान भी कहा गया था।

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

8. प्रतिवादी द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि वादी द्वारा संयुक्त परिवार निधि के माध्यम से घर की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था

और न कि उसकी स्व-अर्जित संपत्ति। लिखित बयान में यह दलील दी गई थी कि वादी ने इस संबंध में सही और भौतिक तथ्यों को दबा दिया है। वादी, उसकी पत्नी और उनके बड़े बेटे द्वारा घरेलू हिंसा आदि के कारण प्रतिवादी को शारीरिक और मानसिक यातना देना।

9. प्रतिवादी ने इसके तहत शिकायत मामला दर्ज करने का भी उल्लेख किया

अधिनियम, 2005 की धारा 12। प्रतिवादी ने दावा किया कि मुकदमा संपत्ति अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओं) के प्रावधान के अनुसार एक साझा घर है, प्रतिवादी को साझा घर में रहने/रहने का अधिकार है। वादी ने मुकदमे की संपत्ति में प्रतिवादी और उसकी बेटियों के निवास के कानूनी अधिकार से वंचित करने के लिए अपने बेटे रवीन आहूजा की मिलीभगत से मुकदमा दायर किया है। यह आगे अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी को वादी, उसकी पत्नी और उनके बड़े बेटे द्वारा गंभीर भावनात्मक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया गया है। प्रतिवादी आगे दलील देता है कि चूंकि विवाह प्रतिवादी पहली मंजिल के साझा घर में रह रहा है जो प्रतिवादी का वैवाहिक घर है। दिनांकित शिकायत मामले में पारित अंतरिम आदेश

16.07.2016 और 26.11.2016 को भी संदर्भित किया गया है।

10. वादी ने अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन में प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रवेश के आधार पर डिक्री पारित करने के लिए 05.01.2018 पर 05.01.2018 पर आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया। वादी ने दलील दी कि विचाराधीन संपत्ति वादी की स्व-अर्जित संपत्ति है जिसे दिनांकित 12.01.1983 बेचने के समझौते के बाद दिनांकित 14.07.2003 का पंजीकृत हस्तांतरण विलेख है। अभियुक्त ने

घरेलू हिंसा के मामले में दायर अपनी दलीलों में स्वयं ने वादी को वाद संपत्ति का मालिक स्वीकार किया, इसलिए, वादी के पक्ष में अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री दी जाए। 11. प्रतिवादी ने दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए आदेश XI नियम 12 और 14 सी. पी. सी. के तहत 23.09.2017 पर एक आवेदन दायर किया। आवेदन के पैराग्राफ 7 में, प्रतिवादी ने विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया जो प्रतिवादी के अनुसार मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक थे। आवेदन द्वारा वादी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने दिनांकित 20.03.2018 के आदेश के माध्यम से वादी को आदेश XI नियम 13 के तहत आवेदन में मांगे गए एक हलफनामे और दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया, जो उसकी हिरासत में हैं और विपरीत की अग्रिम प्रति के साथ हैं।

पार्टी। प्रतिवादी द्वारा आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन पर 15.02.2018 पर जवाब दायर किया गया था। प्रतिवादी ने फिर से दोहराया कि साझा घर वादी द्वारा संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था और घर उसकी स्व-अर्जित संपत्ति नहीं है।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. वादी ने निचली अदालत के दिनांकित आदेश के अनुपालन में आदेश XI नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक हलफनामा और दस्तावेज भी दायर किए

20.03.2018 .

13. ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा दायर आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढ़े। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 08.04.2019 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित तरीके से मुकदमे का फैसला सुनाया हैः

15 दिनों के भीतर वादी। आदेश की घोषणा के समय, इस न्यायालय ने वादी से पूछा कि क्या वह अपने मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहता है नुकसान की राहत जिसके लिए वह उक्त राहत को माफ करने के लिए सहमत हुए। तदनुसार, वादी का बयान भी इस आशय से दर्ज किया गया था। तदनुसार, नुकसान की राहत वापस ले ली जाती है। स्थायी और स्थायी राहत के लिए डिक्री शीट तैयार की जाए

तदनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। फाइल को अभिलेख कक्ष में भेजा जाए। जैसा कि अनुरोध किया गया है, इसकी प्रति

फैसला दस्ती दिया जाए। "

14. निचली अदालत के फैसले से नाराज प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2019 का आर. एफ. ए. No.381 दायर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा पांच अन्य आर. एफ. ए. एस. के साथ दायर आर. एफ. ए. की सुनवाई की और एक सामान्य निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा आर. एफ. ए. के आदेश को रद्द कर दिया।

निचली अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 56 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को भेज दिया।

15. उच्च न्यायालय ने विद्वान वकील द्वारा की गई विभिन्न अपीलों और प्रस्तुतियों के तथ्यों पर ध्यान दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि

अपील में निर्धारण का वास्तविक बिंदु यह नहीं है कि मुकदमा परिसर एक साझा घर है या नहीं और चूंकि बहू द्वारा शुरू की गई घरेलू हिंसा की कार्यवाही निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए मुकदमे की कार्यवाही में इस मुद्दे के निर्धारण के परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा की कार्यवाही में आवेदक के दावे पर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने जानबूझकर इस प्रश्न का निर्धारण करने से परहेज किया था कि क्या मुकदमा परिसर सतीश चंद्र आहुजा बनाम साझा है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

गृहस्थ हो या न हो। उच्च न्यायालय का विचार था कि उद्धृत निर्णयों ने दीवानी मुकदमे पर बहू द्वारा स्थापित लंबित घरेलू हिंसा आवेदन के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कब्जा के लिए दायर किए गए मुकदमे को गैर-रखरखाव योग्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आवश्यक उत्तर अवधि के भीतर आता है।

" कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि सवाल यह है कि क्या मुकदमा न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में वैधानिक अधिकार के प्रभाव का वजन किए बिना स्वामित्व के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 33 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

. इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि डी. वी. अधिनियम लाने की इच्छा रखता है

" 33 .....

घरेलू प्रभाव से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों में एक समुद्री परिवर्तन में

मुकदमे के स्वामित्व की परवाह किए बिना यह सुनिश्चित करके हिंसा

वह परिसर जहाँ पीड़ित व्यक्ति रहता था, वह तब भी अपने पास रखेगी

उसमें रहने का अधिकार जब तक वह यह साबित करने में सक्षम थी कि

उसने घर में रहने के दौरान घरेलू हिंसा झेली थी ऐसे परिसर के मालिक के साथ संबंध।

16. उच्च न्यायालय ने राय दी कि निचली अदालत ने गलती की

आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ते हुए पति को आरोपित नहीं किया और प्रत्यर्थी के अधिकार को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी के विशिष्ट प्रस्तुतिकरण की सराहना करने में विफल रहे कि मुकदमा परिसर संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी, लेकिन डी. वी. अधिनियम का स्थान भी खो दिया। द.

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पैराग्राफ 56 में निम्नलिखित प्रभाव के लिए निहित हैंः

" 56. इन परिस्थितियों में, विवादित निर्णय नहीं हो सकते हैं

बनाए रखा जाता है और तदनुसार अलग रखा जाता है। मामले रिमांड पर लिए गए हैं।

के अनुसार नए निर्णय के लिए परीक्षण न्यायालय में वापस जाएँ नीचे दिए गए निर्देशः

(i) पहली बार में, उन सभी मामलों में जहां प्रत्यर्थी के बेटे/अपीलार्थी के पति को शामिल नहीं किया गया है, निचली अदालत अपने स्वतः संज्ञान को लागू करके उसके पक्ष को निर्देशित करेगी।

((ii) विचारण न्यायालय तब विचार करेगा कि क्या अपीलार्थी

वाद परिसर के संबंध में प्रत्यर्थी के स्वामित्व अधिकारों के बारे में कोई स्पष्ट स्वीकार किया था; यदि उसके पास है और वहाँ से बेदखल होने का उसका एकमात्र बचाव डी. वी. अधिनियम के तहत उसके निवास का अधिकार है, फिर विचारण न्यायालय, [2020] 12 एस. सी. आर. के समक्ष करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पत्नी के आधार पर अधिकार की डिक्री पारित करना

स्वामित्व अधिकार, यह सुनिश्चित करें कि डी. वी. अधिनियम के तहत अपीलार्थी के जीवित रहने के अधिकारों को देखते हुए, उसे डी. वी. अधिनियम की धारा 19 (1) (एफ) के अनुसार एक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाता है, जो उसे उसके जीवित रहने तक प्रदान किया जाता रहेगा।

वैवाहिक संबंध।

(iii) ऐसे मामलों में जहां अपीलकर्ता विशेष रूप से वाद परिसर पर प्रत्यर्थियों के अनन्य स्वामित्व अधिकारों पर विवाद करता है, उनके पक्ष में स्वामित्व दस्तावेजों के बावजूद, ट्रायल कोर्ट, उसे नेतृत्व करने का अवसर देते हुए

उसके दावे के समर्थन में साक्ष्य, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आवेदनों पर अंतरिम आदेश पारित करने का हकदार होगा, जिसमें अपीलार्थी को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन मुकदमा परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाएगाः

अनुभाग के तहत उसके लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास

19 (1) (च) डीवी अधिनियम, कौन सा निर्देश भी विषय होगा

मुकदमे के अंतिम परिणाम तक।

((iv) यह निर्धारित करते समय कि क्या अपीलार्थी का पति

(ऊपर)। (v) विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।

यह सुनिश्चित करने के लिए जगह में रखें कि वैकल्पिक के लिए दिशा

आवास को अर्थहीन नहीं माना जाता है और यह कि अपीलार्थी के लिए उसके वैवाहिक संबंध के निर्वाह के दौरान एक आश्रय विधिवत सुरक्षित किया जाता है। (vi) अपीलार्थी को मुकदमा खाली करने का निर्देश देने की यह कवायद

उसे वैकल्पिक आवास प्रदान करके परिसर होगा

तेजी से पूरा किया गया और 6 महीने के बाद नहीं

आज "।

7. वादी-उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित अपीलार्थी

इस अपील में ted 18.12.2019 सामने आया है।

3. हमने श्री प्रभजीत जौहर को सुना है, जो टी के विद्वान वकील हैं। श्री निधेश गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील, ओन्डेंट की ओर से पेश हुए। हमने संबद्ध सतीश चंद्र आहुजा बनाम में विद्वान वरिष्ठ सुश्री गीता लूथरा और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण को भी सुना है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

2020 का एस. एल. पी. (सी) No.9415 जिसमें पार्टियों ने समझौता किया है। 19. अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री प्रभजीत जौहर का तर्क है कि मुकदमा संपत्ति जो विशेष रूप से अपीलार्थी के स्वामित्व में है, एक अधिकार नहीं है।

वर्ष 1983 में संपत्ति, उस समय अपीलार्थी का बेटा केवल 14 बरसों पुराना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी केवल उस घर में रहने के अधिकार का दावा कर सकता है जो या तो संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है या प्रत्यर्थी के पति का इसमें हिस्सा है। पति के पिता की संपत्ति में, उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एस. आर. बत्रा और अन्न मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। बनाम तरुणा बत्रा, (2007) 3 एस. सी. सी. 169, जहाँ इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी केवल धारा 17 (1) के तहत एक साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करने की हकदार है और एक साझा घर का अर्थ केवल पति द्वारा किराए पर लिया गया या लिया गया घर होगा, या वह घर जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसका पति सदस्य है।

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत केवल दिनांकित तलाक याचिका का एक जवाबी विस्फोट था

पीड़ित व्यक्ति के लिए साझा घर में स्वामित्व का अधिकार। श्री जौहर आगे प्रस्तुत करते हैं कि वैकल्पिक आवास के लिए उनके दावे को पति के लिए किया जा सकता है न कि ससुर के लिए क्योंकि घर में उनका रिश्ता विवाह के अनुसार उत्पन्न होता है और पिता-इन-लॉ कानूनी दायित्व के तहत नहीं हो सकता है

पुत्रवधू का निवास और रखरखाव। श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि जब तक धारा 2 (ओं) के तहत साझा घर की परिभाषा की व्याख्या साझा घर की परिभाषा को संयुक्त परिवार या उस संपत्ति तक सीमित नहीं किया जाता है जहां पति का हिस्सा है, तब तक यह सृजित होगा।

समाज में अराजकता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि साझा परिवार की व्यापक व्याख्या समाज में अराजकता का कारण बनेगी जिससे समाज में शांति और सद्भाव की रक्षा के लिए बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि

मुकदमे में व्याख्या द्वारा सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाया जाना चाहिए ताकि पक्षों के अधिकार संतुलित हों। श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर अपने आवेदन में, प्रतिवादी ने वैकल्पिक आवास के लिए कहा है।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की बाध्यकारी प्राथमिकता का पालन नहीं करने में त्रुटि की है। श्री. जौहर प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-मालिक द्वारा दायर मुकदमे में कभी भी जवाबी दावा दायर नहीं किया, न ही संपत्ति के संयुक्त पारिवारिक संपत्ति होने के अपने दावे की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न अपीलों के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया है और सभी अपीलों का निर्णय साक्ष्य का उल्लेख किए बिना एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था और

प्रत्येक अपील में अलग-अलग अभिवचन। ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष है अपीलार्थी के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया। श्री जौहर आगे प्रस्तुत करते हैं कि ससुर द्वारा दायर मुकदमे में पति एक आवश्यक पक्ष नहीं है। श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालत ने अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में की गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत मुकदमे का सही फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने एस. आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा में इस न्यायालय के बाध्यकारी फैसले का पालन नहीं किया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। श्री जौहर प्रस्तुत करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 जैसे अन्य कानूनों में पत्नी के अधिकार केवल पति के खिलाफ हैं।

22. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता ने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील की प्रस्तुति का खंडन करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। श्री गुप्ता उस अधिनियम को प्रस्तुत करते हैं,

2005 महिला को निवास की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया। श्री गुप्ता ने धारा 2 (च) के तहत घरेलू संबंधों की परिभाषा का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी अपीलार्थी के साथ घरेलू संबंध में था और अपीलार्थी धारा 2 (क्यू) के अर्थ के भीतर प्रतिवादी था, जिसके खिलाफ धारा 12 के तहत याचिका में घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। श्री गुप्ता ने धारा 2 (ओं) के तहत साझा घर की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिवादी के साथ निवास और घरेलू संबंधों का तथ्य साझा घर की परिभाषा के दायरे में आने के लिए एकमात्र योग्यता है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि साझा परिवार की परिभाषा का दूसरा भाग व्यापक प्रकृति का है जो कुछ उदाहरण देता है

आज तक ऐसा करना जारी है, संपत्ति साझा घर है जहाँ अपीलार्थी रह रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि साझा परिवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित होना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि सतीश के पति चंदर आहुजा बनाम।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

घर में महिला का कोई भी अधिकार, अधिकार या हित होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 17 के तहत सुरक्षा सभी कानूनी कार्यवाही में उपलब्ध है।

जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा भी शामिल है।

इस न्यायालय के श्री गुप्ता ने S.R.Batra बनाम तरुणा बत्रा मामले में कहा कि उक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त मामला अधिनियम, 2005 से पहले का मामला था और दूसरा तरुणा बत्रा ने स्वीकार किया कि सूट की स्थापना के समय वह अपने माता-पिता के निवास पर चली गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि तरुणा बत्रा उस घर में नहीं रह रही थीं, जिसका निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि एस. आर. बत्रा मामले में इस न्यायालय का निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि एस. आर. बत्रा मामले में "साझा परिवार" की परिभाषा का सही विश्लेषण नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी की परिभाषा में केवल पति शामिल नहीं है। पति के रिश्तेदार जिन्होंने पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा का व्यवहार किया है, उन्हें प्रतिवादी के रूप में रखा जा सकता है। साझा परिवार की परिभाषा का विस्तार केवल उस संपत्ति तक करने का कोई कारण नहीं है जिसमें पति का हिस्सा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. आर. बत्रा ने इस बात की सराहना नहीं की है कि साझा परिवार की परिभाषा का दूसरा भाग केवल चित्रण है और संपूर्ण नहीं है। S.R.Batra ने भी उस विकल्प को धारण करने में गलती की

धारा 19 के तहत समायोजन केवल पति के खिलाफ लागू किया जा सकता है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि एस. आर. बत्रा का निर्णय अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं करता है। इस न्यायालय के दो बाद के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अर्थात् हीराल पी. हरसोरा और अन्य बनाम।

कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा और अन्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 165, और वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम। नानासाहेब गोपाल जोशी, (2017) 14 एस. सी. सी. 373, श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त दो निर्णयों ने एस. आर. बत्रा मामले में निर्धारित कानून के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रस्तुत आदेश बारहवें नियम 6 के तहत कोई डिक्री देने का मामला नहीं था, प्रतिवादी ने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि सूट संपत्ति संयुक्त परिवार निधि से खरीदी गई थी। श्री गुप्ता ने विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड में लाए गए थे जो दर्शाते हैं कि संयुक्त परिवार निधि का उपयोग सूट संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील की प्रस्तुति का समर्थन करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण का तर्क है कि बहू के अधिकार केवल पति के अधिकार की सीमा तक हैं।

उत्तरदाता। वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 2 (ओं) की परिभाषा में 'शामिल' शब्द का अर्थ और शामिल है। शब्द का उल्लेख करते हुए श्री भूषण ने भारत की जनगणना द्वारा दी गई परिभाषा का उल्लेख किया जिसमें आम रसोई घर की पूर्व आवश्यकता है।

25. सुश्री गीता लूथरा श्री निधेश गुप्ता के निवेदन का समर्थन करते हुए कहती हैं कि ससुर का परिवार बहू का साझा परिवार होगा जहां वह शादी के बाद से रह रही हैं। सुश्री लूथरा इवनित सिंह बनाम प्रशांत मामले में दिल्ली अदालत के फैसले पर निर्भर हैं।

चौधरी, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 4507, इवनित सिंह बनाम प्रशांत चौधरी, 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 4651 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय और प्रीति सतीजा बनाम राज कुमारी और अन्न में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। , 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 188

26. पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया है जिन पर हम विचार करेंगे।

पक्षकारों की दलीलों पर विस्तार से विचार करते हुए।

27. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से इस अपील में निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

(1)

क्या धारा 2 (ओं) के तहत साझा घर की परिभाषा

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि साझा परिवार केवल वही परिवार हो सकता है जो संयुक्त परिवार का परिवार हो या पीड़ित व्यक्ति के किस पति का हिस्सा हो?

(2)

चाहे एस. आर. बत्रा और ए. एन. आर. में इस न्यायालय का निर्णय हो।

बनाम तरुणा बत्रा, (2007) 3 एस. सी. सी. 169 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओं) के प्रावधान की सही व्याख्या नहीं की है और ऐसा नहीं है। एक सही कानून बनाएँ?

क्या उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है

(3)

अपीलार्थी द्वारा दायर उस वाद का आदेश बारहवें नियम 6 सी. पी. सी. के तहत आदेश नहीं दिया जा सकता था?

क्या, जब प्रतिवादी अपने लिखित बयान में

(4)

उसने दलील दी कि सूट संपत्ति उसका साझा घर है और वह सतीश चंद्र आहुजा बनाम।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

यदि उसे उसमें रहने का अधिकार है, तो विचारण न्यायालय प्रतिवादी के ऐसे दावे पर निर्णय लिए बिना वादी के मुकदमे का फैसला कर सकता था, जिसके अनुसार निर्णय लेने की अनुमति थी।

अधिनियम, 2005 की धारा 26?

(5)

क्या वाद में वादी इस अपील को जन्म दे रहा है

अधिनियम, 2005 की धारा 2 (छ) की परिभाषा के अनुसार प्रतिवादी कहा जा सकता है?

(6)

"सेव इन" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ और विस्तार है?

अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में होने वाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार?
क्या पीड़ित पक्ष (प्रतिवादी) का पति है

(7)

वादी द्वारा दायर मुकदमे में आवश्यक पक्षकार

प्रतिवादी?

(8)

धारा 19 के तहत पारित आदेशों का क्या प्रभाव पड़ता है?

अधिनियम, 2005 क्या सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालय में शुरू की गई कार्यवाही में अंतरिम या अंतिम रूप से पारित किया गया?

28. उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने से पहले, हमें घरेलू महिलाओं से महिलाओं के संरक्षण की सांविधिक योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिंसा अधिनियम, 2005।

29. किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। समान अधिकारों की गारंटी और

भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए विशेषाधिकारों ने इस देश में महिलाओं की स्थिति में बदलाव की दिशा में एक कदम उठाया था।

30. इस देश में घरेलू हिंसा व्याप्त है और कई महिलाओं को किसी न किसी रूप में या लगभग हर बार हिंसा का सामना करना पड़ता है।

हालाँकि, यह क्रूर व्यवहार का सबसे कम रिपोर्ट किया गया रूप है। एक महिला अपने जीवनकाल में एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक साथी या एक एकल महिला के रूप में स्थायी हिंसा और भेदभाव के कभी न खत्म होने वाले चक्र में अपने भाग्य का त्याग करती है। महिलाओं द्वारा इस गैर-प्रतिशोध के साथ-साथ महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों का अभाव, महिलाओं के लिए बनाए गए मौजूदा कानूनों की अज्ञानता और सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं को असुरक्षित बनाता है। घरेलू हिंसा के अधिकांश मामले कभी भी रिपोर्ट नहीं किए जाने का कारण समाज के सामाजिक कलंक और स्वयं महिलाओं के रवैये के कारण है, जहां महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल अपने पुरुष समकक्षों के बल्कि पुरुष के रिश्तेदारों के भी अधीन हों।

कार्यवाही, पीड़ित के लिए कोई आपातकालीन राहत/राहत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, शादी के बाहर के संबंधों को मान्यता नहीं दी गई थी। परिस्थितियों के इस समूह ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश महिलाएं मौन में पीड़ित होना पसंद करती हैं, पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी से।

32. अधिनियम, 2005 का अधिनियमन संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर है

इस देश में औरतें उद्देश्यों और कारणों का विवरण

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 उस उद्देश्य को चिह्नित करता है जिसे अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। यह वस्तुओं और कारणों के कथन को पुनः प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी है, जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

" 4. विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान करना चाहता है:

(i) यह उन महिलाओं को शामिल करता है जो इसमें हैं या रही हैं।

दुर्व्यवहार करने वाले के साथ एक संबंध जहां दोनों पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहे हैं और रक्त संबंध, विवाह या विवाह या गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा, एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी शामिल हैं। यहां तक कि वे महिलाएँ जो बहनें, विधवाएँ, माताएँ, एकल महिलाएँ हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी सुरक्षा की हकदार हैं।

कानून। हालाँकि, जबकि विधेयक विवाह की प्रकृति के संबंध में रहने वाली पत्नी या महिला को पति या पुरुष साथी के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ प्रस्तावित अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है, यह पति या पुरुष साथी की किसी भी महिला रिश्तेदार को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं बनाता है।

पत्नी या महिला साथी।

XXXXXXXXXXXXXXX

((iii) यह महिलाओं के आवास को सुरक्षित करने के अधिकारों का प्रावधान करता है। यह एक महिला के अपने वैवाहिक घर या साझा घर में रहने के अधिकार का भी प्रावधान करता है, चाहे उस घर या घर में उसका कोई अधिकार या अधिकार हो या न हो।

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

यह अधिकार निवास आदेश द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसे पारित किया जाता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा।

XXXXXXXXXXXXX "

33. उद्देश्यों और कारणों का कथन तीन को संदर्भित करता है

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहाँ पक्षों को सिफारिशें की गई थीं, राज्य परिवार के भीतर होने वाली हिंसा सहित महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कानून सहित उपाय करने के लिए। जनरल

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की सिफारिश No.XII में कहा गया हैः

" सामान्य अनुशंसा संख्या 12

(आठवाँ सत्र, 1989)

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

भेदभाव उन्मूलन समिति

औरतें।

इस बात पर विचार करते हुए कि कन्वेंशन के अनुच्छेद 2,5,11,12 और 16

राज्य दलों से महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है

परिवार के भीतर, कार्यस्थल पर या किसी भी प्रकार की घटना

सामाजिक जीवन का कोई अन्य क्षेत्र।

34. इस अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले ही, न्यायमूर्ति सव्यसाची

बी. आर. मेहता बनाम में मुखर्जी। आत्मा देवी और ओआरएस। , (1987) 4 एस. सी. सी. 183 ने नोट किया है कि वैवाहिक घर में व्यवसाय का अधिकार जो इंग्लैंड में वैवाहिक घर अधिनियम, 1967 के तहत दिया जाता है, भारत में प्रदान नहीं किया जाता है, हालांकि यह हो सकता है कि स्थिति में बदलाव और उत्पन्न होने वाली जटिल समस्याओं के साथ, पत्नी या पति या पत्नी को व्यवसाय का अधिकार देने का यह सही समय है। पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

. इंग्लैंड में पति-पत्नी के अधिकार

“ 6. ....

अब वैवाहिक घर के पति या पत्नी हैं वैवाहिक गृह अधिनियम, 1967 के प्रावधानों द्वारा शासित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, वॉल्यूम। 22 पृष्ठ 650 वैवाहिक घर में व्यवसाय के अधिकारों से संबंधित है और

पैराग्राफ 1047 इस बात से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि जहां एक पति या पत्नी है

किसी संपत्ति के आधार पर आवास पर कब्जा करने का हकदार है या

उसे व्यवसाय में रहने का अधिकार है, और दूसरे पति/पत्नी को नहीं है इस तरह से हकदार, तो पति या पत्नी जो इस तरह से हकदार नहीं हैं, उनके पास कुछ अधिकार हैं [2020] 12 एस. सी. आर.

("व्यवसाय के अधिकार" के रूप में जाना जाता है) जिसका अर्थ है कि यदि कब्जा में है, तो अन्य पति या पत्नी द्वारा निवास घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय एक आदेश द्वारा दी गई अदालत की अनुमति के, यदि कब्जा में नहीं है, तो निवास घर में प्रवेश करने और कब्जा करने के लिए अदालत की अनुमति के साथ एक अधिकार। लेकिन भारत में ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, हालांकि यह हो सकता है कि स्थिति में बदलाव और उत्पन्न होने वाली जटिल समस्याओं के साथ पत्नी या पति या पत्नी को सही मायने में व्यवसाय का अधिकार देने का यह सही समय हो।

वैवाहिक घर, विवाह टूटने की स्थिति में या

पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध

पत्नी।

35. यूनाइटेड किंगडम के कानूनों में, पति या पत्नी के रहने वाले घर पर कब्जा करने के अधिकार, जो वैवाहिक घर रहा है, को वैवाहिक गृह अधिनियम, 1967 में शामिल किया गया था। अधिनियम की धारा 1 (1) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" बेदखल आदि के विरुद्ध विवाह से संरक्षण

पति या पत्नी का घर जो संपत्ति आदि के आधार पर हकदार नहीं है कब्ज़ा करें यदि

1. - (1) जहाँ एक पति या पत्नी किसी संपत्ति या ब्याज या अनुबंध के आधार पर या के आधार पर एक आवास पर कब्जा करने का हकदार है

उसे व्यवसाय में रहने का अधिकार देने वाला कोई अधिनियम, और दूसरा पति या पत्नी इस तरह से हकदार नहीं है, तो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, पति या पत्नी जो इस तरह से हकदार नहीं हैं, उनके पास निम्नलिखित होंगे:

अधिकार (इस अधिनियम में "व्यवसाय के अधिकार" के रूप में संदर्भित) -

(क) यदि कब्जा में है, तो दूसरे पति या पत्नी द्वारा आवास या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं होने का अधिकार।

इस धारा के तहत एक आदेश द्वारा दी गई अदालत की अनुमति के अलावा;

(ख) यदि कब्जा में नहीं है, तो अदालत की अनुमति के साथ निवास में प्रवेश करने और कब्जा करने का अधिकार दिया गया है।

36. बाद के अधिनियमन द्वारा, वैवाहिक गृह अधिनियम, 1983, हालांकि वैवाहिक गृह अधिनियम, 1967 को निरस्त कर दिया गया था, वही संरक्षण

धारा 1 (1) के आधार पर जारी रखा गया, जो उसी प्रभाव से था। परिवार विधि अधिनियम, 1996 यूनाइटेड किंगडम में अधिनियमित किया गया था जहाँ अलग अध्याय "अध्याय IV-पारिवारिक घर और घरेलू हिंसा"

अधिनियमित किया गया। जिसकी धारा 30 का प्रावधान इस प्रकार हैः

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

" 30 घर से संबंधित अधिकार जहाँ एक पति या पत्नी या नागरिक हो।

भागीदार के पास कोई संपत्ति आदि नहीं है।

(1) यह धारा लागू होती है यदि

(क) एक पति या पत्नी या नागरिक भागीदार को अधिकार है कि वह

निवास-के आधार पर घर

((i) एक लाभकारी संपत्ति या ब्याज या अनुबंध; या

((ii) रहने का अधिकार देने वाला कोई अधिनियम।

व्यवसाय; और

(ख) दूसरा पति या पत्नी या नागरिक भागीदार इस प्रकार का हकदार नहीं है।

(2) इस भाग के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित हैं -

अधिकार "गृह अधिकार"
(क) यदि कब्जा में है, तो अनुमति के अलावा आवास-घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बहिष्कृत नहीं होने का अधिकार।

धारा 33 के तहत एक आदेश द्वारा दिए गए न्यायालय के;

(ख) यदि व्यवसाय में नहीं है, तो अदालत की अनुमति के साथ एक अधिकार

इस प्रकार घर में प्रवेश करने और उस पर कब्जा करने के लिए दिया गया।

(3) यदि इस धारा के तहत निवास पर कब्जा करने का अधिकार है

घर या आवास-घर का कोई हिस्सा, कोई भुगतान या निविदा

किसी के द्वारा या उसकी संतुष्टि के लिए किया गया या किया गया अन्य कार्य

मकान को प्रभावित करने वाले किराए, बंधक भुगतान या अन्य खर्चों के संबंध में दायित्व, चाहे वह धारा 40 के तहत किसी आदेश के अनुसरण में किया गया हो या नहीं, उतना ही अच्छा है जितना कि किया गया हो या नहीं।

द्वारा किया गया।

XXXXXXXXXXXX "

37. वैवाहिक घर पर कब्जा करने का अधिकार, जो अब तक भारत में वैधानिक कानून का हिस्सा नहीं था, अधिनियम, 2005 में शामिल किया गया। न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी द्वारा देखे गए इस तरह के कानून की आवश्यकता है

अधिनियम, 2005 के अधिनियमन द्वारा पूरा किया गया।

38. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उद्देश्यों और कारणों के कथन से,

यह अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इस न्यायालय को कुनपारेड्डी उपनाम नुकाला-शंक बालाजी बनाम में अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के उद्देश्य की जांच करने का अवसर मिला था। कुनपारेड्डी स्वर्ण कुमारी और अन्र। , (2016) 11 एस. सी. सी. 774 जिसमें अनुच्छेद 12 निम्नलिखित कहा गया थाः

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 12. वास्तव में, डीवी अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य ही था

एक उपाय प्रदान करने के लिए जो नागरिक अधिकारों का एक समामेलन है शिकायतकर्ता अर्थात पीड़ित व्यक्ति का। रक्षा करने का इरादा था

किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ महिलाएं, विशेष रूप से जो इसके भीतर होती है

सिविल कानून के रूप में परिवार इस घटना को संबोधित नहीं करता है

संपूर्ण। इसे धारा 498-ए के तहत अपराध माना जाता है। दंड संहिता, 1860। कानून बनाने का उद्देश्य यह था कि

होने से महिलाओं की सुरक्षा के लिए नागरिक कानून में एक उपाय

घरेलू हिंसा के पीड़ितों और घटना को रोकने के लिए

समाज में घरेलू हिंसा। यही कारण है कि

अधिनियम की योजना में प्रावधान है कि पहली बार में, आदेश

जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा एक शिकायत पर पारित किया जाएगा

व्यथित व्यक्ति नागरिक प्रकृति का होगा और यदि उक्त आदेश

उल्लंघन किया जाता है, यह आपराधिकता का चरित्र मानता है

99

39. अधिनियम, 2005 सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए एक और कदम है।

कानून। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले भी कई उपाय किए जा चुके हैं जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 Cr.P.C और 498-A। कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम श्रीमती वीणा में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर

कौशल और ओआरएस। , (1978) 4 एस. सी. सी. 70 ने अनुच्छेद 9 में निम्नलिखित शब्दों में धारा 125 Cr.P.C को लागू करने के उद्देश्यों का उल्लेख किया है:

" 9. यह प्रावधान सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित और इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) का संवैधानिक विस्तार। हम.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनों के अनुभागों द्वारा निर्माण की मांग की जाती है

अदालतें भयभीत प्रिंट नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों के साथ जीवंत शब्द हैं।

पूरा करने के लिए। के लिए संवैधानिक सहानुभूति की परेशान करने वाली उपस्थिति

महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों को सूचित करना चाहिए

व्याख्या यदि इसकी सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। तो देखा, यह है

उस व्याख्या को चुनने में चयनात्मक होना संभव है दो विकल्प जो कारण को आगे बढ़ाते हैं

अवहेलना।

40. अधिनियम, 2005 का अधिनियमन इसी दिशा में एक और कदम है।

मनमोहन अट्टावर बनाम नीलम मनमोहन अट्टावर मामले में यह अदालत, (2017) 8 एस. सी. सी. 550 ने देखा कि अधिनियम, 2005 को महिला के निवास के अधिकार के पक्ष में एक हक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 15. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि इससे सतीश चंदर आहुजा बनाम महिला के निवास के अधिकार के पक्ष में एक हक।

स्नेहा आहुजा

[अशोक भूषण, जे।]

"साझा परिवार" के तहत, चाहे उसके पास कोई भी कानूनी अधिकार हो

उसी में रुचि। निर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, विस्थापन को रोकने का आदेश या खुद को हटाने का निर्देश शामिल हो सकता है।

संतुष्ट था कि घरेलू हिंसा हुई थी। "

41. अब, हम अधिनियम, 2005 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देते हैं, जो वर्तमान अपील में उत्पन्न मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 2 (ए) के अनुसार "पीड़ित व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और जो प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाता है। घरेलू संबंध को धारा 2 (च) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" (च) "घरेलू संबंध" से दो व्यक्तियों के बीच का संबंध अभिप्रेत है जो किसी भी समय एक साथ रहते हैं या रहे हैं।

एक साझा घराने में, जब वे रक्त-संबंध से संबंधित होते हैं,

विवाह, या विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते के माध्यम से, गोद लेना या परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं;

42. "प्रतिवादी" अभिव्यक्ति को धारा 2 (क्यू) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" (क्यू) "प्रतिवादी" का अर्थ है कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो है, या

पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में रहा है

और जिनके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने कोई राहत मांगी है

इस अधिनियम के तहत:

बशर्ते कि विवाह की प्रकृति के संबंध में रहने वाली एक व्यथित पत्नी या महिला भी पति के किसी रिश्तेदार या पुरुष साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है।

43. धारा 2 (क्यू) में आने वाले "वयस्क पुरुष" शब्दों को इस न्यायालय द्वारा हीराल पी. हरसोरा और अन्य मामलों में खारिज कर दिया गया है। बनाम कुसुम

नरोत्तमदास हरसोरा और अन्य। , (2016) 10 एससीसी 165। नतीजतन, प्रतिवादी पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में एक महिला भी हो सकती है। अगली परिभाषा, जो ध्यान देने योग्य है, वह है

धारा 2 (ओं), जो साझा परिवार को परिभाषित करती है। साझा घर को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" ((ङ) "साझा घर" से ऐसा घर अभिप्रेत है जहाँ

व्यथित व्यक्ति का जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू जीवन रहा हो।

एकल रूप से या उत्तरदाता के साथ संबंध और इसमें शामिल हैं

ऐसा परिवार चाहे वह [2020] 12 एस. सी. आर. द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो।

पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी, या उसके स्वामित्व या किरायेदार उनमें से कोई भी जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या

प्रत्यर्थी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, ब्याज है।

या इक्विटी और इसमें ऐसा परिवार शामिल है जो संबंधित हो सकता है

संयुक्त परिवार जिसमें से प्रतिवादी एक सदस्य है, चाहे कोई भी हो

साझा घराने में स्वामित्व या ब्याज; 44. धारा 3 "घरेलू हिंसा" को परिभाषित करती है। धारा 4 से 11

अध्याय III में संरक्षण की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है

ers, सेवा प्रदाता आदि। राहत के आदेश प्राप्त करने के लिए अध्याय IV में आने वाली धारा 12 आवेदन के विवरण से संबंधित है।

न्यायधीश। धारा 12 इस प्रकार हैः

" 12.मजिस्ट्रेट को आवेदन। - (1) एक दुखी व्यक्ति

या संरक्षण अधिकारी या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति

व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करनाः

बशर्ते कि ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले,

मजिस्ट्रेट किसी भी घरेलू घटना को ध्यान में रखेगा।

उसके द्वारा सुरक्षा अधिकारी या सेवा से प्राप्त रिपोर्ट प्रदाता।

(2) उप-धारा (1) के तहत मांगी गई राहत में शामिल हो सकते हैं -

संस्थान के लिए ऐसे व्यक्ति के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना नुकसान के कारण हुई चोटों के लिए मुआवजे या नुकसान के लिए एक मुकदमा

प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यः

बशर्ते कि जहां किसी भी राशि के लिए डिक्री

क्षतिपूर्ति या हर्जाना किसी भी अदालत द्वारा पक्ष में पारित किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की, भुगतान की गई या देय राशि, यदि कोई हो,

इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश का पालन

ऐसी डिक्री के तहत देय राशि के खिलाफ बंद कर दिया जाएगा और डिक्री, में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), या उस समय लागू कोई अन्य कानून, शेष राशि के लिए निष्पादन योग्य होगा, यदि -

कोई भी, इस तरह के बंद होने के बाद छोड़ दिया गया।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन इस तरह का होगा।

प्रपत्र और उसमें ऐसे विवरण हों जो विहित किए जाएं या लगभग जितना संभव हो सके।

(4) मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा, जो आम तौर पर प्राप्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक नहीं होगी। अदालत द्वारा आवेदन।

(5) मजिस्ट्रेट प्रत्येक का निपटान करने का प्रयास करेगा।

उप-धारा (1) के तहत साठ की अवधि के भीतर किया गया आवेदन

इसकी पहली सुनवाई की तारीख से कुछ दिन।

45. धारा 17 में प्रावधान है कि घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा। धारा 17 इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

" 17. साझा घर में रहने का अधिकार। - (1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के पास होगा - साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे उसके पास हो या नहीं

उसी में कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी ब्याज।

(2) पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बाहर नहीं किया जाएगा।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं "।

46. धारा 18 सुरक्षा आदेशों से संबंधित है। धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है। धारा 20 मौद्रिक राहत से संबंधित है। धारा 23 अंतरिम और एकतरफा आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। धारा 26 अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में राहत से संबंधित है।

47. अधिनियम, 2005 की रूपरेखा पर संक्षेप में ध्यान देने के बाद, अब हम ऊपर उल्लिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

प्रश्न संख्या। 1 और 2

साझा घर। मुक़दमा संपत्ति अपीलार्थी द्वारा खरीदी गई थी वर्ष 1983 उनके नाम पर। प्रत्यर्थी ने 04.03.1995 पर अपीलार्थी के बेटे से शादी कर ली और शादी के बाद वह सूट संपत्ति की पहली मंजिल पर रह रही थी। जुलाई, 2004 तक प्रतिवादी का पति भी पहली मंजिल पर रहता था, जिसके बाद वैवाहिक कलह के कारण वह भूतल पर अतिथि कक्ष में स्थानांतरित हो गया। अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में, अपीलार्थी ने दलील दी कि वह घर का एकमात्र मालिक है और उसने प्रत्यर्थी, उसकी बहू को घर की पहली मंजिल से हटाने का अनुरोध किया। प्रतिवादी ने मुकदमे में एक लिखित बयान दायर किया था और दावा किया था कि मुकदमे की संपत्ति एक साझा घर है जहाँ [2020] 12 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी को रहने का अधिकार था। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का निवेदन यह है कि परिसर एक साझा घर नहीं है क्योंकि प्रतिवादी के पति का न तो वाद परिसर में कोई हिस्सा है और न ही वाद परिसर एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। अपने निवेदन के समर्थन में, वह एस. आर. बत्रा और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। बनाम तरुणा बत्रा (ऊपर)।

49. धारा 2 (ओं) के तहत साझा परिवार की परिभाषा दी गई है।

जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है कि "साझा परिवार" से शुरू होने का अर्थ है एक ऐसा परिवार जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है और इसमें शामिल हैं।

इस खंड में दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है

और इसमें "शामिल है। भारत सहकारी समिति में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कॉप। बैंक कर्मचारी संघ,

(2007) 4 एस. सी. सी. 685 के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (बी. बी.) पर विचार करने का अवसर था, जिसमें दोनों शब्दों का उपयोग किया गया था। "शामिल है। पैराग्राफ 23 में दोनों अभिव्यक्तियों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित कहा गया हैः

.....

यह ट्राइट है

" 23 .

कहते हैं कि जब किसी कानून में दी गई परिभाषा खंड में

"मतलब" शब्द का उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है वह बोलने के लिए अभिप्रेत है।

पूरी तरह से। जब परिभाषा में "मतलब" शब्द का उपयोग किया जाता है, तो

गॉफ बनाम में लॉर्ड एशर, एम. आर. के शब्दों को उधार लें। गफ [(1891) 2 क्यू. बी. 665] यह एक "कठिन और तेज़" परिभाषा है और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है।

जो परिभाषा में रखा गया है उसे सौंपा जा सकता है

एक ही। (पी. कासिंगम बनाम को भी देखें। पी. एस. जी कॉलेज

प्रौद्योगिकी [1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 348: ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1395]। उस पर

विधायिका इस परिभाषा को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखती हैः यह बनाता है परिभाषा गणनात्मक लेकिन संपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है,

परिभाषित शब्द अपने सामान्य अर्थ को बनाए रखेगा लेकिन इसका दायरा होगा

मामलों को इसके भीतर लाने के लिए विस्तारित किया जाए, जो इसके सामान्य अर्थ में हैं।

इसमें शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए, "अर्थ" शब्द का उपयोग

इसके बाद आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (बी. बी.) में "शामिल" शब्द है

पूर्ण और केवल उन बैंकिंग कंपनियों को शामिल करेगा जो परिभाषा के दायरे में आते हैं और कोई अन्य नहीं। ”

50. हम पायनियर में इस न्यायालय के एक और फैसले को देख सकते हैं।

अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्न।

बनाम सतीश चंद्र आहुजा संघ बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

भारत और ओआरएस। , (2019) 8 एस. सी. सी. 416 जहाँ इस न्यायालय को दोनों अभिव्यक्तियों पर विचार करने का अवसर मिला था, अर्थात, "अर्थ और शामिल"। पैराग्राफ 82 में, इस न्यायालय ने निर्धारित कियाः

" 82. .....

वास्तव में, जागीर सिंह बनाम।

राज्य

बिहार का [(1976) 2 एस. सी. सी. 942], एस. सी. सी. पैरा 11 और 19 से 21

और महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। ए. पी. राज्य [(1989) 1 एस. सी. सी. 164]

एस. सी. सी. पैरा 8 और 11 (जिसे पी. कासिंगम में उद्धृत किया गया है।

कासिलिंगम बनाम। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, 1995 सप (2) एससीसी

348]) , इस न्यायालय ने परिभाषा अनुभागों को निर्धारित किया जहां अभिव्यक्ति

" जिसका अर्थ है "कुछ शब्दों के बाद, जिसके बाद आया

अभिव्यक्ति "और शामिल है" के बाद अन्य शब्द, जैसे कृषि में हैं

उत्पादन मंडी समिति मामला [कृषि उत्पादन मंडी]

समिति वी. शंकर इंडस्ट्रीज, 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 361 (2)]। में।

हाल के दो अन्य निर्णय, भारत कॉप। बैंक (मुंबई)

लिमिटेड वी. कर्मचारी संघ [(2007) 4 एस. सी. सी 685], एस. सी. सी. पैरा 12 और

23 और स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. वी. संबद्ध ठेकेदार [राज्य

डब्ल्यू. बी. वी. संबद्ध ठेकेदार, (2015) 1 एस. सी. सी. 32], एस. सी. सी. पैरा

14 , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ भी अभिव्यक्ति "का अर्थ" है

अभिव्यक्ति के बाद "और शामिल है" चाहे साथ हो या बिना

"अर्थ" से "सम्मिलित" को अलग करने वाले अतिरिक्त शब्द, ये

अभिव्यक्तियाँ इंगित करती हैं कि परिभाषा का प्रावधान संपूर्ण है

अभिव्यक्ति "और शामिल है" एक अभिव्यक्ति है जो का विस्तार करती है अभिव्यक्ति का अनुसरण करने वाले शब्दों में निहित परिभाषा

“ इसका अर्थ है "।

51. हम श्री जयंत द्वारा भरोसा किए गए दो और निर्णयों को देख सकते हैं।

भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील, अर्थात, द साउथ गुजरात रूफिंग टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ए. एन. आर. बनाम। गुजरात राज्य और

एन. आर. , (1976) 4 एससीसी 601। श्री भूषण का निवेदन है कि इसका उपयोग

धारा 2 (ओं) में "शामिल" अभिव्यक्ति को साधन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने पैराग्राफ 5 में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा कियाः

" 5.XXXXXXXXXXXXXX

हालांकि "शामिल" का उपयोग आम तौर पर किया जाता है

व्याख्या खंडों को विस्तार के शब्द के रूप में, कुछ मामलों में संदर्भ एक अलग इरादे का सुझाव दे सकता है। मिट्टी के बर्तन एक

बहुत व्यापक आयात की अभिव्यक्ति, सभी वस्तुओं को गले लगाते हुए

मिट्टी और गर्मी से कठोर। अगर यह विधायिका का इरादा [2020] 12 एस. सी. आर. होता।

मिट्टी के बर्तनों की सभी संभावित वस्तुओं को प्रविष्टि के भीतर लाने के लिए, एक स्पष्टीकरण जोड़ना काफी अनावश्यक था। हमने पाया है कि

संभवतः कुम्हार उद्योग या उसमें सूचीबद्ध वस्तुओं के अर्थ का विस्तार करने के लिए स्पष्टीकरण पेश नहीं किया जा सकता था।

बहुत सारा उपहार। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि विधायिका का इरादा वह सब कुछ नहीं था जो कुम्हार उद्योग को प्रवेश द्वारा कवर किया जाता है। तब स्पष्टीकरण का उद्देश्य क्या हो सकता है। व्याख्या में कहा गया है कि प्रविष्टि 22 के उद्देश्य के लिए, मिट्टी के बर्तनों के उद्योग में उसमें नामित मिट्टी के बर्तनों की नौ वस्तुओं का निर्माण "शामिल" है। हमें ऐसा लगता है कि "शामिल" शब्द का उपयोग यहां "अर्थ" के अर्थ में किया गया है; यह एकमात्र संरचना है जिसे शब्द संदर्भ में सहन कर सकता है। उस अर्थ में यह विस्तार का शब्द नहीं है, बल्कि सीमा है; यह उस अर्थ का संपूर्ण है जो प्रवेश 22 के उद्देश्य के लिए कुम्हार उद्योग को दिया जाना चाहिए। प्रतिबंधात्मक में "शामिल" शब्द का उपयोग

भावना अज्ञात नहीं है। लॉर्ड वॉटसन का अवलोकन

दिलवर्थ वी. डाक टिकटों के आयुक्त जिन्हें आमतौर पर संदर्भित किया जाता है विस्तार के शब्द के रूप में "शामिल" के उपयोग के बाद,

ये पंक्तियाँः

" लेकिन 'शामिल' शब्द एक अन्य निर्माण के लिए अतिसंवेदनशील है, जो अनिवार्य हो सकता है, अगर अधिनियम का संदर्भ यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह केवल नियोजित नहीं था परिभाषित शब्दों या अभिव्यक्तियों के स्वाभाविक महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से। यह 'मतलब और शामिल' के बराबर हो सकता है, और उस मामले में यह उस अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या कर सकता है, जिसे अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, इन शब्दों या अभिव्यक्तियों के साथ हमेशा जोड़ा जाना चाहिए।

52. श्री भूषण द्वारा भरोसा किया गया अगला फैसला कर्नाटक पावर स्मिसन कॉर्पोरेशन और ए. एन. आर. है। बनाम अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेटटेड, (2009) 3 एससीसी 240। उपरोक्त मामले में इस अदालत के समक्ष यह भी निवेदन किया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा में, "शामिल" अभिव्यक्ति "साधन" के रूप में होनी चाहिए। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी शब्द या कथन की व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। पैराग्राफ 14 से

लोविंग निर्धारित की गई थीः

" 14. विद्वान वकील ने यह भी कहा कि "शामिल" शब्द को "अर्थ" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा रखा, अर्थात्; सतीश चंद्र आहुजा बनाम।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

) दक्षिण गुजरात रूफिंग टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वी. राज्य गुजरात [(1976) 4 एस. सी. सी. 601] और (2) आर. बी. आई. बनाम। पीयरलेस जनरल

नैन्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड [(1987) 1 एससीसी 424]।

15. दिलवर्थ बनाम में लॉर्ड वॉटसन। डाक टिकट कॉम. [1899 एसी

] निम्नलिखित शास्त्रीय कथन कियाः (एसी पीपी। 105-06)

" ..... 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर किया जाता है

कानून के मुख्य भाग में होने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाने के लिए व्याख्या खंड; और जब यह है इसलिए उपयोग किए गए इन शब्दों या वाक्यांशों को इस प्रकार समझा जाना चाहिए

समझना, न केवल ऐसी चीजें जो वे इसके अनुसार दर्शाती हैं

उनके प्राकृतिक आयात के लिए, लेकिन उन चीजों के लिए भी जो

उस मामले में यह एक विस्तृत स्पष्टीकरण दे सकता है जिसका अर्थ है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए

इन शब्दों या अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ है।

16. दिलवर्थ [1899 एसी 99] और कुछ अन्य निर्णय

पीयरलेस जनरल फाइनेंस में विचार के लिए आया और

निवेश कंपनी लिमिटेड [(1987) 1 एस. सी. सी. 424] और यह न्यायालय

कानूनी स्थिति का सारांश दिया कि (पीयरलेस केस [(1987) 1 एस. सी. सी. 424], एस. सी. सी. पीपी। 449-50 , पैरा 32) द्वारा समावेशी परिभाषा

विधायिका का उपयोग किया जाता हैः

" 32. ..... (1) शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ का विस्तार करना ताकि शब्दों के सामान्य, लोकप्रिय और स्वाभाविक अर्थ को लिया जा सके और उस अर्थ को भी लिया जा सके जिसके लिए क़ानून इसे जिम्मेदार ठहराना चाहता है; (2) उन अर्थों को शामिल करना जिनके बारे में कुछ विवाद हो सकता है; या (3) समान कुछ लेनदेन वाले सभी लेनदेन को एक नाम के तहत लाना।

विशेषताएँ हैं लेकिन अलग-अलग नामों के तहत जा रहे हैं।

17. यह बिना कहे चला जाता है कि किसी शब्द या दबाव की व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। विधायिका द्वारा ई-शब्द "शामिल" का सहारा लेना अक्सर इरादे को दर्शाता है

विधायिका जिसे वह व्यापक और विस्तारित [2020] 12 एस. सी. आर. देना चाहती थी।

इस तरह की अभिव्यक्ति का अर्थ। हालांकि, कभी-कभी, संदर्भ यह सुझाव दे सकता है कि "शामिल" शब्द को "अर्थ" के अर्थ के लिए बनाया गया हो सकता है। किसी अधिनियम की स्थापना, संदर्भ और उद्देश्य शब्द की व्याख्या के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

" इसमें "ऐसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए" शामिल हैं।

53. उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को ध्यान में रखने के बाद, धारा 2 (ओं), जो "साधन और शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है और संदर्भ को देखते हुए,

हमारा विचार है कि धारा 2 (ओं) में साझा परिवार की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है। परिभाषा का पहला भाग शुरू होता है

अभिव्यक्ति "का अर्थ है" जो निस्संदेह एक विस्तृत परिभाषा है और परिभाषा का दूसरा भाग, जो "शामिल" शब्द से शुरू होता है, इस परिभाषा का व्याख्यात्मक अर्थ है। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि धारा 2 (ओं) की परिभाषा संपूर्ण है, उनका मामला परिभाषा के दोनों हिस्सों में पूरी तरह से शामिल है।

54. इस प्रकार, अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओं) में "साधन और शामिल" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग स्पष्ट रूप से इस विधायी इरादे को इंगित करता है कि परिभाषा संपूर्ण है और केवल उन्हीं को शामिल करेगी जो इसके अंतर्गत आते हैं।

परिभाषा का दायरा और कोई अन्य नहीं।

55. अब, धारा 2 (ओं) की परिभाषा पर वापस आते हुए, परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला, जो शब्द का अनुसरण करता है।

" इसका अर्थ है "और दूसरा जो" शामिल "शब्द का अनुसरण करता है। "सम्मिलित" के बाद आने वाले दूसरे भाग को आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में लिखा है, "साझा घर का अर्थ है एक ऐसा घर जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर किसी घरेलू घर में रहता है।

या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ संबंध। इस प्रकार, एक साझा परिवार के लिए पूरी की जाने वाली पहली शर्त यह है कि पीड़ित व्यक्ति

जीवन व्यतीत करता है या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहा है। दूसरे भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है-(क) जिसमें ऐसा परिवार शामिल है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो।

प्रत्यर्थी और उनमें से किसी के स्वामित्व में या किरायेदार जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, स्वामित्व, ब्याज या इक्विटी है और (बी) ऐसा परिवार शामिल है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रत्यर्थी एक सदस्य है, चाहे प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार हो। साझा घर में अधिकार, शीर्षक या ब्याज। उपरोक्त परिभाषा में, दो

अभिव्यक्तियाँ, अर्थात्, "पीड़ित व्यक्ति" और "प्रतिवादी" उत्पन्न हुई हैं। उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित स्पष्ट है:

- ((i) यह सतीश चंद्र आहुजा बनाम नहीं है। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

कानून की आवश्यकता है कि पीड़ित व्यक्ति या तो संयुक्त रूप से या अकेले परिसर का मालिक हो सकता है या इसे संयुक्त रूप से या अकेले किराये पर दे सकता है; (ii) परिवार एक संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी एक सदस्य है, भले ही प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति को साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो; और (iii) साझा घर या तो प्रतिवादी द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराये पर लिया जा सकता है।

56. अब, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के निवेदन पर वापस लौटते हैं कि साझा घर वह घर है जो संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसमें पति एक सदस्य है या पति का साझा घर में हिस्सा है। एस. आर. बत्रा बनाम मामले में इस अदालत के फैसले से उन्हें अपनी दलील का समर्थन मिलता है। तरुणा बत्रा (ऊपर)।

57. एस. आर. बत्रा बनाम में इस अदालत का निर्णय। तरुणा बत्रा (ऊपर), जो अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का आधार है, पर विस्तार से ध्यान देने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले में, प्रत्यर्थी की शादी 14.04.2000 पर अपीलार्थी के बेटे के साथ हुई थी। प्रत्यर्थी अपने पति के साथ दूसरी मंजिल पर अपीलार्थी संख्या 2 के घर में रहने लगी। यह विवादित नहीं था कि घर अपीलार्थी संख्या 2 का था और उसके बेटे यानी प्रत्यर्थी के पति का कोई हिस्सा नहीं था। पति ने प्रतिवादी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी जबकि प्रतिवादी ने इसके तहत आपराधिक मामला दायर किया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 406,498 ए, 506 और 34। प्रत्यर्थी अपने पति के साथ विवाद के कारण अपने माता-पिता के निवास पर चली गई। बाद में जब उसने घर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उसने मुख्य प्रवेश द्वार को बंद पाया, इसलिए उसने 2003 का मुकदमा संख्या 87 दायर किया ताकि उसे घर में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा दी जा सके। निचली अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। अपीलार्थी ने अपील दायर की, जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज करके अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए अनुमति दी थी कि अपीलार्थी दूसरी मंजिल पर रहने का हकदार है क्योंकि वह उसका वैवाहिक घर था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पीड़ित अपीलार्थी ने अपील दायर की थी। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 18 में कहा कि चूंकि घर प्रतिवादी की सास का है और पति का नहीं है, इसलिए वह उक्त घर में रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 18. यहाँ, विचाराधीन घर श्रीमती तरुणा बत्रा की सास का है और यह उनके पति अमित का नहीं है बत्रा। इसलिए, श्रीमती तरुणा बत्रा रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती हैं।

उक्त घर। "[2020] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. इस न्यायालय के समक्ष, उपरोक्त मामले में, अधिनियम के प्रावधान,

2005 भरोसा किया जाता था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी निवास नहीं कर रहा था न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष, जिसके नीचे उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 या 227 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त दृष्टिकोण लेने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन घर को साझा घर नहीं कहा जा सकता है। पैराग्राफ 22 में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 22. उपरोक्त के अलावा, हमारी राय है कि

विचाराधीन घर को "साझा घर" नहीं कहा जा सकता है।

महिलाओं के संरक्षण की धारा 2 (ओं) का अर्थ

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

अधिनियम ")"।

59. इस न्यायालय ने धारा 17 और 19 पर भी ध्यान दिया और

तर्क

प्रत्यर्थी का कि परिवार एक साझा परिवार है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति वहाँ घरेलू संबंध में रहता था। पैराग्राफ 24 में प्रतिवादी के तर्क को निम्नलिखित शब्दों में देखा गया:

" 24. प्रतिवादी श्रीमती तरुणा बत्रा के लिए विद्वान वकील

कहा कि साझा परिवार की परिभाषा में एक परिवार शामिल है जहाँ पीड़ित व्यक्ति जीवन में रहता है या किसी भी स्तर पर रहता है

घरेलू संबंध। उन्होंने तर्क दिया कि तब से स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी अतीत में विचाराधीन संपत्ति में रहता था, इसलिए

उक्त संपत्ति उसका साझा घर है।

60. इस अदालत ने प्रस्तुत करने के साथ अपनी असहमति व्यक्त की

और पैराग्राफ 25 से 30 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 25. हम इस निवेदन से सहमत नहीं हो सकते।

26. यदि उपरोक्त प्रस्तुतिकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ होगा

संपत्ति एक साझा घर बन जाती है। यह बहुत संभव है कि पति और पत्नी दर्जनों स्थानों पर एक साथ रहे होंगे।

भतीजी आदि। यदि व्याख्या विद्वान सलाहकार द्वारा प्रचार की जाती है उत्तरदाता के लिए स्वीकार किया जाता है, पति के इन सभी घरों

रिश्तेदार साझा घर होंगे और पत्नी अच्छी तरह से आग्रह कर सकती है

अपने पति के रिश्तेदारों के इन सभी घरों में केवल इसलिए रहती है क्योंकि

वह कुछ समय तक अपने पति के साथ उन घरों में रही थी।

अतीत। इस तरह का दृष्टिकोण अराजकता की ओर ले जाएगा और बेतुका होगा।

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

27. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी व्याख्या जो

मूर्खता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 28. प्रतिवादी श्रीमती तरुणा बत्रा के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 19 (1) (च) पर भरोसा किया है और दावा किया है कि उन्होंने

एक वैकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए। हमारी राय में,

वैकल्पिक आवास के लिए दावा केवल इसके खिलाफ किया जा सकता है। पति और न कि पति के ससुराल वालों या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ।

29. जहां तक अधिनियम की धारा 17 (1) का संबंध है, हमारी राय में

पत्नी केवल साझा क्षेत्र में रहने के अधिकार का दावा करने की हकदार है।

घर, और एक साझा घर का मतलब केवल वह घर होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है, या वह घर जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसका पति सदस्य है। द. वर्तमान मामले में विचाराधीन संपत्ति न तो अमित बत्रा की है और न ही यह उनके द्वारा किराए पर ली गई थी और न ही यह एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है जिसके पति अमित बत्रा सदस्य हैं। यह अमित बत्रा की माँ, अपीलार्थी 2 की अनन्य संपत्ति है। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

"साझा परिवार" कहा जाए। 30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 2 (ओं) में "साझा परिवार" की परिभाषा बहुत खुशी से नहीं लिखी गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि

अनाड़ी प्रारूपण का परिणाम, लेकिन हमें इसे एक ऐसी व्याख्या देनी होगी जो समझदारी से भरी हो और जिससे समाज में अराजकता न हो।

61. पैराग्राफ 26 में, इस अदालत ने कहा कि "यदि उपरोक्त निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि जहां भी पति और पत्नी रहते थे।

अतीत में एक साथ वह संपत्ति एक साझा घर बन जाती है।

62. एस. आर. बत्रा बनाम में इस न्यायालय का अवलोकन। पैराग्राफ 24,25 और 26 में तरुणा बत्रा (ऊपर) को "पीड़ित व्यक्ति जीवन या किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए बनाया गया था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 26 में कहा कि यदि प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है कि पति के रिश्तेदार का घर जहां प्रत्यर्थी रहता है, साझा घर बन जाएगा, तो अराजकता पैदा होगी और बेतुका होगा। "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति धारा 2 (ओं) में "जहां व्यक्ति व्यथित है" शब्दों के बाद आती है। जीवन "। "पीड़ित व्यक्ति का जीवन" शब्दों का उपयोग पैराग्राफ 26 में इस न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है, उससे अलग उद्देश्य के लिए किए जाने के तुरंत बाद "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। महिलाओं [2020] 12 एस. सी. आर. की रक्षा के लिए "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

एक साझा घर में रहने के अधिकार के लाभ को इस आधार पर अस्वीकार करने से कि आवेदन दायर करने की तारीख को उसे घर के कब्जे से बाहर रखा गया था या अस्थायी रूप से अनुपस्थित था। "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए है और इस उद्देश्य के साथ नहीं है कि जहां भी पीड़ित व्यक्ति पति के रिश्तेदारों के साथ रहा है, ऐसे सभी घर साझा घर बन जाएंगे, जो विधायी इरादा नहीं है। साझा घर को घर माना जाता है, जो वर्तमान समय में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है। जब हम विभिन्न प्रकार के आदेशों या राहतों को देखते हैं, जो एक पर दिए जा सकते हैं

पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन, सभी आदेश उस परिसर के संदर्भ में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करते हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति है या उसके कब्जे में था। हमारा उपरोक्त निष्कर्ष अधिनियम, 2005 की धारा 19 द्वारा चित्रित वैधानिक योजना द्वारा और मजबूत किया गया है। में।

यदि धारा 2 (ओं) में होने वाली साझा परिवार की परिभाषा का अर्थ यह है कि वे सभी घर जहां पीड़ित व्यक्ति पति के रिश्तेदारों के साथ घरेलू संबंध में रहा है, साझा घर बन जाएंगे, तो साझा घर की संख्या होगी, जिस पर विधायी योजना द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था। अधिनियम की पूरी योजना पीड़ित व्यक्ति को उस साझा परिवार के संबंध में तत्काल राहत प्रदान करना है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या रहता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, "किसी भी स्तर पर जीवित है" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा से वंचित नहीं करने के इरादे से किया गया था।

केवल इस आधार पर कि पीड़ित व्यक्ति आवेदन की तारीख या उस तारीख तक जीवित नहीं है जब संबंधित मजिस्ट्रेट धारा 19 के तहत आदेश पारित करता है। एस. आर. बत्रा बनाम में अनुच्छेद 26 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई आशंका। तरुणा बत्रा (ऊपर), इस प्रकार, सच्ची आशंका नहीं थी और यह सही है कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किए जाने की स्थिति में, यह अराजकता का कारण बनेगी और यह कभी भी विधायी इरादा नहीं था। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि धारा 2 (ओं) में निर्दिष्ट साझा परिवार पीड़ित व्यक्ति का साझा परिवार है जहां वह उस समय रह रही थी जब आवेदन दायर किया गया था या हाल ही में उपयोग से बाहर रखा गया था या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। 63. "जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू रिश्ते में रहा है" शब्दों को इसका सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। एक घर में महिला का रहना एक ऐसे जीवन को संदर्भित करता है जिसमें कुछ स्थायित्व हो। अलग-अलग स्थानों पर केवल क्षणिक या आकस्मिक रूप से रहने से एक साझा परिवार नहीं बनेगा। पक्षकारों के इरादे और घर की प्रकृति सहित रहने की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पक्षकारों का इरादा परिसर को साझा सतीश चंद्र आहुजा बनाम के रूप में मानने का था।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

गृहस्थ हो या न हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 2005 महिला के पक्ष में उच्च अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, 2005 परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 के साथ पठित धारा 2 (ओं) एक

साझा परिवार के तहत निवास के अधिकार की महिला के पक्ष में हकदारी, चाहे उसका कोई भी कानूनी हित हो

एक ही या नहीं। 64. फैसले के पैराग्राफ 29 में, यह न्यायालय एस. आर. बत्रा बनाम। तरुणा बत्रा (ऊपर) ने माना कि पत्नी को केवल अधिकार का दावा करने का अधिकार है

एक साझा घर और एक साझा घर में निवास का अर्थ केवल वह घर होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है, या वह घर जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित है जिसका पति सदस्य है। धारा 2 (ओं) में देखी गई साझा परिवार की परिभाषा से यह संकेत नहीं मिलता है कि एक साझा परिवार वह होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है। हमने अधिनियम के तहत "प्रतिवादी" की परिभाषा पर ध्यान दिया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी पति का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। यदि साझा घर उस पति के किसी रिश्तेदार का है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही है, तो धारा 2 (ओं) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा। हमारा विचार है कि एस. आर. बत्रा बनाम मामले में यह अदालत। तरुणा बत्रा (ऊपर) ने हालांकि धारा 2 (ओं) में दी गई साझा घर की परिभाषा पर ध्यान दिया, लेकिन परिभाषा के विभिन्न हिस्सों में विज्ञापन नहीं दिया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक साझा घर के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घर हो सकता है

पति के स्वामित्व में अकेले या संयुक्त रूप से या पति द्वारा किराए पर लिया गया। एस. आर. बत्रा बनाम में इस न्यायालय का अवलोकन। तरुणा बत्रा (ऊपर) धारा 2 (ओं) में साझा घराने की परिभाषा बहुत खुशी से नहीं लिखी गई है।

और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए, जो विवेकपूर्ण है और समाज में अराजकता का कारण नहीं बनता है, यह भी हमारी सराहना नहीं करता है। साझा की परिभाषा जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, घर की परिभाषा स्पष्ट और संपूर्ण है। वस्तु।

और अधिनियम का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति, साझा घर में रहने वाली महिला को अधिकार प्रदान करना था। व्याख्या जो इस न्यायालय द्वारा एस. आर. बत्रा बनाम में रखी गई है। तरुणा बत्रा (ऊपर) यदि स्वीकार की जाती है तो स्पष्ट रूप से

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करें। इस प्रकार, हमारी राय है कि साझा परिवार की परिभाषा की व्याख्या जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एस. आर. बत्रा बनाम में रखी गई है। तरुणा बत्रा (ऊपर) सही नहीं है

व्याख्या और उक्त निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने विमलाबेन अजीतभाई मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया है।

पटेल बनाम वत्सलबेन अशोकभाई पटेल और अन्य। , (2008) 4 एससीसी 649। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में विचार के लिए आया प्रश्न निर्णय के पैराग्राफ 14 में देखा गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 14. जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैंः

(i) चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

अपीलार्थी 1 की संपत्ति नीलामी में बेची जा सकती थी? और

((ii) क्या इस प्रकार के किसी मामले में, अभियुक्त को दी गई जमानत

अपीलार्थियों को रद्द करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था?

66. उपरोक्त मामले में, तीसरे प्रतिवादी द्वारा उसके पति और अपीलार्थी के ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 114 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। को दी गई जमानत

याचिकाकर्ताओं को निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी की संपत्तियों को कुर्क करते हुए धारा 82 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट को कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी करने के लिए कहा। अपीलार्थी की संपत्तियों की नीलामी की गई थी और उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विवाह के दौरान पत्नी का भरण-पोषण पति पर और पुत्रवधू का भरण-पोषण आवेदक पर तभी होता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। पैराग्राफ 21 और 22 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 21. विवाह के दौरान विवाहित पत्नी का भरण-पोषण पति पर निर्भर करता है। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है। द.

पुत्रवधू के पालन-पोषण की बाध्यता तभी उत्पन्न होती है जब पति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह के दायित्व को उन संपत्तियों से भी पूरा किया जा सकता है जिनमें पति सह-भागीदार है और अन्यथा नहीं। उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए, पति का संपत्ति में हिस्सा होना चाहिए। सास के नाम की संपत्ति न तो कुर्की का विषय हो सकती है और न ही पति के जीवनकाल के दौरान, अपनी पत्नी को बनाए रखने के लिए उसके व्यक्तिगत दायित्व को ऐसी संपत्ति के खिलाफ लागू करने का निर्देश दिया जा सकता है।

22. सोनलबेन (पत्नी) की ओर से हमारे सामने पूरी तरह से असंतुष्ट मुद्दे उठाए गए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्पष्ट

राज्य की स्थिति को वास्तविक स्थिति के रूप में लिया जाएगा।

यह सतीश चंद्र आहुजा बनाम है। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

संपत्ति के मालिक के लिए यह स्थापित करना नहीं कि यह उसका स्वयं का है

अर्जित संपत्ति और जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी, जो गुहार लगाता है

इसके विपरीत। सोनलबेन उससे भरण-पोषण की हकदार हो सकती है।

पति। रखरखाव का आदेश पारित किया जा सकता है लेकिन तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, डिक्री, यदि कोई हो, तो होना चाहिए

उसके पति के खिलाफ फांसी दी गई और केवल उसकी संपत्ति ही हो सकती थी

इसके लिए संलग्न है लेकिन उसकी सास की नहीं।

67. पैराग्राफ 27 में, इस न्यायालय ने आगे कहाः

" 27. घरेलू हिंसा अधिनियम पत्नी के पक्ष में उच्च अधिकार प्रदान करता है। वह न केवल बनाए रखने का अधिकार प्राप्त करती है, बल्कि उसके तहत निवास का अधिकार भी प्राप्त करती है। का अधिकार

निवास एक उच्च अधिकार है। कानून के अनुसार उक्त अधिकार यह संयुक्त संपत्तियों तक फैला हुआ है जिसमें पति का हिस्सा है।

68. पैराग्राफ 28 में, इस अदालत ने इस अदालत के फैसले पर ध्यान दिया

आर. बत्रा बनाम तरुणा बत्रा (ऊपर)।

69. उपरोक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की जमानत रद्द करने में गलती की। अपील की अनुमति देते हुए, निर्णय के पैराग्राफ 51 में निर्देश जारी किए गए थेः

" 51. इसके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

मामले में हमारी राय है कि न्याय का हित होगा यदि विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है

निम्नलिखित निर्देशः

(i) विचाराधीन संपत्ति को जारी किया जाएगा।

संलग्नता।

((ii) तीसरा उत्तरदाता 1 लाख रुपये की राशि वापस करेगा।

प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ उत्तरदाता।

(iii) पहले द्वारा जमा की गई 4 लाख रुपये की राशि

उत्तरदाता को ब्याज के साथ तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

उस पर उपार्जित।

((iv) तीसरे प्रतिवादी को उसका पीछा करने का अधिकार होना चाहिए।

कानून के अनुसार उसके पति के खिलाफ उपाय।

(v) वह विद्वान मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष मामले दायर किए गए थे

तीसरा प्रत्यर्थी लंबित है, उसे गंभीर होना चाहिए।

यथासंभव शीघ्रता से इसका निपटान करने पर विचार करना।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vi) तीसरा प्रत्यर्थी अपीलार्थी का खर्च वहन करेगा।

जिनकी मात्रा 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) निर्धारित की गई है।

समेकित "।

70. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि माँ की संपत्ति

इन-लॉ को संलग्न नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैवाहिक जीवन के दौरान पत्नी का भरण-पोषण पति पर होता है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह यह था कि क्या उसकी संपत्ति

अपीलार्थी को नीलामी में बेचा जा सकता था और अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिए था जैसा कि पैराग्राफ 14 में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त मामले में एक साझा घर में रहने के अधिकार के संबंध में कोई मुद्दा उत्पन्न नहीं हुआ था और उपरोक्त मामला वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग है, उपरोक्त मामला अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आपराधिक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था। उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने एस. आर. बत्रा बनाम के फैसले पर भरोसा किया। तरुणा बत्रा (ऊपर), हमने ऊपर देखा है कि एस. आर. मेहता एक सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

71. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने कुछ पर भरोसा किया है

उनकी प्रस्तुति के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इवनित सिंह बनाम प्रशांत चौधरी, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4507 मामले में अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और साझा परिवार की परिभाषा पर भी विचार किया था। पैराग्राफ 16 और 17 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 16. "साझा परिवार" की परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि

परिभाषा के अनुसार उक्त घर का स्वामित्व आवश्यक है। भले ही स्वामित्व के पहलू की जांच की जाए

घरेलू, परिभाषा एक व्यापक पर्याप्त जाल डालती है। यह अंदर रखा गया है समावेशी शर्तें और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है

(एस. प्रभाकरण बनाम केरल राज्य, 2009 (2) आरसीआर (सिविल) 883)। यह. इसमें कहा गया है कि ".....।

पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया,

या जिनके संबंध में उनमें से किसी के स्वामित्व में या किराए पर लिया गया हो

सदस्य, चाहे वह प्रतिवादी हो या पीड़ित साझा घराने में व्यक्ति का कोई अधिकार, अधिकार या हित होता है।

(जोर दिया गया)।

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

17. यहाँ यह ध्यान देना अनुचित नहीं होगा कि "प्रतिवादी" शब्द का उपयोग परिभाषा में अयोग्य है और न ही है

धारा 12,17 या 19 के तहत इसके लिए कोई योग्यता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि यह परिभाषा उस घर तक विस्तारित नहीं है जिसका स्वामित्व सास या किसी अन्य महिला के पास है।

सापेक्ष, क्योंकि वे परिभाषा के तहत शामिल हैं

' धारा 2 (क्यू) के तहत प्रतिवादी। 72. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पुष्टि की कि

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के इवनित सिंह बनाम प्रशांत चौधरी, 2011 एस. सी. सी. ने डेल 4651 में नहीं। में।

आरएएफ 14, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 14. यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा 1 के खंड (च) का उद्देश्य किसी व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।

पुत्रवधू और उसके ससुराल वाले, यदि साझा निवास का दावा करते हैं

पुत्रवधू द्वारा एक इमारत से संबंधित है जिसमें

वैवाहिक घर उसकी सास या ससुर का था।

73. एक और निर्णय जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता है

टी प्रीति सतीजा बनाम राज कुमारी और अन्र हैं। , 2014 एससीसी ऑनलाइन 88. पैराग्राफ 20 और 21 में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 20. महत्वपूर्ण रूप से, 2005 के अधिनियम द्वारा संसद का इरादा साझा घर में पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करना था, जिसे प्रतिवादी (पति के रिश्तेदार सहित) द्वारा किराये पर लिया जा सकता था या जिसके संबंध में प्रतिवादी को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, ब्याज या "इक्विटी" था। उदाहरण के लिए, एक विधवा

सास के पास कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज नहीं है, लेकिन वह एक किरायेदार है, या "इक्विटी" का हकदार है (जैसे कि न्यायसंगत अधिकार)। उन परिसरों में)। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिसर एक "साझा घर" होगा। इन परिस्थितियों में पुत्रवधू बेदखल होने से सुरक्षा की हकदार है, हालांकि

उसके पति के पास कभी भी परिसर में स्वामित्व का अधिकार नहीं था। अधिकार स्वामित्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल निवास के तथ्य पर निर्भर है।

इस प्रकार, भले ही सास किरायेदार हो, फिर, उस आधार पर, [2020] 12 एस. सी. आर.

या किसी के पास इक्विटी है, उसे बहू को बेदखल करने से रोका जा सकता है। यदि सास मालिक है, तो बहू को साझा घर में रहने की अनुमति देने का दायित्व है।

गृहस्थ, जब तक उसके और पति के बीच वैवाहिक संबंध बना रहता है, तब तक जारी रहता है। एकमात्र अपवाद यह है कि

19 (1) (बी) का परंतुक, जो महिलाओं को साझा घर से खुद को हटाने के निर्देश से छूट देता है। ऐसा नहीं है।

विशेष रूप से सुरक्षा आदेशों के संबंध में धारा 19 के तहत अन्य राहतों के लिए अपवाद बनाया गया है। संसद थी

महिलाओं के पक्ष में एक और अपवाद बनाने के इरादे से, उसने ऐसा किया होगा। यह चूक जानबूझकर और सामंजस्य में की गई थी

अधिनियम की शेष योजना के साथ। घरेलू संबंधों के अन्य मामले हो सकते हैं जैसे कि एक अनाथ बहन, या विधवा माँ, जो अपने भाई या बेटे के घर में रहती है। दोनों घरेलू संबंधों की परिभाषा द्वारा कवर किए गए हैं, क्योंकि भाई स्पष्ट रूप से एक उत्तरदाता है। ऐसे मामले में भी, यदि विधवा माँ या बहन को बेदखल करने की धमकी दी जाती है, तो वे बेटे या भाई द्वारा संपत्ति के अनन्य स्वामित्व के बावजूद अधिनियम के तहत राहत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, उन संपत्तियों के विरुद्ध निवास के अधिकार को छोड़कर जहां पति का कोई अधिकार, हिस्सेदारी, ब्याज या स्वामित्व नहीं है, निवास के अधिकार की उपयोगिता की सीमा को गंभीर रूप से कम कर देगा।

21. दूसरा पहलू, जिसे यह न्यायालय उजागर करना चाहता है, वह यह है कि 2005 का अधिनियम सभी समुदायों पर लागू होता है और इसे अधिनियमित किया गया था " संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। निवास का अधिकार और लागू करने के लिए तंत्र का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके लिए न्यायालयों को जीवित रहना चाहिए। साझा रूप से रहने के अधिकार के संबंध में उपचारों के दायरे को सीमित करना

(या ससुर, या उस मामले के लिए, "पति का कोई रिश्तेदार") भी 2005 के अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी हो सकता है। और एक ही अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार आवश्यक रूप से

उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सतीश चंदर आहुजा बनाम।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के खिलाफ, दीवानी अपील सं।

इस न्यायालय में 2014 का मामला लंबित है।

74. एक अन्य विस्तृत निर्णय में, दिल्ली की खंड पीठ ने

अदालत ने नवनीत अरोड़ा बनाम सुरेंद्र कौर और अन्य के मामले में फैसला सुनाया। , 2014

ऑनलाइन डेल 7617 ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था,

. पैराग्राफ 58 से 60 में निवास के अधिकार से निपटना, निम्नलिखित

एल्डः

" 58. यह रेखांकित किया जा सकता है कि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व या स्वामित्व अधिकार

अधिकांश लोगों द्वारा गलत समझा जाता है, लेकिन केवल 'साझा घर' में 'निवास का अधिकार' हासिल करता है। धारा 17 (2) स्पष्ट करती है कि पीड़ित व्यक्ति को 'साझा घर' से बेदखल किया जा सकता है, लेकिन केवल

धारा 19 (1) के प्रावधान के तहत यह प्रावधान करते हुए कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह प्रतिवादी परिवार की किसी महिला सदस्य को "साझा घर" से हटाने के लिए निर्देश पारित करे। इसके अलावा, धारा 19 (1) (च) के संदर्भ में, न्यायालय प्रत्यर्थी को समान स्तर के आवास को सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है।

"साझा घराने" में व्यथित व्यक्ति के रूप में उसका आनंद लिया जाता है या

यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो उसी के लिए किराया देना।

59. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में शामिल प्रतीत होने वाले 'कट्टरपंथी' प्रावधानों को हमारे समाज में प्रचलित संस्कृति और लोकाचार के आलोक में समझा और सराहा जाना चाहिए।

60. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण में 'साझा परिवार' शब्द की व्यापक और समावेशी परिभाषा अधिनियम, 2005 भारत में पारिवारिक पैटर्न के अनुरूप है, जहां विवाहित जोड़े अपने माता-पिता के साथ स्वामित्व वाले घरों में रहते हैं।

माता-पिता द्वारा।

75. उपरोक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने साझा परिवार की अवधारणा को अधिनियम, [2020] 12 एस. सी. आर. की धारा 2 (ओं) में होने के रूप में उचित माना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

76. हमें दिल्ली उच्च न्यायालय के कई फैसलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है

और अन्य उच्च न्यायालय, जिन पर श्री जौहर ने भरोसा किया है। श्री जौहर द्वारा भरोसा किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय इस प्रकार हैं:

उद्धरण

एस. नं.

विशिष्टताएँ

दीपिका कुमार बनाम माधवी कुमार और अन्य।

मनु/डी.

ई./3859/2015

1 .

168

(2010) डीएलटी 521

2 .

सरदार मल्कियत सिंह बनाम नवलजीत कौर और अन्य।

2009

आकाशवाणी (डेल) 72

3 .

नीतू मित्तल बनाम कांता मित्तल

2012 (3) ई.

(दिल्ली) 76

4 .

सुधा मिश्रा बनाम सूर्य चंद मिश्रा

5 .

संगीता बनाम ओम प्रकाश बालियान और अन्य।

मनु/पीएच/125

1/2015

6 .

मनु/डी.

ई./3200/2015

हरीश चंद टंडन बनाम दर्पण टंडन और अन्न।

आकाशवाणी

2015 (डेल) 180

7 .

एकता अरोड़ा बनाम अजय अरोड़ा और अन्न।

2014 एस. सी.

सी. ऑनलाइन (डेल) 4931

8 .

श्रीमती. सलोनी महाजन बनाम श्री मदन मोहन विग।

77. दिल्ली उच्च न्यायालय के ये सभी निर्णय एस. आर. बत्रा पर निर्भर करते हैं।

बनाम तरुणा बत्रा (ऊपर)। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि धारा 2 (ओं) की साझा गृहस्थी की परिभाषा की व्याख्या करते हुए जहां तक यह सही कानून निर्धारित नहीं करता है, उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी के विद्वान वकील के बचाव में नहीं आता है। श्री जौहर ने अन्य उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया हैः

एस. नं.

विशिष्टताएँ

उद्धरण

श्रीमती. चंचल अग्रवाल बनाम जगदीश प्रसाद गुप्ता और 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 16019

1 .

एन. आर.

ए. आर. हाशिर नज्याहौस और अन्य। बनाम शिमा और ओआरएस।

2 .

2015 एस. सी.

सी. ऑनलाइन केर 9007

ऋचा गौर बनाम कमल किशोर गौर

2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4084

3 .

पायल संचेती (श्रीमती) और अन्न। बनाम हर्षवर्धन मनु/आरएच/08054/2008

4 .

संचेती कोल्ली बाबी सरोजिनी और अन्य। बनाम कोली जयलक्ष्मी और 2014 एससीसी ऑनलाइन एपी 414

5 .

एन. आर.

6 .

एन. एस. लीलावती और अन्य। बनाम आर. शिल्पा ब्रुंडा

मनु/के. ए./8874/2019

78. उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों पर फिर से भरोसा किया गया है

एस. आर. बत्रा बनाम का निर्णय तरुणा बत्रा (ऊपर), इसलिए, वे भी अपीलार्थी के दावे का समर्थन नहीं करते हैं।

79. श्री जौहर ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया

मारिया मार्गारिडा सिक्वेरा फर्नांडीस और ओआरएस में इस न्यायालय के। बनाम इरास्मो जैक डी सिक्वेरा, (2012) 5 एस. सी. सी. 370।

श्री जौहर ने सतीश चंदर आहुजा बनाम को स्थान दिया। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

निर्णय के पैराग्राफ 97 पर निर्भरता, जो कानून के कुछ सिद्धांतों को बताती है। पैराग्राफ 97 इस प्रकार है:

" 97. इस मामले में सामने आने वाले कानून के सिद्धांत हैं -

नीचे के रूप में क्रिस्टलीकृत है:

(1) कोई भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं करता है यदि वह था

निः शुल्क रूप से परिसर में रहने की अनुमति। लंबे समय तक भी

वर्षों या दशकों का अधिकार ऐसा व्यक्ति हासिल नहीं करेगा

उक्त संपत्ति में कोई अधिकार या ब्याज।

(2) देखभाल करने वाला, चौकीदार या नौकर कभी भी संपत्ति में ब्याज प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे उसका लंबे समय तक अधिकार कुछ भी हो। द.

कार्यवाहक या नौकर को मांग पर तुरंत कब्जा देना होता है।

(3) अदालतें किसी कार्यवाहक, नौकर या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे की रक्षा करने में उचित नहीं हैं जिसे रहने की अनुमति दी गई थी।

कुछ समय के लिए या तो एक दोस्त, रिश्तेदार, कार्यवाहक के रूप में परिसर

या सेवक के रूप में।

(4) न्यायालय की सुरक्षा केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है या विस्तारित की जा सकती है जिसके पास वैध, स्थायी किराया समझौता है। उसके पक्ष में पट्टा समझौता या लाइसेंस समझौता।

(5) कार्यवाहक या अभिकर्ता केवल प्रधान की ओर से प्रधान की संपत्ति रखता है। उसे कोई अधिकार या ब्याज नहीं मिलता है।

इस तरह की संपत्ति में अपने लिए जो कुछ भी हो, चाहे वह लंबे समय तक रहे हों।

रहना या कब्ज़ा करना। "

80. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। उपरोक्त मामला एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया। प्रत्यर्थी अपीलार्थी का भाई था। मुकदमा अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया था, और अपील जिसके खिलाफ निर्णय भी खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी का मामला यह था कि प्रत्यर्थी को संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और प्रत्यर्थी को परिसर में रहने की अनुमति दी गई थी क्योंकि अपीलार्थी नौसेना

अधिकारी की पत्नी होने के नाते अधिकांश समय गोवा से बाहर थी और उसने अपने भाई को परिसर में रहने की अनुमति दी थी। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 91 और 92 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 91. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

बार में उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों का विस्तार और अवलोकन किया। तत्काल मामले में, स्वीकार्य रूप से, प्रतिवादी ने [2020] 12 एस. सी. आर. के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया।

सूट की संपत्ति। निस्संदेह, अपीलार्थी के पास संपत्ति का एक वैध अधिकार है जो अभिवचनों और दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से साबित होता है।

रिकॉर्ड में।

92. प्रत्यर्थी उस पारिवारिक व्यवस्था को स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है जिसके द्वारा यह घर प्रत्यर्थी को दिया गया था

उसका निवास। नीचे की अदालतें यह समझने में विफल रही हैं कि विचाराधीन परिसर अपीलार्थी द्वारा अपने भाई को दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी एक कार्यवाहक के रूप में था। अपीलार्थी की शादी एक नौसेना अधिकारी से हुई थी जिसका समय-समय पर गोवा के बाहर तबादला किया जाता था। इसलिए, अपने भाई के अनुरोध पर उसने उसे एक कार्यवाहक के रूप में परिसर का कब्जा दे दिया। कार्यवाहक धारण करता है केवल मूलधन
की ओर से मूलधन की संपत्ति।

81. उपरोक्त कारणों से, न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और अनुच्छेद 97 में ऊपर उल्लिखित कानून की पूर्व स्थिति निर्धारित की।

निर्णय। इस न्यायालय के उपरोक्त मामले में निर्धारित अनुपात का वर्तमान अपील में उत्पन्न मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है।

और अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त निर्णय पर निर्भरता गलत है।

82. अब, वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए,

प्रत्यर्थी की ओर से विशिष्ट अभिवचन किया जा रहा है कि वह घर, जो अपीलार्थी के नाम पर है, प्रत्यर्थी का वैवाहिक घर है जहाँ वह अपनी शादी के बाद से पहली मंजिल पर रह रही थी। यह तथ्य कि प्रतिवादी परिसर की पहली मंजिल पर रह रहा है, विवाद का विषय नहीं है। भले ही घर अपीलार्थी के नाम पर हो और भले ही हम अपीलार्थी का मामला स्वीकार कर लें, उस अपीलार्थी का बेटा रवीन

अपीलार्थी के घर में उसका कोई हिस्सा नहीं है, जिसके साथ प्रत्यर्थी घरेलू संबंध में रह रहा था, क्या प्रत्यर्थी प्रश्नगत परिसर में रहने का हकदार है क्योंकि साझा घर का जवाब दिया जाना है। विवादित फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर निर्णय लेने से परहेज किया है कि क्या मुकदमा संपत्ति एक साझा घर है, इस आधार पर कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर आवेदन लंबित है। अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में जहां प्रत्यर्थी ने दलील दी है और दावा किया है कि यह साझा घर है और उसे रहने का अधिकार है और यह उस आधार पर था कि वह अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे का विरोध कर रही थी, यह सवाल कि क्या मुकदमा संपत्ति एक साझा घर है या नहीं प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है और उक्त मुद्दे को इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि डी. वी. के तहत आवेदन।

अधिनियम लंबित है। अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए नियमित वाद में सतीश चंद्र आहुजा बनाम.

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

प्रतिवादी की याचिका कि वाद संपत्ति उसका साझा घर है और उसे निवास का अधिकार है, धारा 26 के आधार पर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता था, जिस पर हम थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करेंगे।

83. धारा 2 (ओं) पर अपनी चर्चा समाप्त करने से पहले, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि धारा 19 के तहत निवास का अधिकार अक्षम्य नहीं है।

साझा घर में रहने का अधिकार विशेष रूप से तब जब बहू को वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। अपने जीवन की शाम को वरिष्ठ नागरिक भी अपने बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह से परेशान हुए बिना शांति से रहने के हकदार हैं। अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन में या किसी भी दीवानी कार्यवाही में राहत देते समय, न्यायालय को दोनों पक्षों के अधिकारों को संतुलित करना होता है। पैराग्राफ 56 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश दोनों पक्षों के अधिकारों को पर्याप्त रूप से संतुलित करते हैं।

84. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। 1 और 2 निम्नलिखित तरीके से:

धारा 2 (ओं) में साझा परिवार की परिभाषा दी गई है।

(1)

इसे इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि साझा परिवार केवल वह परिवार हो सकता है जो संयुक्त परिवार का परिवार हो जिसमें पति सदस्य हो या जिसमें पीड़ित का पति हो।

व्यक्ति का एक हिस्सा होता है।

एस. आर. बत्रा बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। तरुणा बत्रा

((ख)

(उपर्युक्त) ने अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओं) की सही व्याख्या नहीं की है और निर्णय एक सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

प्रश्न संख्या। 3 और 4

85. आपस में जुड़े हुए दोनों मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है।

86. विचार के लिए जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय ने कथित पर डिक्री पारित करने में न्यायसंगत था।

सी. पी. सी. के आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रवेश या नहीं। जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि आदेश XII नियम 6, सी. पी. सी. के तहत शक्तियों के प्रयोग में प्रवेश पर निर्णय की गारंटी देने वाली स्वीकृति क्या है। इस न्यायालय को निर्णयों में ऊपर विचार करने का अवसर मिला था; हिमानी अलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड, (2011) 15 एससीसी 273 और एस. एम. आसिफ बनाम विरेन्द्र कुमार बजाज, (2015) 9 एस. सी. सी. 287।

87. हिमानी अलॉयज लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय को प्रवेश पर निर्णय के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर मिला था। आदेश XII नियम 6, सी. पी. सी. के तहत शक्तियाँ। यह [2020] 12 एस. सी. आर. में मनाया और आयोजित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 11 में कहा गया है कि एक सक्षम प्रावधान होने के नाते, आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों के प्रयोग में प्रवेश पर निर्णय पारित करना न तो अनिवार्य है और न ही पूर्वनिर्धारित, बल्कि न्यायालय के लिए विवेकाधीन है। यह देखा गया है कि न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने पर अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग यह ध्यान में रखते हुए करना होगा कि प्रवेश पर निर्णय बिना मुकदमे के एक निर्णय है जो गुण-दोष पर अपील के माध्यम से प्रतिवादी को किसी भी उपाय से स्थायी रूप से इनकार करता है। यह आगे देखा गया है कि जब तक स्वीकारोक्ति स्पष्ट, स्पष्ट और बिना शर्त नहीं है, तब तक अदालत के विवेकाधिकार का उपयोग दावे को चुनौती देने के प्रतिवादी के मूल्यवान अधिकार से इनकार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, विवेकाधिकार का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब एक स्पष्ट "स्वीकार" हो जिस पर कार्रवाई की जा सके। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि "प्रवेश" होना चाहिए

श्रेणीबद्ध। यह पार्टी द्वारा इसे बनाने का एक सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए, जो इससे बंधे रहने का इरादा दिखाता है।

अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि जहां प्रतिवादियों ने आपत्तियां उठाई हैं जो मामले की जड़ तक जाती हैं, तो आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। 89. इस संदर्भ में, हमें दोनों पक्षों की दलीलों के कुछ हिस्सों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसा कि शिकायत और लिखित बयान में खुलासा किया गया है। द.

वादी ने मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक होने का दावा करते हुए अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया है, जहां प्रतिवादी को कम सुविधाओं वाले दो शयनकक्षों पर कब्जा करने के लिए स्वीकार किया गया था।

संपत्ति की पहली मंजिल। वादी ने दलील दी कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी आयु 76 वर्ष है, लेकिन वह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था और उसने कानून को समाप्त कर दिया है।

प्रतिवादी का लाइसेंस, जो पहली मंजिल पर रहता था। पैराग्राफ 1,2,3,4 और 5 में वादी की दलीलें इस प्रकार हैं:

" 1. कि वादी संपत्ति का पूर्ण मालिक है

नं. डी.-1077 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 025,492 वर्ग गज में फैला हुआ है और वर्तमान मुकदमा दायर कर रहा है जिसमें प्रतिवादी को संपत्ति की पहली मंजिल से हटाने की मांग की गई है।

नं. डी-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 025।

2. कि प्रतिवादी के कब्जे में दो शयनकक्ष हैं जिनमें संलग्न कपड़े और स्नान कक्ष हैं और संपत्ति की पहली मंजिल पर एक रसोईघर है जिसमें संख्या डी-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली सतीश चंद्र आहुजा बनाम है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

- 110 025 साइट प्लान में विशेष रूप से लाल रंग में वर्णित और इसके बाद सूट परिसर के रूप में संदर्भित किया गया है।

3. कि वादी 76 वर्ष की आयु का एक वरिष्ठ नागरिक है और हृदय रोगी है और उसकी धमनियों में दो बार एंजियोप्लास्टी हुई है।

दिल। वादी उच्च रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और इसके लिए लगातार दवा ले रहा है। इस तरह से अपने बुढ़ापे में वादी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और उसने पहली मंजिल पर रहने के लिए प्रतिवादी का लाइसेंस समाप्त कर दिया है।

वाद संपत्ति जो वादी की अनन्य संपत्ति है।

4. कि वादी झूठे और तुच्छ मामले दर्ज करने और करने का प्रयास करने में प्रतिवादी के यातनापूर्ण कृत्यों से व्यथित है

वादी और उसकी वृद्ध पत्नी को झूठे मामलों में फंसाना, वादी अपनी परिपक्व वृद्धावस्था में प्रतिवादी को हटाने के लिए प्रार्थना करता है सूट संपत्ति ताकि फेंकने के बिना तनाव मुक्त जीवन व्यतीत किया जा सके

प्रतिवादी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और यातना।

5. कि वादी मुकदमे की संपत्ति का एकमात्र और पूर्ण मालिक है जिसे वादी ने अपने पिछले मालिक श्री कुलभूषण जैन से 12 जनवरी, 1983 को रुपये की राशि में बेचने के समझौते के माध्यम से अधिग्रहित किया था। 2,77,000 / - (केवल दो लाख सत्तत्तर हजार रुपये) और उक्त की खरीद के बाद

वादी ने यहाँ पूरी संपत्ति का निर्माण किया उनके स्वयं के अर्जित धन से सूट संपत्ति की पहली मंजिल और संख्या डी-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 025 वाली पूरी संपत्ति को दिनांकित हस्तांतरण विलेख के माध्यम से फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे खंड No.951 पृष्ठ 54 से 56 में पंजीकरण No.2500 के माध्यम से उप-पंजीयक आश्वासन VII के साथ विधिवत पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, वादी ने सं. डी.-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 025 वाली पूरी संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है और वह वाद संपत्ति की पहली मंजिल के हिस्से से प्रतिवादी को हटाने की मांग करने वाला वर्तमान मुकदमा दायर करने का हकदार और सक्षम है।

90. प्रतिवादी द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था जिसमें उसने लिखा था कि 04.03.1995 पर प्रतिवादी की शादी के बाद, वह ई-हाउस में रह रही है। यह आगे दलील दी गई कि साझा परिवार था

वादी द्वारा संयुक्त परिवार निधि के माध्यम से और यह उसकी स्व-संपत्ति नहीं है। लिखित कथन के अनुच्छेद 1,4 और 7 इस प्रकार हैं -

वीएसः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. यह कि शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों का केवल अवलोकन और अन्यथा भी यह स्पष्ट है कि वादी अपने स्वयं के संस्करण के अनुसार केवल वर्ष 2003 में डी-1077, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 वाली सूट संपत्ति का मालिक बना। जवाब देने वाले प्रतिवादी की शादी थी

4/3/1995 को सम्मानित किया गया और तब से प्रतिवादी संयुक्त साझा घर में रहने लगा। इसलिए प्रतिवादी का अधिकार समय की दृष्टि से वादी का अधिकार है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त साझा परिवार को वादी द्वारा संयुक्त परिवार निधि के माध्यम से कथित रूप से अधिग्रहित किया गया था और न कि उसकी स्व-अर्जित संपत्ति। वादी ने 1982 से 2006 तक सभी आयकर विवरणों, बैंक विवरणों, लेखा परीक्षित तुलनपत्रों आदि का खुलासा करने का आह्वान किया। यह वादी पर आदेश XI नियम 12 सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत पता लगाने के लिए देखा जा सकता है। चूंकि सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान के तहत प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों की इस तरह की खोज के लिए अलग से आवेदन भी दायर किया जा रहा है। इसे देखते हुए, वर्तमान बनाए रखने योग्य नहीं है और इसके लिए उत्तरदायी है

बर्खास्त कर दिया। 4. कि वादी द्वारा दायर मुकदमा सीधे प्रतिवादी के अपने वैवाहिक जीवन में रहने के अधिकार के साथ टकराव में है।

विधानमंडल द्वारा उसे प्रदान किया गया निवास/साझा घर और विशेष रूप से राज्य के संरक्षण की धारा 17 और 19 में परिकल्पित

घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, 2005 और इस तरह से सीमा पर बर्खास्त किया जा सकता है। प्रतिवादी 04.03.1995 पर वादी के 'बहू' के रूप में और अपने बड़े बेटे श्री रवीन आहूजा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में मुकदमे की संपत्ति में आया था। विवाह के बाद प्रतिवादी वादी श्री रवीन आहूजा के बेटे के साथ संयुक्त परिवार में निर्बाध रूप से रहता था और वहाँ एक संयुक्त रसोईघर था/है। प्रतिवादी को वाद संपत्ति में रहने का अधिकार है चाहे या

न ही उसके पास कोई सही उपाधि या लाभकारी हित है। वादी श्री रवीन आहूजा का बेटा वाद परिसर के भूतल पर वादी के साथ रह रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, वादी का झुकाव बनाए रखने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

7. कि वादी ने इस माननीय न्यायालय से स्वच्छ हाथों से संपर्क नहीं किया है और सत्य और भौतिक तथ्यों को दबा दिया है

वादी द्वारा अपनी पत्नी और उनके बड़े बेटे द्वारा घरेलू हिंसा आदि के कारण प्रतिवादी को शारीरिक और मानसिक यातना देने के संबंध में। उन्होंने सतीश चंदर आहुजा बनाम के खिलाफ भी साजिश रची।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

प्रतिवादी उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए

एक छल पूर्ण तरीके से। इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मुकदमा नहीं है

रखरखाव योग्य है और बर्खास्त किए जाने योग्य है। "

91. वादी द्वारा इस आधार पर घर का एकमात्र मालिक होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया था कि उसने घर का निः शुल्क लाइसेंस समाप्त कर दिया है। प्रतिवादी। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी (प्रतिवादी) ने वादी और उसकी पत्नी को शामिल करते हुए झूठा मामला दर्ज किया है। वादी ने आगे कहा कि वादी की पत्नी को कई मौकों पर प्रतिवादी के हाथों विभिन्न धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं करता है कि घर वादी के नाम पर दर्ज किया गया था और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर अपने आवेदन में उसने कहा कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक है, लेकिन मुकदमे में दायर लिखित बयान में उसने दलील दी कि घर को दर्ज किया गया है।

संयुक्त परिवार निधि द्वारा खरीदा गया। प्रवेश के आधार पर विचारण न्यायालय

प्रतिवादी द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर अपने आवेदन में कहा गया है कि वादी घर का मालिक है और उसने धारा 12 (6) के तहत मुकदमे का फैसला किया है।

92. भले ही तर्क के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि वादी घर का एकमात्र मालिक है, चाहे उपरोक्त आधार पर, निचली अदालत बचाव पक्ष को संबोधित किए बिना आदेश XII नियम 6 सी. पी. सी. के तहत मुकदमे का फैसला कर सकती थी जो प्रतिवादी द्वारा मुकदमे का विरोध करने के लिए लिया गया था। अधिनियम, 2005 की धारा 26 में "अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में राहत" शीर्षक शामिल है। धारा 26, जो वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक है, तैयार संदर्भ के लिए निकाली गई हैः

" 26. अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में राहत। - (1)

धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है।

या एक आपराधिक अदालत, पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करती है और

क्या ऐसी कार्यवाही पहले या बाद में शुरू की गई थी

इस अधिनियम का प्रारंभ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी राहत किसी अन्य राहत के अलावा और उसके साथ मांगी जा सकती है।

व्यक्ति किसी दीवानी या कानूनी कार्यवाही के समक्ष ऐसे मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की मांग कर सकता है।

आपराधिक अदालत।

(3) यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, [2020] 12 एस. सी. आर. के तहत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में कोई राहत प्राप्त की गई है।

वह ऐसे अनुदान के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगी।

राहत "।

93. धारा 26 के अनुसार, अधिनियम, 2005 की धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत किसी भी कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है।

दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत के समक्ष पीड़ित व्यक्ति होना। इस प्रकार, प्रतिवादी वाद में धारा 19 के तहत राहत का दावा करने का हकदार है, जो वादी द्वारा दायर किया गया है। धारा 26 को अधिकार देता है

व्यथित व्यक्ति का सिविल न्यायालयों में भी उपरोक्त राहत का दावा करना। वर्तमान मुकदमे में, यह प्रतिवादी का बचाव था कि घर साझा किया गया था

वह अधिनियम, 2005 की धारा 17 (1) के अनुसार घर में रहने की हकदार है। इस न्यायालय को वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम नानासाहेब गोपाल जोशी, (2017) 14 एस. सी. सी. 373 में धारा 26 के प्रावधान पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में, अपीलार्थी का विवाह एक अभिमन्यु के साथ हुआ था, जिसके साथ वह सूट फ्लैट नंबर 4,45/4, आरती सोसाइटी, शिवविहार कॉलोनी, पौड फाटा, पुणे में रह रही थी। पति ने अपीलार्थी के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया। ससुर ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए लघु कारण न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए

सूट फ्लैट का कब्जा और उपयोग बंद करें। अपीलार्थी ने मुकदमे में एक लिखित बयान दायर किया जिसमें दावा किया गया कि हालाँकि फ्लैट में प्रतिवादी का नाम है लेकिन वह सूट फ्लैट में रह रही है। उसने यह दावा करते हुए एक जवाबी दावा दायर किया कि फ्लैट एक साझा घर है और मुकदमा खारिज कर दिया जाए। प्रतिदावे को न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पुनरीक्षण के साथ-साथ रिट याचिका भी खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय ने उस प्रश्न का उल्लेख किया, जो उपरोक्त मामले में पैराग्राफ 16 में विचार के लिए उठाया गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस अपील में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाना है कि क्या अपीलार्थी द्वारा निवास के अधिकार की मांग करने वाला जवाबी दावा संविधान की धारा 19 के अनुसार दायर किया गया है।

2005 प्रत्यर्थी, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 के तहत उसके ससुर द्वारा दायर मुकदमे में अधिनियम मनोरंजक है या

नहीं। क्या 1887 के अधिनियम के प्रावधान इस तरह के प्रतिदावे के मनोरंजन को रोकते हैं, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।

94. अधिनियम की धारा 26 के प्रावधान पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 23 और 24 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 23. अधिनियम की धारा 26 एक विशेष प्रावधान है जिसे अधिनियम में अधिनियमित किया गया है। हालाँकि, अधिनियम का अध्याय IV धारा 12 को धारा 29 में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शामिल है -

सतीश चंदर आहुजा बनाम के समक्ष आवेदन करके राहत के आदेश प्राप्त करना।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

जबकि मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए कदम और विभिन्न

राहत की श्रेणियां दी जा सकती हैं जैसा कि धारा 18 में उल्लेख किया गया है

धारा 18 से 22 के तहत उपलब्ध किसी भी कानूनी मामले में भी मांगा जा सकता है। दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत के समक्ष कार्यवाही,

पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करना। धारा 26 है

वर्तमान मामले के लिए सामग्री क्योंकि अपीलार्थी ने उसे स्थापित किया है

न्यायाधीश के समक्ष इस धारा के आधार पर प्रतिदावा, लघु

कारण न्यायालय। धारा 26 नीचे निकाली गई है:

" 26. अन्य मुकदमों और कानूनी कार्यवाही में राहत।

(1) धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत दीवानी अदालत के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में भी मांगी जा सकती है।

पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करने वाली पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत और प्रत्यर्थी कि क्या ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी

इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी राहत मांगी जा सकती है।

इसके अलावा और किसी भी अन्य राहत के साथ

पीड़ित व्यक्ति ऐसे मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की मांग कर सकता है।

दीवानी या आपराधिक अदालत के समक्ष।

(3) यदि पीड़ित द्वारा कोई राहत प्राप्त की गई है

अधिनियम, वह अनुदान के मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगी इस तरह की राहत "।

24. इससे पहले कोई विवाद नहीं हो सकता है

न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय एक कानूनी कार्यवाही है और न्यायाधीश,

लघु कारण न्यायालय एक दीवानी न्यायालय है। धारा 26 के बल पर, 2005 के अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत, इस प्रकार,

पीड़ित व्यक्ति द्वारा भी इसकी मांग की जा सकती है। 95. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 26 की व्याख्या एक में की जानी चाहिए

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए। इस अदालत ने कहा

पीड़ित व्यक्ति के दावे का निर्धारण आवश्यक था

ई कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए मुकदमा। इस अदालत ने निर्धारित किया

पैराग्राफ 40 और 41 में कहा गया हैः

" 40. 2005 के अधिनियम की धारा 26 की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए -

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने का तरीका।

जब तक कि किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दावे का निर्धारण नहीं किया जाता है

2005 के अधिनियम द्वारा विचार किया गया कोई भी आदेश स्पष्ट रूप से वर्जित है [2020] 12 एस. सी. आर.

सिविल न्यायालय द्वारा विचार किए जाने से, यह न्यायालय किसी भी कानूनी मामले में ऐसे किसी भी दावे पर विचार करने के लिए बार में पढ़ने के लिए अनिच्छुक होगा।

दीवानी अदालत के समक्ष कार्यवाही। जब न्यायाधीश में वादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही, लघु कारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अनावश्यक लाइसेंस को समाप्त करने का आरोप लगाया और अपीलार्थी को सूट फ्लैट का उपयोग करने से रोकने और वादी को फ्लैट में प्रवेश करने और उपयोग करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था।

इस तरह के दृढ़ संकल्प और इनकार के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है

अपीलार्थी के दावे पर, जैसा कि उसके प्रतिवाद में उठाया गया है, विचार करना 2005 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा विचार किए गए दावे पर विचार करने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जिससे कई कार्यवाहियां होंगी, जो 2005 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य नहीं हो सकता है।

41. इस प्रकार, हमारा विचार है कि

न्यायाधीश, लघु कारण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर प्रतिदावे

2013 के दीवानी मुकदमा संख्या 77 में न्यायालय पूरी तरह से मनोरंजक था और निचली अदालतों ने इस तरह के दावे पर विचार करने से इनकार करने में त्रुटि की। "

96. उपरोक्त मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी का उद्देश्य है कि संपत्ति साझा घर है और उसे घर में रहने के लिए अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए था और दावे/बचाव पक्ष पर विचार न करना कुछ और नहीं है।

अधिकार, जो अधिनियम, 2005 द्वारा संरक्षित है।

97. हमने एस. एम. आसिफ विरेन्द्र कुमार बजाज (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान दिया है जहाँ यह न्यायालय पैराग्राफ 8 में है।

आई. डी. निम्नलिखित हैः

" 8. आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. में शब्द "हो सकता है" और "ऐसा आदेश दे सकता है". से पता चलता है कि आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. के तहत शक्ति है।

विवेकाधीन है और अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। प्रवेश पर निर्णय अधिकार का मामला नहीं है और बल्कि एक है

न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला। जहां प्रतिवादियों ने आपत्तियां उठाई हैं जो मामले की जड़ तक जाती हैं, तो यह नहीं होगा

आदेश 12 नियम 6 सी. पी. सी. के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित है। उक्त नियम एक सक्षम प्रावधान है जो अदालत को प्रवेश पर त्वरित निर्णय देने और अपने प्रतिद्वंद्वी के एक पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए दावे की सीमा तक विवेकाधिकार प्रदान करता है।

दावा करें "। सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

98. आदेश XII नियम 6 के तहत शक्ति विवेकाधीन है और अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विचारण न्यायालय को आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रतिवादी के प्रवेश पर निर्णय नहीं देना चाहिए था जैसा कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर उसके आवेदन में निहित है। इस प्रकार, आदेश XII नियम 6 के तहत निर्णय पारित करने में निचली अदालत द्वारा अपनाई गई कार्रवाई को मंजूरी नहीं देने के एक से अधिक कारण हैं। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि आदेश XII नियम 6 के तहत दिया गया विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री अस्थिर है।

प्रश्न संख्या 5

99. धारा 2 (क्यू) 'उत्तरदाता' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः

" 2 (क्यू) "प्रत्यर्थी" का अर्थ है कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है या रहा है और

जिनके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने कोई राहत मांगी है

यह अधिनियमः

बशर्ते कि विवाह की प्रकृति के संबंध में रहने वाली एक पीड़ित पत्नी या महिला भी शिकायत दर्ज करा सकती है।

पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ;

100. किसी व्यक्ति के लिए धारा 2 (क्यू) के अर्थ के भीतर प्रतिवादी माने जाने के लिए दो शर्तें हैं, अर्थात, (i) पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में, और (ii) जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने अधिनियम, 2005 के तहत कोई राहत मांगी है। यह ध्यान देने योग्य है कि

धारा 2 (क्यू) में आने वाली अभिव्यक्ति "कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति" हीराल पी. हरसोरा और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई।

अदालत ने माना कि "वयस्क पुरुष व्यक्ति" प्रत्यर्थी के अर्थ को सीमित करता है धारा 2 (क्यू) में केवल "वयस्क पुरुष व्यक्ति" के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाले किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है। इस अदालत ने "वयस्क पुरुष" शब्द को खारिज कर दिया। इसलिए, अब धारा 2 (क्यू) की परिभाषा के तहत महिलाओं को भी शामिल करने की अनुमति है।

101. प्रतिवादी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 20.11.2015 पर धारा 12 के तहत दायर अपने आवेदन में

सतीश चंद्र आहूजा को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई घरेलू हिंसा की कार्यवाही में, वादी प्रतिवादी था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध कोई भी राहत [2020] 12 एस. सी. आर. भी मांगी जा सकती है।

लिखित बयान में दावा किया गया है कि वह सूट संपत्ति के परिसर में रहने की हकदार है क्योंकि यह उसका साझा घर है। 102. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन मुकदमे में प्रतिवादी ने धारा 19 के तहत कोई राहत नहीं मांगी है। यह.

यह सच है कि धारा 19 के तहत कोई राहत देने के लिए मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा कोई अलग आवेदन या अलग प्रार्थना नहीं की गई है, लेकिन अपने अभिवचनों में उसने इस आधार पर वादी के दावे का विरोध किया है कि उसे मुकदमे की संपत्ति में रहने का अधिकार है क्योंकि वह उसका साझा घर है। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या वाद परिसर प्रतिवादी का साझा घर है और उसे साझा घर में अधिकार है ताकि विचारण न्यायालय के समक्ष डिक्री का सफलतापूर्वक विरोध किया जा सके, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक था। हमारा आगे यह विचार है कि जब वाद में प्रतिवादी ने वाद संपत्ति में अपने निवास के अधिकार के आधार पर डिक्री का विरोध करने का अनुरोध किया है, तो उसे वाद और साक्ष्य दोनों द्वारा वाद में अपना दावा साबित करना था।

103. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने की शर्तों में से एक

प्रत्यर्थी वह है जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने अधिनियम के तहत कोई राहत मांगी है। प्रतिवादी ने अपने अभिवचनों में दावा किया है कि उसे वाद संपत्ति में रहने का अधिकार है, उसे वाद का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए अभिवचन करना होगा और यह साबित करना होगा कि उसे प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन किया गया है, जो अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) में दी गई व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में निहित है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी द्वारा धारा 12 के तहत दायर आवेदन में एक अंतरिम आदेश पारित किया, लेकिन कहा कि आदेश अंतरिम आदेश था जो मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर पारित किया गया था कि "आवेदन ने प्रथम दृष्टया खुलासा किया कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है या उसने किया है"। धारा 19 के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा कोई राहत देने के लिए यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी पीड़ित व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है या उसने किया है। को।

धारा 2 (क्यू) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को "प्रतिवादी" के रूप में मानना यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति ने एक कार्य किया है -

पीड़ित व्यक्ति पर घरेलू हिंसा। 104. इस प्रकार, हमारा विचार है कि धारा 26 के साथ पठित धारा 17 और 19 के तहत प्रतिवादी के अधिकार के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए

विचाराधीन वाद वादी को "प्रत्यर्थी" के रूप में माना जा सकता है, लेकिन प्रतिवादी को कोई राहत देने या सतीश चंद्र आहुजा v का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित राहत देने के लिए वादी के मुकदमे को प्रतिवादी द्वारा अभिवचन और साबित किया जाना है, तभी दीवानी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को राहत दी जा सकती है।

प्रश्न संख्या 6

105. अधिनियम की धारा 17 में दो उप-धाराएँ हैं जो दो स्वतंत्र अधिकारों को शामिल करती हैं। उप-धारा (1) के अनुसार, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसे उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या लाभकारी हित हो या न हो। यह अधिकार स्पष्ट रूप से सभी को दिया गया है। अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए घरेलू संबंध में महिला। यद्यपि व्यक्तिगत कानून को विनियमित करने वाले कानून के तहत महिला को भरण-पोषण का अधिकार है, प्रत्येक पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार है जिसमें निवास का अधिकार शामिल हो सकता है, धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार प्रत्येक महिला को दिया गया नया और उच्च अधिकार है।

106. इस अधिकार को धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत दायर आवेदन पर धारा 19 के तहत एक आदेश द्वारा लागू किया जाना है। हालाँकि, धारा 17 की उप-धारा (2) में उप-धारा (2) द्वारा दिए गए अधिकार में एक अपवाद है, अर्थात "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर"। इस प्रकार, धारा 17 की उप-धारा (2) में विचार किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति को साझा परिवार से बेदखल या बाहर किया जा सकता है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर अभिव्यक्ति का अर्थ और विस्तार क्या है?

कानून द्वारा स्थापित "एक ऐसा प्रश्न है जो इस अपील में विचार के लिए आया है। क्या वादी द्वारा दीवानी न्यायालय में प्रतिवादी के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया गया है। हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि विद्वत मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के पक्ष में 26.11.2016 पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए उस पर

धारा 12 के तहत दायर आवेदन में निर्देश दिया गया है कि "प्रतिवादी कथित साझा घर को अलग नहीं करेगा और न ही वे शिकायतकर्ता या उनके बच्चों को बिना किसी आदेश के उससे बेदखल करेगा।

सक्षम न्यायालय "। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट ने प्रावधान किया है कि सक्षम न्यायालय के आदेशों के बिना आवेदक (इसमें प्रतिवादी) को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, विशेष रूप से अंतरिम आदेश

यह विचार करता है कि यह केवल सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी को बेदखल किया जाएगा।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

107. हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ एक अंतिम आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश का? धारा 25 (2) स्वयं एक ऐसी संभावना पर विचार करती है जब अधिनियम के तहत पारित आदेश को बदला जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। धारा 25 (2) प्रदान करती हैः

" धारा 25। आदेशों की अवधि और परिवर्तन।

(1)

XXX

XXX

XXX

(2) यदि मजिस्ट्रेट, से एक आवेदन की प्राप्ति पर

पीड़ित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, संतुष्ट है कि एक परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में परिवर्तन या

इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश का निरसन, वह कारणों से कर सकता है

लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए ऐसा आदेश पारित करें, जो वह समझे उचित "।

108. चाहे धारा के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अलावा

25 (2) अधिनियम, 2005, अधिनियम, 2005 किसी भी अन्य घटना पर विचार करता है जब धारा 19 के तहत निवास के आदेश के बावजूद एक पीड़ित व्यक्ति को बेदखल या बेदखल किया जा सकता है।

109. धारा द्वारा प्रदत्त साझा घर में रहने का अधिकार

17 स्वयं व्यक्त शब्दों में एक अपवाद पर विचार करता है, अर्थात, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर"।

110. धारा 19 के तहत कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया

जैसा कि अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार है। अधिनियम, 2005 की धारा 28 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 28. प्रक्रिया। - (1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर, सभी

धारा 12,18,19,20,21,22 और 23 के तहत कार्यवाही और अपराध धारा 31 के तहत संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2)। (2) उप-धारा (1) की कोई भी बात न्यायालय को फैसला सुनाने से नहीं रोकेगी।

धारा के तहत आवेदन के निपटारे के लिए अपनी प्रक्रिया को कम करें

12 या धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत।

111. ये नियम अधिनियम, 2005 के तहत बनाए गए हैं।

" घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 "। नियम 5 घरेलू घटना रिपोर्ट से संबंधित है जिसे सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र I में प्रस्तुत किया जाना है। प्रपत्र I नियम का हिस्सा है जिसमें सतीश चंद्र आहुजा बनाम शामिल है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

112. इस संदर्भ में Cr.P.C की धारा 145 के प्रावधान पर ध्यान दिया जा सकता है। Cr.P.C की धारा 145 में विवाद होने पर प्रक्रिया का प्रावधान है। भूमि या जल के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है। धारा 145 Cr.P.C के तहत यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि शांति भंग करने की संभावना वाला कोई विवाद मौजूद है, तो वह पक्षों से अदालत में उपस्थित होने और यह तय करने के लिए कह सकता है कि क्या उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर कोई और कौन सा पक्ष विवाद के विषय के कब्जे में था। धारा 145 Cr.P.C की उप-धारा (6) मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने पर विचार करती है जिसमें ऐसे पक्ष को ऐसे कब्जे का हकदार घोषित किया जाता है। हालाँकि, उप-धारा (6) में विचार किया गया है कि पक्षकारों को उस समय तक उस पर कब्जा करने का अधिकार होगा जब तक कि कानून के अनुसार उन्हें वहां से बेदखल नहीं कर दिया जाता। कानून के अनुसार बेदखली को एक सक्षम अदालत द्वारा माना गया था।

113. इस न्यायालय के पास शांति कुमार पांडा बनाम शकुंतला देवी, (2004) 1 एस. सी. सी. 438 में धारा 145 (6) में होने वाली "कानून के उचित पाठ्यक्रम में इससे बेदखल होने तक" अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर था।

इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 Cr.P.C के प्रावधानों का उद्देश्य एक त्वरित और संक्षिप्त उपचार प्रदान करना है ताकि इसे रोका जा सके।

कार्यपालिका को विवाद प्रस्तुत करके शांति भंग करना संपत्ति पर कब्जे के सवाल पर विवाद करने वाले पक्षों के बीच समाधान के लिए मजिस्ट्रेट। इस न्यायालय ने माना कि असफल

धारा 145 Cr.P.C के तहत कार्यवाही में पक्ष को कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा करना चाहिए जो कब्जे की बहाली के लिए डिक्री या आदेश की मांग करता है। पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 145 की उप-धारा (6) का? इसका मतलब यह है कि के बीच अधिकार की बहाली का निर्देश देने वाला मुकदमा या कार्यवाही

पक्षकार क्रमशः कार्यवाही में असफल और सफल रहे

धारा 145 या सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के तहत जो

स्पष्ट रूप से सफल पार्टी को बेदखल करने का निर्देश नहीं देने का प्रभाव पड़ता है

अधिकार या अधिकार को बनाए रखने का

इसके बाद, आम तौर पर एक पक्ष के तहत कार्यवाही में असफल धारा 145 को अधिकार की वसूली के लिए मुकदमा करना चाहिए

अधिकार की बहाली के लिए डिक्री या आदेश। लेकिन एक पार्टी हालांकि धारा 145 के तहत कार्यवाही में असफल अभी भी हो सकता है

सक्षम न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम होना कि

यह वास्तव में संपत्ति के कब्जे में था और इसका हकदार है

इसका प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत मामला बनाकर उसे बनाए रखें मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है। ”

114. इस अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष

धारा 145 Cr.P.C के तहत जब मामला सक्षम अदालत के समक्ष निर्णय के लिए आता है तो यह बाध्य नहीं करता है। इस न्यायालय ने व्याख्या की कि "जब तक कानून के उचित पाठ्यक्रम में उससे बेदखल नहीं किया जाता है" का अर्थ है "कोई भी न्यायालय जिसके पास संपत्ति के स्वामित्व या अधिकारों या कब्जे की पात्रता के प्रश्न पर निर्णय लेने की अधिकारिता है"। फैसले के पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

शब्द 'जब तक देय में वहाँ से बेदखल नहीं किया जाता है

" 17 .....

'धारा 145 की उप-धारा (6) में होने वाली विधि की प्रक्रिया'

इसका अर्थ है मजिस्ट्रेट के समक्ष सफल पक्ष को बेदखल करना,

द्वारा अधिकार या अधिकार के अधिकार के निर्णय के परिणामस्वरूप

एक सक्षम अदालत; इसका जरूरी अर्थ यह नहीं है कि

निष्कासन। मजिस्ट्रेट के समक्ष असफल पक्ष विवाद कर सकता है

मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निष्कर्ष की शुद्धता और है

सक्षम न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए स्वतंत्र है कि उसने नहीं किया था सफल पार्टी को बेदखल कर दिया या कि वह असफल है

पार्टी और सफल पार्टी नहीं जो वास्तव में कब्जे में थी

और मजिस्ट्रेट द्वारा इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला गया था पूरी तरह से या स्पष्ट रूप से गलत और कानून में अस्थिर।

115. धारा 145 और धारा 146 के संदर्भ में कानून का सारांश

Cr.P.C. मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रभाव इस सतीश चंद्र आहुजा बनाम द्वारा दर्ज किए गए थे।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

पैरा 23, जिसका वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

एक कार्यकारी के आदेश के बाद अंपिटेंट कोर्ट आपराधिक संहिता की धारा 145/146 के तहत मजिस्ट्रेट

अन्यथा, मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रभाव के बारे में कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाए:

(1) संहिता की धारा 146 की उप-धारा (1) में उपयोग किए गए 'सक्षम न्यायालय' शब्दों का आवश्यक रूप से अर्थ दीवानी न्यायालय नहीं है। केवल। एक सक्षम न्यायालय वह है जिसके पास अधिकार क्षेत्र है -

स्वामित्व के प्रश्न या संपत्ति पर कब्जे के अधिकार के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करने की क्षमता, जो कार्यवाही का विषय बनती है

कार्यकारी मजिस्ट्रेट;

(2) धारा 145 (1) के तहत एक आदेश में असफल एक पक्ष एक सक्षम अदालत में कार्यवाही शुरू करेगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि विवादित संपत्ति पर कब्जा करने का हक

सफल पक्ष, आम तौर पर, की वसूली की राहत

अधिकार की मांग करना उचित होगा। कानूनी तौर पर संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की के परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

कब्जे की वसूली से राहत पाने के लिए। जैसा कि संपत्ति है

मजिस्ट्रेट द्वारा उसके लिए और उसकी ओर से न्यायिक हिरासत में रखा गया

पार्टी जो अंततः अदालत से सफल होगी

पर्याप्त है यदि केवल के संबंध में अधिकारों का निर्धारण अधिकार के अधिकार की मांग की जाती है। ऐसा सूट नहीं होगा।

कब्जे की राहत के लिए नहीं पूछने के लिए बुरा होना।

(3) आपराधिक अदालत का निर्णय दीवानी अदालत को बाध्य नहीं करता है जबकि दीवानी अदालत का निर्णय आपराधिक अदालत को बाध्य करता है। संहिता की धारा 145/146 के तहत कार्यवाही में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश एक आपराधिक अदालत द्वारा एक आदेश है और वह भी एक संक्षिप्त जांच पर आधारित है। आदेश का अधिकार है

सक्षम न्यायालय के समक्ष सम्मान और महत्व देना

अंतर्वर्ती चरण। अधिकारों के अंतिम निर्णय के चरण में, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर होगा,

मजिस्ट्रेट का आदेश कई टुकड़ों में से केवल एक है

सबूत।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4)

.....

116. उपरोक्त मामले से सादृश्य को आकर्षित करते हुए, हमारी राय है कि अभिव्यक्ति "प्रक्रिया के अनुसार है।

संपत्ति एक सक्षम न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है। हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि उप-धारा (2) में निषेधाज्ञा "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार साझा परिवार से बेदखल या बहिष्कृत नहीं की जाएगी"। इस प्रकार, प्रावधान स्वयं प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को साझा घर से बेदखल करने या बहिष्कृत करने के लिए कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया को अपनाने पर विचार करता है। इस प्रकार, उपयुक्त मामले में, सक्षम अदालत मालिक द्वारा उचित रूप से स्थापित मुकदमे में दावे पर निर्णय ले सकती है कि क्या महिलाओं को साझा घर से बाहर रखने या बेदखल करने की आवश्यकता है। बेदखली और बहिष्कार का एक सबसे आम उदाहरण तब हो सकता है जब पीड़ित व्यक्ति को समान स्तर का वैकल्पिक आवास या किराए का भुगतान प्रदान किया जाता है। धारा 19 उप-धारा (च) द्वारा ही विचार किया गया है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां वादी सक्षम न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक साबित कर सकता है कि प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। हमें ऐसे मामलों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां बेदखली या बहिष्कार की अनुमति दी जा सकती है या अस्वीकार किया जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है जिसके लिए वर्तमान मामले के तथ्यों में आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में यह राय भी व्यक्त की है कि वादी द्वारा दायर मुकदमे को गैर-विचारणीय नहीं माना जा सकता है जिसके साथ निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

हम सहमत हैं।

117. यदि किसी महिला का साझा परिवार एक किरायेदार/आवंटित/लाइसेंस प्राप्त आवास है जहां किरायेदारी/आवंटन/लाइसेंस पति, ससुर या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है, तो अधिनियम, 2005 मकान मालिक/पट्टेदार/लाइसेंसर के खिलाफ काम नहीं करता है। साझा घराने के लिए किरायेदार/आवंटनकर्ता/लाइसेंसधारी को बेदखल करने के लिए उचित कार्यवाही। तथापि, यदि कार्यवाही किसी कारण से देय है

दोनों के बीच मिलीभगत, महिला, जो साझा सतीश चंदर आहुजा बनाम में रह रही है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

परिवार को उन सभी आधारों पर कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार है जो

किरायेदार/पट्टेदार/लाइसेंसधारी कार्यवाही में भाग ले सकते थे। अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हटाए जाने या बाहर नहीं किए जाने का प्रतिबंध केवल "प्रतिवादी" के खिलाफ काम करता है, यानी वह व्यक्ति जो अधिनियम, 2005 की धारा 2 (क्यू) के अर्थ के भीतर प्रतिवादी है।

प्रश्न संख्या 7

118. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देते हुए कहा कि प्रतिवादी के पति को आदेश I नियम 10 सी. पी. सी. के तहत स्वतः संज्ञान शक्तियों का उपयोग करके निचली अदालत द्वारा आरोपित किया जाए, यह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के बेटे के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है, वह (बेटा) न तो आवश्यक था और न ही उचित पक्षकार था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने रज़िया बेगम बनाम साहेबज़ादी अनवर बेगम और अन्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 886 और रमेश हीराचंद कुंदनमल बनाम नगरपालिका मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

ग्रेटर बॉम्बे और अन्य निगम, (1992) 2 एस. सी. सी. 524।

रजिया बेगम के फैसले पर चर्चा करने वाले इस न्यायालय के अंतिम फैसले में पैराग्राफ 10 और 12 में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 10. आदेश I के तहत पक्षों को जोड़ने की अदालत की शक्ति

नियम 10, सी. पी. सी., रजिया बेगम (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में यह बताया गया था कि भारत में न्यायालयों ने पक्षकारों को जोड़ने के मामले को न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का कोई सवाल उठाने के रूप में नहीं माना है और

यह कि न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप यह दृढ़ता से स्थापित हो गया है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सके, उसे मुकदमे के विषय में प्रत्यक्ष हित होना चाहिए-चाहे वह चल या अचल संपत्ति से संबंधित प्रश्न हों।

12. सिन्हा, जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा कि विवादित स्थिति के संबंध में एक घोषणात्मक निर्णय न केवल बाध्यकारी होगा

वास्तव में न्यायालय के समक्ष पक्षकारों पर, लेकिन व्यक्तियों पर भी उनके माध्यम से क्रमशः दावा करना। न्यायालय ने यह कानून निर्धारित किया कि संपत्ति से संबंधित मुकदमे में एक व्यक्ति हो सकता है

एक पक्ष के रूप में, उसे मुकदमेबाजी के विषय में वाणिज्यिक हित से अलग प्रत्यक्ष हित होना चाहिए। जहाँ मुकदमेबाजी
का विषय स्थिति या कानूनी चरित्र के संबंध में एक घोषणा है, वहाँ प्रत्यक्ष हित की उपस्थिति के नियम को एक उपयुक्त मामले में शिथिल किया जा सकता है जहाँ न्यायालय की राय [2020] 12 एस. सी. आर. है।

कि उस पार्टी को जोड़ने से यह प्रभावी रूप से बेहतर स्थिति में होगा

और पूरी तरह से विवाद पर निर्णय लेने के लिए।

119. उपरोक्त दो मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, हालांकि

वादी ने प्रत्यर्थी के पति, अपने बेटे, रवीन आहूजा के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया है, इसलिए, वह एक आवश्यक पक्ष नहीं था, लेकिन

इस तथ्य का दृष्टिकोण कि प्रत्यर्थी ने अपने निवास के अधिकार का अनुरोध किया है अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 पर निर्भर साझा परिवार और धारा 19 के तहत दिए जाने वाले अधिकारों में से एक वैकल्पिक आवास का अधिकार है, पति एक उचित पक्ष है। हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार रखरखाव का अधिकार है -

जब न्यायालय को अधिनियम, 2005 की धारा 26 के साथ पठित धारा 17 और 19 के तहत प्रत्यर्थी के दावे पर विचार करना है, तो वह उन मामलों में एक उचित पक्षकार हो सकता है जो पति का है।

120. सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश I नियम 10 न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर या तो किसी आवेदन पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी पक्ष को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का अधिकार देता है, जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके और मामले में शामिल सभी प्रश्नों का निपटारा कर सके।

सूट। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 56 (i) में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

" 56. इन परिस्थितियों में, विवादित निर्णयों को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार मामलों को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया है:

(i) पहली बार में, उन सभी मामलों में जहां प्रत्यर्थी के बेटे/अपीलार्थी के पति को शामिल नहीं किया गया है, निचली अदालत अपने स्वतः संज्ञान को लागू करके उसके पक्ष को निर्देशित करेगी।

आदेश I नियम 10 सी. पी. सी. के तहत शक्तियाँ।

XXXXXXXXXXX "

121. उपरोक्त दिशा थोड़ी चौड़ी और पूर्ववर्ती है। घटना में,

उच्च न्यायालय संतुष्ट था कि प्रतिवादी के पति को पक्षकार बनाना आवश्यक था, उच्च न्यायालय स्वयं आदेश I नियम 10 के तहत शक्ति का उपयोग कर सकता था और इस तरह के पक्षकार के लिए निर्देश दे सकता था। जब मामला निचली अदालत को वापस भेजा जाता है, तो निचली अदालत के विवेकाधिकार को इस तरह के

सामान्य निर्देश जारी करके बाधित नहीं किया जाना चाहिए था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। पैराग्राफ 56 (i) में जारी सामान्य निर्देश सतीश चंद्र आहुजा बनाम होने में सक्षम है।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

122. अब, वर्तमान मामले पर आते हुए, हम पहले ही देख चुके हैं कि हालाँकि प्रतिवादी का पति एक आवश्यक पक्ष नहीं था, लेकिन लिखित कथन में अभिवचनों का दृष्टिकोण, पति एक उचित था

पार्टी।

प्रश्न संख्या 8

123. वर्तमान मामले के तथ्यों और घटनाओं पर ध्यान देते हुए, हम

ध्यान दिया है कि अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत में, उसके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें शिकायत में शामिल प्रतिवादी को सक्षम अदालत के आदेश के बिना आवेदक को बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद इस अपील को जन्म देने वाला मुकदमा प्रतिवादी-प्रतिवादी के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध करते हुए दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि डी. वी. अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया है। विभिन्न उदाहरणों के संबंध में,

जिन पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष भरोसा किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की टिप्पणियां की गईं कि वे निर्णय अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही शुरू करने और लंबित रहने के प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं।

124. अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत पारित अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश का सिविल कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है?

क्या डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित होने को देखते हुए सक्षम अधिकार क्षेत्र के दीवानी न्यायालय में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी या क्या अंतरिम या अंतिम आदेश द्वारा निवास का अधिकार देने वाले डी. वी. अधिनियम के तहत पारित आदेश दीवानी अदालत की कार्यवाही में बाध्यकारी हैं और दीवानी अदालत डी. वी. अधिनियम में जारी निर्देशों के विपरीत कोई निर्णय नहीं ले सकती थी, ये संबंधित प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

125. धारा 17 (2) स्वयं एक साझा परिवार से पीड़ित व्यक्ति को बेदखल या बहिष्कृत करने पर विचार करती है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि निष्कासन या बहिष्करण के लिए एक सक्षम अदालत में एक कार्यवाही अधिनियम, 2005 की सांविधिक योजना द्वारा विचार की जाती है। इस प्रकार, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में दीवानी कार्यवाही शुरू करने में न तो कोई स्पष्ट और न ही निहित बाधा है। इसके अलावा, धारा 26 पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करने वाले दीवानी न्यायालय या परिवार न्यायालय या आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में धारा 19 के तहत निवास के अधिकार से राहत देने पर भी विचार करती है। अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले या बाद में व्यथित व्यक्ति द्वारा या स्वयं व्यथित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस प्रकार, सिविल न्यायालय में कार्यवाही शुरू करने और अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत उपलब्ध राहत पर अधिनियम, 2005 द्वारा चित्रित वैधानिक योजना द्वारा विचार किया जाता है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां डी. वी. अधिनियम, 2005 के तहत जारी आदेशों के साथ-साथ दीवानी न्यायालय के फैसले में टकराव पैदा हो सकता है। निर्णय में इस तरह के संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक अन्य संबंधित मुद्दा है जिसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है? चाहे वह

आपराधिक और दीवानी कार्यवाही के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी निर्णय के संबंध में न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को दबाया जा सकता है।

126. रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत की प्रयोज्यता सर्वविदित है और धारा 11 सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है, जो सिद्धांत है।

अन्य कार्यवाहियों में भी लागू माना गया है। जब दीवानी अदालत में कार्यवाही के खिलाफ आपराधिक अदालतों के आदेश दिए जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं हो सकती है। आपराधिक कार्यवाही के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है, जबकि ऐसा दोषसिद्धि या बरी होना लागू है, उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर। धारा 300 Cr.P.C में उल्लिखित सिद्धांत एक ही अभियुक्त के खिलाफ दो आपराधिक कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक हो सकता है, जिसकी एक आपराधिक कार्यवाही और एक दीवानी कार्यवाही के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।

127. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40 से 44 जो "प्रासंगिक होने पर न्याय के न्यायालयों के निर्णयों" से संबंधित है। उस विषय पर काफी प्रकाश जो हमारे सामने विचाराधीन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 इस प्रकार है:

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

" न्याय के न्यायालयों के निर्णय जब प्रासंगिक हों

40. दूसरे मुकदमे या मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णय। — किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो कानून द्वारा किसी भी न्यायालय को किसी मुकदमे का संज्ञान लेने या मुकदमा चलाने से रोकता है, एक प्रासंगिक तथ्य है जब सवाल यह है कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे मुकदमे का संज्ञान लेना चाहिए या ऐसा मुकदमा आयोजित करना चाहिए।

41. प्रोबेट आदि में कुछ निर्णयों की प्रासंगिकता। अधिकार क्षेत्र। प्रोबेट, वैवाहिक, नौसेनाधिकार या दिवाला अधिकारिता के प्रयोग में किसी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को कोई कानूनी चरित्र प्रदान करता है या उससे छीन लेता है, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे चरित्र का हकदार घोषित करता है, या किसी विशिष्ट चीज़ का हकदार होने के लिए, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रासंगिक है, जब ऐसे किसी कानूनी चरित्र का अस्तित्व, या ऐसे किसी व्यक्ति का शीर्षक ऐसी किसी चीज़ के लिए प्रासंगिक हो।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री निर्णायक प्रमाण है।

कि कोई भी कानूनी चरित्र जो वह उस समय उपार्जित करता है जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री लागू हुई थी; कि कोई भी कानूनी चरित्र, जिसके लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को हकदार घोषित करता है, उस व्यक्ति को उस समय उपार्जित किया गया जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री उस व्यक्ति को उपार्जित होने की घोषणा करती है;

कि कोई भी कानूनी चरित्र जो वह किसी ऐसे व्यक्ति से छीन लेता है, उस समय समाप्त हो गया जब से ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री ने घोषणा की कि वह समाप्त हो गया था या समाप्त होना चाहिए; और यह कि कोई भी चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को इस तरह का हकदार घोषित करता है, उस समय उस व्यक्ति की संपत्ति थी जिससे

निर्णय, आदेश या डिक्री घोषणा करती है कि यह उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए।

42. धारा 41 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य निर्णयों, आदेशों या फरमानों की प्रासंगिकता और प्रभाव। — निर्णय,

धारा 41 में उल्लिखित आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य आदेश या फरमान प्रासंगिक हैं यदि वे जांच से संबंधित सार्वजनिक प्रकृति के मामलों से संबंधित हैं; लेकिन ऐसे निर्णय, आदेश या फरमान उस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं जो वे कहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. धारा 40 से 42 में उल्लिखित निर्णयों आदि के अलावा, जब प्रासंगिक हो। — धारा 40,41 और 42 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या फरमानों के अलावा अन्य निर्णय, आदेश या फरमान अप्रासंगिक हैं, जब तक कि इस तरह के निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जारी तथ्य नहीं है, या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रासंगिक नहीं है।

44. निर्णय प्राप्त करने में धोखाधड़ी या मिलीभगत, या

न्यायालय की अक्षमता साबित हो सकती है। — सूट के लिए कोई भी पार्टी

या अन्य कार्यवाही यह दिखा सकती है कि कोई भी निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40,41 या 42 के तहत प्रासंगिक है, और जो प्रतिकूल पक्ष द्वारा साबित किया गया है, किसी न्यायालय द्वारा दिया गया था

इसे देने के लिए सक्षम, या धोखाधड़ी या मिलीभगत से प्राप्त किया गया था।

वैवाहिक, सम्राज्ञी और दिवाला क्षेत्राधिकार जो न केवल पक्ष के खिलाफ बल्कि पूरे विश्व के खिलाफ निर्णायक हैं। इस खंड में निर्णयों के चार वर्गों की गणना की गई है। के अभ्यास में सिविल कोर्ट का एक डिक्री वैवाहिक अधिकारिता भी उन निर्णयों में से एक है जिन्हें धारा 41 के तहत प्रासंगिक माना गया था। अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों को न्यायालय द्वारा किसी भी वैवाहिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित आदेश या निर्णय नहीं माना जा सकता है। यह अधिनियम, 2005 किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के विषय पर एक विशेष अधिनियम है।

129. धारा 42 सार्वजनिक प्रकृति के मामलों के लिए प्रासंगिक निर्णयों की स्वीकार्यता से संबंधित है, हालांकि पक्षों और गोपनीयता के बीच नहीं, लेकिन

ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं कि वे कहते हैं। धारा 43 में कहा गया है कि धारा 40 से 42 में उल्लिखित निर्णयों के अलावा अन्य निर्णय तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व तथ्य में न हो या अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत प्रासंगिक न हो। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जहां धारा 12 के तहत कार्यवाही के संबंध में विचाराधीन वाद हैं, अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों का अस्तित्व दीवानी कार्यवाही में प्रासंगिक और स्वीकार्य है।

130. डी. वी. अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही ऐसी कार्यवाही है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा नियंत्रित की जानी है।

131. मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया डी. वी. अधिनियम की धारा 28 के तहत और डी. वी. अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्रदान की जाती है।

साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति। हालांकि, धारा 12 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट केवल उसके द्वारा प्राप्त घरेलू घटना की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर सकता है। सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता। डी. वी. अधिनियम की धारा 36 के अनुसार भी, डी. वी. अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। यहां तक कि मजिस्ट्रेट भी डी. वी. अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं।

132. धारा 25 (2) के साथ पठित धारा 12 (2) और धारा 26 (3) को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि विधानमंडल ने भी दोनों को स्वतंत्र रूप से परिकल्पित किया।

कार्यवाही, एक डी. वी. अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष और दूसरी डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही।

133. यहां तक कि दीवानी अदालत को भी डी. वी. के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट द्वारा पहले से दी गई राहत पर विचार करना होगा।

अधिनियम और इसके विपरीत। 134. हालांकि, साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी मामले में धारा 18,19,20,21 और 22 के तहत उपलब्ध किसी भी राहत की मांग की जाती है -

व्यथित व्यक्ति को दीवानी अदालत, पारिवारिक अदालत या आपराधिक अदालत के समक्ष किसी भी कानूनी कार्यवाही में, जिसमें निवास आदेश भी शामिल है, पीड़ित व्यक्ति को प्रमुख साक्ष्य के माध्यम से संतुष्ट करना होता है कि घरेलू हिंसा ऐसा किया गया और केवल घरेलू हिंसा होने के साक्ष्य के आधार पर, धारा 19 के तहत उपलब्ध राहत दी जा सकती है क्योंकि धारा 19 (1) विशेष रूप से प्रदान करती है कि धारा 12 की उप-धारा 1 के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, [2020] 12 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट, संतुष्ट होने पर, कि घरेलू हिंसा हुई है, निवास आदेश पारित कर सकते हैं। 135. इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 19 के तहत निवास का आदेश पारित करते समय, विशेष रूप से उप के तहत

धारा 19 (1) (बी) धारा 19 (1) के परंतुक के अनुसार, खंड (बी) के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो एक महिला है।

136. इसलिए, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (2), 17,19,20,22,23,25,26 और 28 के संयुक्त पठन पर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि -

अधिनियम स्वतंत्र कार्यवाहियाँ हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाहियाँ। पी. सी. हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत राहत के लिए मजिस्ट्रेट और/या पारिवारिक अदालत के समक्ष भरण-पोषण और दीवानी अदालत/पारिवारिक अदालत के समक्ष भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, एक मंच द्वारा पारित निष्कर्षों/आदेशों पर दूसरे मंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए। 137. अब, हम दीवानी कार्यवाही पर आपराधिक कार्यवाही, यानी अधिनियम, 2005 के तहत पारित आदेशों के प्रभाव की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और

डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही में किसी भी संघर्ष के परिणाम के साथ-साथ

दीवानी कार्यवाही।

138. हम यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान मामले में हमें बुलाया जाता है।

सक्षम न्यायालय में दीवानी कार्यवाही पर डी. वी. अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत पारित आदेशों के परिणामों और प्रभाव की जांच करना।

अधिकार क्षेत्र। इस प्रकार, हमारा विचार और व्याख्या केवल डी. वी. अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित सीमित आदेश हैं, अर्थात, एक दीवानी कार्यवाही पर आपराधिक कार्यवाही में पारित आदेशों के बीच संघर्ष।

139. हम सबसे पहले एम. एस. शेरिफ और ए. एन. आर. में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। बनाम मद्रास राज्य और अन्य। ,

ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397 उपरोक्त मामले में, अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद निर्देशित किया गया था। झूठी गवाही के लिए शिकायत दर्ज करने के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थियों, जिन पर शिकायतकर्ता को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप था, के खिलाफ गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए हर्जाने का मुकदमा भी दायर किया था। इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि किस कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात, धारा 193 के तहत अभियोजन या गलत सतीश चंद्र आहुजा बनाम के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

बंदी। उपरोक्त संदर्भ में, संविधान पीठ द्वारा पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

" 15. जैसा कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के बीच हम हैं

राय कि आपराधिक मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर भारत के उच्च न्यायालयों में कुछ मतभेद हैं। कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि दीवानी और आपराधिक अदालतों में परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना एक प्रासंगिक विचार है। कानून ऐसी संभावना की परिकल्पना करता है जब यह स्पष्ट रूप से एक अदालत के निर्णय को दूसरे पर बाध्यकारी, या यहां तक कि प्रासंगिक बनाने से बचता है, सिवाय कुछ सीमित उद्देश्यों के, जैसे कि सजा या हर्जाने के। द.

यहाँ केवल प्रासंगिक विचार की संभावना है शर्म आती है "।

140. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने कहा था कि दीवानी और आपराधिक अदालतों में परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना प्रासंगिक नहीं थी

विचार करें। इस न्यायालय ने आगे कहा था कि "कानून ऐसी संभावना की परिकल्पना करता है जब यह स्पष्ट रूप से कुछ सीमित उद्देश्यों को छोड़कर, एक अदालत के दूसरे पर बाध्यकारी, या यहां तक कि प्रासंगिक निर्णय लेने से बचता है।

141. एम. एस. शेरिफ (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने निर्देश दिया कि दीवानी मुकदमों पर तब तक रोक लगाई जानी चाहिए जब तक कि आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती। मुद्दा यह है

संविधान पीठ के समक्ष दो कार्यवाहियों में से एक पर रोक लगाने की सीमा सीमित थी। वर्तमान कार्यवाहियों में, हमें किसी भी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के संबंध में किसी भी प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ता है। इस न्यायालय ने दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के लिए परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना को देखा जो दो कार्यवाहियों में लिए गए निर्णय का एक संभावित और संभावित परिणाम है।

142. हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 यानी एस. एम. जकाती और ए. एन. आर. से संबंधित इस न्यायालय के एक निर्णय को देख सकते हैं। बनाम एस. एम.

बोरकर और ओआरएस। , ए. आई. आर 1959 एस. सी. 282। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए दायर एक मुकदमे में सहकारी समिति के उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेश के प्रभाव और परिणाम की प्रासंगिकता पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसे समिति के उप-पंजीयक द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप नीलामी में बेचा गया था।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत उप-पंजीयक के आदेशों की प्रासंगिकता पर विचार किया गया और इस न्यायालय ने पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के सिद्धांत पर ध्यान दिया:

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. अब हमारे समक्ष मामले में अपीलकर्ताओं ने भुगतान आदेश और भुगतान आदेश में उप-पंजीयक द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर भरोसा करके यह साबित करने का प्रयास किया है कि ऋण अव्यवहारिक अवधि के भीतर आता है, जहां देयता अन्य बातों के साथ-साथ विश्वासघात पर आधारित थी। प्रतिवादी 1 एम. बी. जकाती के दायित्व की प्रकृति के बारे में उप-पंजीयक के आदेश में दी गई किसी भी राय का उपयोग वर्तमान मामले में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है -

यह निर्धारित करें कि ऋण अव्यवहारिक था या अन्यथा। यह आदेश उसमें बताए गए तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के लिए स्वीकार्य नहीं है और सिवाय इसके कि यह निर्णय के अस्तित्व को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है, यह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा। की धारा 43

साक्ष्य अधिनियम, जिसका सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक और सामान्य हित के प्रश्नों को छोड़कर, किसी निर्णय के अस्तित्व को साबित करने के लिए या जब आवश्यक हो तो निर्णय,

आदेश या डिक्री, जो एक तथ्य हो सकता है

99

अप्रासंगिक।

143. हम के. जी. प्रेमशंकर बनाम मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। पुलिस निरीक्षक और एन. आर. , (2002) 8

एस. सी. सी. 87 जिस मामले में इस न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही पर दीवानी अदालत के फैसले के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय को उक्त निर्णय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 पर विचार करने का भी अवसर मिला था। तीन न्यायाधीशों की पीठ 09.11.1998 पर किए गए संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिसके द्वारा वी. एम. शाह बनाम मामले में इस न्यायालय का एक पूर्व निर्णय था। महाराष्ट्र राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 767 में पुनर्विचार की आवश्यकता थी। वी. एम. शाह के मामले में इस अदालत ने कहा था कि "आपराधिक अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को दीवानी अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से हटा दिया गया है" जिससे दीवानी अदालत के निष्कर्ष को आपराधिक अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर प्राथमिकता मिली। इस न्यायालय के समक्ष के. जी. प्रेमशंकर मामले में अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया था, जिसका संज्ञान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिया था। अपीलार्थी ने अभियोजन को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत कार्यवाही दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ मामला इस अदालत में ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने दीवानी अदालत के समक्ष कथित कार्य के लिए हर्जाने के लिए एक मुकदमा भी दायर किया था, जो मुकदमा मुद्दों को तैयार करने के चरण में निचली अदालत में लंबित था। प्रस्तुतिकरण, जो इससे पहले उठाया गया था

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को अभियोजन को हटा देना चाहिए था

अपीलार्थियों के खिलाफ क्योंकि दीवानी अदालत ने अपीलार्थियों के खिलाफ दायर हर्जाने के मुकदमे को खारिज कर दिया है। अपीलार्थियों के निवेदन का विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा खंडन किया गया था, जिन्होंने सतीश चंद्र आहुजा बनाम पर भरोसा किया था।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

साक्ष्य अधिनियम की धारा 41,42 और 43 पर। यह तर्क दिया गया था कि पिछले संपादन केवल सीमित सीमा तक प्रासंगिक हैं और दीवानी में एक डिक्री पारित होते ही आपराधिक कार्यवाही को हटाने की आवश्यकता है विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की प्रस्तुति को फैसले के पैराग्राफ 15 में संपादित किया गया है। इस न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के मुद्दे को स्वीकार कर लिया। पैराग्राफ 15

6 फैसला इस प्रकार हैः

" 15. अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल श्री अल्ताफ अहमद

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि अवलोकन किया गया

इस न्यायालय द्वारा वी. एम. शाह मामले में [(1995) 5 एस. सी. सी. 767: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077]

" आपराधिक न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, दीवानी न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इस प्रकार दीवानी न्यायालय के निष्कर्ष को उनके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर प्राथमिकता मिलती है। आपराधिक अदालत "

(एस. सी. सी पी. 770, पैरा 11)

विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है। इसके लिए, उन्होंने साक्ष्य अधिनियम की धारा 41,42 और 43 के प्रावधानों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम के तहत पिछली कार्यवाही में दिए गए निर्णय किस हद तक हैं

प्रासंगिक प्रावधान किया गया है और इसलिए यह कानून के खिलाफ होगा यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जैसे ही किसी दीवानी मुकदमे में निर्णय और डिक्री पारित की जाती है तो आपराधिक कार्यवाही को हटाने की आवश्यकता होती है यदि वादी के खिलाफ मुकदमे का फैसला किया जाता है जो आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता है।

कार्यवाही। 16. हमारे विचार में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालयों के कौन से निर्णय प्रासंगिक हैं और किस हद तक। धारा 40 में पूर्व निर्णय, आदेश का प्रावधान है।

या एक डिक्री जो कानून द्वारा किसी भी अदालत को लेने से रोकती है

एक मुकदमे का संज्ञान या मुकदमा आयोजित करना, एक प्रासंगिक तथ्य होने के लिए जब सवाल यह है कि क्या ऐसी अदालत को इसका संज्ञान लेना चाहिए

ऐसा मुकदमा या ऐसा मुकदमा आयोजित करना। धारा 40 निम्नानुसार हैः

" 40. दूसरे मुकदमे या मुकदमे पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक पिछले निर्णय। किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो कानून द्वारा किसी भी अदालत को किसी मुकदमे का संज्ञान लेने या मुकदमा चलाने से रोकता है, एक प्रासंगिक तथ्य है जब सवाल यह है कि क्या ऐसा [2020] 12 एस. सी. आर.

अदालत को ऐसे मुकदमे का संज्ञान लेना चाहिए या इस तरह का मुकदमा चलाना चाहिए।

144. एम. एस. आई. एफ. एफ. (उपरोक्त) और कुछ अन्य निर्णयों में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव से ग्राफ 30 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया थाः

" 30. उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह यह है कि (1) साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 के तहत दिए गए पिछले अंतिम निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है; (2) समान पक्षों के बीच दीवानी मुकदमों में, न्यायिक बचाव का सिद्धांत लागू हो सकता है; (3) किसी आपराधिक मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में प्रावधान किया गया है कि एक बार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने या बरी कर दिए जाने के बाद, उस पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

उसी अपराध के लिए यदि उसमें उल्लिखित शर्तें हैं -

संतुष्ट; (4) यदि आपराधिक मामला और दीवानी कार्यवाही एक ही कारण के लिए हैं, तो दीवानी अदालत का निर्णय प्रासंगिक होगा यदि -

धारा 40 से 43 में से किसी की भी शर्तों को पूरा किया जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे निर्णायक होंगी, सिवाय इसके कि धारा 40 में प्रावधान किया गया है।

धारा 41. धारा 41 में यह प्रावधान है कि कौन सा निर्णय होगा उसमें जो कहा गया है उसका निर्णायक प्रमाण।

145. इस न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि दीवानी कार्यवाही के साथ-साथ अवैध कार्यवाही का निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है

पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर जीएचटी। पैराग्राफ 32,33 और 34, जो

एलिवेन्ट, नीचे उद्धृत किए गए हैंः

और आपराधिक न्यायालय एक प्रासंगिक विचार नहीं है। कानून. परिकल्पना की गई

" ऐसी संभावना जब यह स्पष्ट रूप से करने से बचती है सजा या हर्जाना जैसे सीमित उद्देश्य को छोड़कर, एक अदालत का निर्णय दूसरे के लिए बाध्यकारी या प्रासंगिक भी है।

33. इसलिए, वी. एम. शाह मामले [(1995) 5 एस. सी. सी. 767] में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणी कि आपराधिक अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को दीवानी अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से हटा दिया गया है, कानून का सही उच्चारण नहीं है। इसके अलावा, करम चंद मामले [(1970) 3 एस. सी. सी. 694] में की गई सामान्य टिप्पणियां ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों के संदर्भ में हैं। न्यायालय को सतीश चंदर आहुजा बनाम की आवश्यकता नहीं थी।

स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

एम. एस. में संविधान पीठ के पहले के निर्णय पर विचार करें।

शेरिफ मामला [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397] साथ ही धारा 40 से 43 तक

साक्ष्य अधिनियम।

34. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड के बाद, दीवानी

कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता है

साक्ष्य पर निर्णय लिया गया, जिसे अभिलेख पर लाया जा सकता है

पार्टियाँ "।

146. हमने शांति में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर ध्यान दिया है।

धाराओं के तहत प्रावधानों पर विचार करते हुए आर पांडा (ऊपर)

और सक्षम न्यायालय में दायर मुकदमे के संदर्भ में

निम्नलिखित पैराग्राफ 15 और 21 में शब्दकोष निर्धारित किया गया थाः

" 15. यह अच्छी तरह से तय है कि एक आपराधिक अदालत द्वारा एक निर्णय

दीवानी अदालत द्वारा एक निर्णय के दौरान दीवानी अदालत को बाध्य नहीं करता है आपराधिक अदालत को बांधता है। (साक्ष्य पर सरकार, 15 वीं संस्करण देखें। ,

पीपी।

845.) संहिता की धारा 145 के तहत दिए गए निर्णय की प्रासंगिकता है। और यह दिखाने के लिए सबूत में स्वीकार्य हैः ((i) कि कोई विवाद था

किसी विशेष संपत्ति से संबंधित; (ii) कि विवाद दोनों के बीच था। विशेष पक्षकार; (iii) कि इस तरह के विवाद के कारण एक

धारा 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश या इसके तहत एक कुर्की

धारा 146 (1), दी गई तारीख को; और (iv) कि मजिस्ट्रेट

एक पक्ष को कब्जे में या काल्पनिक कब्जे में पाया गया

प्रारंभिक आदेश की तारीख को विवादित संपत्ति का। द.

मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित तर्क या अन्य निष्कर्षों पर पहुंचे

उसके द्वारा कोई प्रासंगिकता नहीं है और पहले साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं सक्षम न्यायालय और सक्षम न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं है

के प्रश्न पर भी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्कर्ष निकाले गए

हालाँकि, पक्षों के बीच के रूप में, अधिकार का आदेश

मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय को बाध्य नहीं करता है। सक्षम अदालत अधिकार क्षेत्र है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित होगा

कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए निर्णय से असंगत यहां तक कि कब्जे के सवाल पर भी। केवल धारा 145 और 146

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत किया गया प्रावधान

दोनों प्रावधानों में से किसी को भी प्रतिस्थापित किया जा रहा है और रास्ता दिया जा रहा है

किसी सक्षम न्यायालय का आदेश या डिक्री। का प्रभाव

मजिस्ट्रेट का आदेश है कि असफल लोगों पर बोझ डाला जाता है

इससे पहले कि पार्टी अपने कब्जे या कब्जे की पात्रता को साबित करे सक्षम न्यायालय।

0] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिथि. सक्षम अदालत कब्जे के सवाल पर भी अपने समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगी। जो प्राप्त निष्कर्षों के साथ असंगत या विपरीत हो सकता है

मजिस्ट्रेट द्वारा "।

147. हम देख सकते हैं कि शांति कुमार पांडा (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां वैधानिक योजना के संदर्भ में थीं।

धारा 145 और धारा 146 के तहत और इसे वैधानिक योजना के संदर्भ में पढ़ा जाना था जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई थी।

(2005) 4 एस. सी. सी. 370 जहाँ संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि न तो कोई वैधानिक प्रावधान है और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि एक कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को अंतिम या बाध्यकारी माना जा सकता है। अन्य, क्योंकि दोनों मामलों का निर्णय उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। पैराग्राफ 32 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 32. अंतिम तर्क पर आते हुए कि एक प्रयास होना चाहिए

अदालतों में, यह इंगित करना आवश्यक है कि दोनों कार्यवाहियों में आवश्यक सबूत का मानक पूरी तरह से अलग है। दीवानी मामले हैं साक्ष्य की प्रधानता के आधार पर निर्णय लिया जाता है जबकि एक आपराधिक मामले में पूरा बोझ अभियोजन पक्ष और सबूत पर होता है।

उचित संदेह से परे दिया जाना चाहिए। न तो कोई वैधानिक प्रावधान है और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि एक कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को दूसरे में अंतिम या बाध्यकारी माना जा सकता है, क्योंकि दोनों मामलों का निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। उसमें सम्मिलित किया गया।

XXXXXXXXXXXX "सतीश चंद्र आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

149. सेठ राम दयाल जाट बनाम लक्ष्मी प्रसाद, (2009) 11 एस. सी. सी. 545 में, इस न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 से 43 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था, जहां इस न्यायालय ने निर्धारित किया था कि आपराधिक अदालत में एक निर्णय सीमित उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 के प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 13. XXXXXXXXXXXX

एक आपराधिक मामले में एक निर्णय, इस प्रकार, एक सीमित उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है। केवल उस पर या उसके आधार पर, एक दीवानी कार्यवाही निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह नहीं है

किसी भी उद्देश्य के लिए स्वीकार्य।

150. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक मामले में निर्णय दीवानी मामले में बाध्यकारी नहीं है। पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

वहाँ तक। आपराधिक मामले में निर्णय दीवानी मामले पर बाध्यकारी नहीं होता है। अदालत। एम. एस. शेरिफ बनाम मद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397], इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को इस सवाल के साथ जब्त कर लिया गया था कि क्या दोनों लंबित होने की स्थिति में दीवानी मुकदमा या आपराधिक मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह राय दी गई कि आपराधिक मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निर्णयों में टकराव की संभावना के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून ऐसी संभावना की परिकल्पना करता है जब यह स्पष्ट रूप से एक अदालत के निर्णय को दूसरे पर बाध्यकारी, या यहां तक कि प्रासंगिक बनाने से बचाता है, सिवाय कुछ सीमित उद्देश्यों के, जैसे कि सजा या हर्जाना। यह माना गया कि एकमात्र प्रासंगिक विचार शर्मिंदगी की संभावना थी।

151. विष्णु दत्त शर्मा बनाम दया सप्रा, (2009) 13 एस. सी. सी. 729 में, इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि दीवानी कार्यवाही में आपराधिक अदालत के फैसले का केवल एक सीमित अनुप्रयोग होगा और आपराधिक कार्यवाही में किसी भी तरह की कल्पना से निष्कर्ष निकालना दीवानी कार्यवाही में बाध्यकारी नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

इसलिए, यह सिद्धांत अन्य बातों के साथ-साथ लागू होगा, यदि मुकदमा न्यायिक निर्णय के सिद्धांत या कारण से वर्जित पाया जाता है। किसी अन्य कानून के प्रावधानों का। यह निर्धारित नहीं करता है कि एक [2020] 12 एस. सी. आर.

आपराधिक न्यायालय का निर्णय दीवानी न्यायालय में स्वीकार्य होगा क्योंकि इसकी प्रासंगिकता सीमित है। (सेठ राम दयाल जाट बनाम देखें। लक्ष्मी प्रसाद [(2009) 11 एससीसी 545]। दीवानी कार्यवाही में आपराधिक अदालत के फैसले का केवल सीमित अनुप्रयोग होगा। अन्य बातों के साथ-साथ, इस उद्देश्य के लिए कि आरोपी कौन था और आपराधिक कार्यवाही का परिणाम क्या था। आपराधिक कार्यवाही में बिना किसी कल्पना के कोई भी निष्कर्ष दीवानी कार्यवाही में बाध्यकारी होगा।

152. एल. आर. के माध्यम से किशन सिंह (मृत) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। बनाम गुरपाल सिंह और अन्य। , (2010) 8 एस. सी. सी. 775

पहले के कई फैसलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि दीवानी अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष का कोई असर नहीं है, जैसा कि आपराधिक मामले का संबंध है और इसके विपरीत भी है। पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 18. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून इस प्रभाव से स्पष्ट है कि जहां तक आपराधिक मामले का संबंध है, दीवानी अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों का कोई संबंध नहीं है और इसके विपरीत। दीवानी और आपराधिक मामलों में सबूत का मानक अलग-अलग होता है। दीवानी मामलों में यह संभावनाओं की प्रधानता है।

जबकि आपराधिक मामलों में यह उचित संदेह से परे सबूत है। न तो कोई वैधानिक और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्ष एक ही विषय से निपटने के दौरान एक ही पक्ष के बीच बाध्यकारी होंगे। मामला और दोनों मामलों का निर्णय उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 41 से 43 के प्रावधान, बाद में पिछले निर्णयों की प्रासंगिकता से संबंधित हैं।

मामलों को ध्यान में रखा जा सकता है।

153. हम इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस अपील को जन्म देने वाले वाद के वाद में, वादी ने दलील दी है कि वादी की पत्नी को कई मौकों पर प्रतिवादी के हाथों विभिन्न धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। घटना में, वादी की पत्नी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी इंजेक्शन के लिए मुकदमा दायर किया जाता है और धारा 19 (धारा 19 (1) (बी) को छोड़कर) के तहत राहत के लिए भी प्रार्थना की जाती है। सूट पूरी तरह से रखरखाव योग्य हो और सूट में प्रार्थना को ढका जा सकता है। अधिनियम, 2005 की धारा 26 के साथ पठित धारा 19 द्वारा यथा अनुध्यात राहतों द्वारा।

सतीश चंदर आहुजा बनाम। स्नेहा आहुजा [अशोक भूषण, जे।]

154. एक लिखित बयान द्वारा, प्रतिवादी इस आधार पर मुकदमे का विरोध करना सुनिश्चित करता है कि उसने पहले ही धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर कर दिया था, जहां वादी डॉ. प्रेम कांत आहूजा (प्रतिवादी की सास) प्रतिवादी में से एक है और वह 26.11.2016 दिनांकित अंतरिम आदेश पर भी भरोसा कर सकती है जिसमें उत्तरदाताओं को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें शामिल थे।

155. हमें यह देखने की आवश्यकता है कि यदि आपराधिक अदालत का कोई निर्णय दीवानी मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 के अनुसार प्रासंगिक है। कार्यवाही, निर्णय पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है और कोई नहीं है

दीवानी अदालत पर उस पर निर्भरता को एक पुष्टिकारक सामग्री के रूप में रखने के लिए प्रतिबंध। हम मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को नोटिस कर सकते हैं

के. सुब्रमण्यन बनाम पशुपालन निदेशक, चेन्नई, (2009) 1 एमएलजे 363 जहां मद्रास उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

" 7. आपराधिक न्यायालय के निर्णय का मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सहित दीवानी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर बाध्यकारी प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में सबूत के दो अलग-अलग श्रेणियों के मानक हैं। आपराधिक मामलों में, का अपराध

अभियुक्त को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जबकि दीवानी मामलों में, पक्षों के अधिकारों या मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा।

संभावनाओं की प्रधानता पर। यदि मामले का कोई पक्ष आपराधिक न्यायालय के किसी निर्णय पर निर्भर करता है और सिविल न्यायालय से उक्त निर्णय को विश्वास देने का आग्रह करता है, तो पक्ष पर यह दायित्व है कि वह मामले में आगे की सामग्री एकत्र करे, जो [2020] 12 एस. सी. आर. का समर्थन करेगा।

आपराधिक न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय। यदि मामले में कोई सामग्री उपलब्ध है, जो आपराधिक न्यायालय के निर्णय की पुष्टि या सुदृढ़ीकरण करेगी, तो इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

दीवानी अदालत इस पर भरोसा रखे "।

156. हम उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। किसी स्वीकार्य साक्ष्य का उल्लेख करने या उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वह दीवानी हो।

या दीवानी या आपराधिक कार्यवाही दोनों में आपराधिक अदालत।

157. उपरोक्त चर्चाओं से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं -

प्रयोगः

(i) अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की लंबितता या निवास के अधिकार के संबंध में धारा 19 के तहत डी. वी. अधिनियम के तहत पारित कोई अंतरिम या अंतिम आदेश किसी भी दीवानी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने के लिए प्रतिबंध नहीं है, जो आदेश के विषय से संबंधित है।

डी. वी. अधिनियम, 2005

((ii) डी. वी. अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत अंतरिम या अंतिम राहत देने वाला आपराधिक न्यायालय का निर्णय या आदेश साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अर्थ के भीतर प्रासंगिक है और इसे दीवानी अदालत को भेजा जा सकता है और उस पर गौर किया जा सकता है।

((iii) दीवानी अदालत को दीवानी कार्यवाही में मुद्दों का निर्धारण सबूत के आधार पर करना है, जिसका नेतृत्व दीवानी अदालत के समक्ष पक्षकारों द्वारा किया गया है।

(iv) वर्तमान मामले के तथ्यों में, अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी अदालत में दायर मुकदमा पूरी तरह से बनाए रखने योग्य था और अपीलार्थी के साथ-साथ धारा 19 के तहत अधिकार का दावा करने वाले प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित किया जाना था और निर्णय लिया जाना था।

सूट में पार्टियों द्वारा।

158. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया हैटी और मामले को नए निर्णय के लिए भेज दिया। के साथ

ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

याचिका

खारिज कर दी गई।

गुजराल